भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

प्रेस परिषद समीक्षा

(1 जनवरी 2021 – 31 मार्च 2021)

त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष 23 अप्रैल - 2021 अंक - 2

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण एवं प्रेस के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया । परिषद एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसकी अधिकारिता प्राधिकारियों के साथ-साथ प्रेस पर भी है । यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता अथवा नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है ।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं । परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों में से होते हैं और तीन सांस्कृतिक, साहित्यिक व विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामित किए जाते हैं । अध्यक्ष और सदस्यों की सेवावधि तीन वर्ष की होती है ।

देश में समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं पर उनके परिचालन के आधार पर लगाया गया शुल्क परिषद का फंड होता है । 25000 प्रतियों से कम परिचालन वाले समाचार-पत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता । केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से घाटे की पूर्ति की जाती है ।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

प्रेस के विरूद्ध शिकायत

कोई भी व्यक्ति, किसी समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के विरूद्ध पत्रकारिता आचरण और रूचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता है । शिकायतकर्ता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उस समाचार से स्वयं व्यथित अथवा सीधे संबद्ध हो । यह उल्लंघन समाचारपत्र/पत्रिका में किसी समाचार अथवा वक्तव्य के प्रकाशन, अप्रकाशन या अन्य सामग्री जैसे कार्टून, फोटो, कतरनों अथवा विज्ञापनों के रूप में हो सकते हैं । आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वतंत्र पत्रकार के व्यावसायिक कदाचार के विरूद्ध भी शिकायत कर सकता है। एक समाचार एजेंसी द्वारा किसी भी तरीके से दिये गए किसी भी मामले के विरूद्ध भी शिकायत की जा सकती है ।

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद् के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी :

(i) दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और साप्ताहिक समाचारपत्र ..... दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में चार माह के भीतर

बशर्ते पूर्व तिथि के संबद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले संपादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रूचि के विरूद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के संपादक का ध्यानाकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना ज़रूरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक को पहली बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार, परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है। यह नियम ज़रूरी है क्योंकि इससे संपादक उन पर आरोप लगाने वाले से परिचित हो जाता है और उन्हें शिकायत के विवरण का पता चल जाता है । यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे संपादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो। यदि शिकायत करने वाला संतुष्ट हो जाए, तो मामला वहीं समाप्त हो सकता है।

जहां समाचारपत्र/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात्, कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उन समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं के संपादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो । वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व-अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेज़ी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की

गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए।

किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि "अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद् के सामने सभी संबद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।" एक अन्य घोषणा करना भी ज़रूरी है कि - "परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्यवाही का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना तुरंत परिषद को देंगे।"

प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका, पत्रकार या कोई भी संस्थान या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए जिस पर परिषद ऊपर दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी।

परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (1) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उसका विरोध न करे और (2) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेख प्रकाशित नहीं करने चाहिए यानि ऐसे लेख जोकि प्रेस में से ही गठित निष्पक्ष निर्णायक द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्य स्तरों से निम्न स्तर के माने गए हैं क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता में ही कटौती होगी।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :-

सचिव,
भारतीय प्रेस परिषद्,
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

फोन : 91(011) 24366404/05 (एक्स. 116, 111, 315)
फैक्स : 91(011) 24368725

ई-मेल : secy-pci@nic.in
so.complaints-pci@gov.in
so.meeting@pci.nic.in
वैबसाइट : http://presscouncil.nic.in

परिषद की वार्षिक रिपोर्टों और त्रैमासिक पत्रिकाओं में परिषद् के कार्यकलापों के संबंध में जानकारी दी जाती है। इनके वर्तमान अंक उपर्युक्त पते पर नि:शुल्क उपलब्ध हैं तथा ये उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

भारतीय प्रेस परिषद्

सूचना भवन, 8, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद

13वीं सेवावधि

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री चन्द्रमणि रघुवंशी	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	संपादक, बिजनौर टाईम्स, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	संपादक, मुजफ्फरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
श्री प्रदीप कुमार जैन	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	संपादक, विश्व परिवार, हिंदी दैनिक, रायपुर, छत्तीसगढ़
श्री ओम प्रकाश खेमकरनी	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	संपादक, मेहनत, पंजाबी दैनिक, पंजाब
श्री सैय्यद रजा हुसैन रिजवी	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कॉन्फ्रैंस	संपादक, त्रिगुट, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
*रिक्त	-	-
सम्पादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क)}		
श्री अमर देवुलापाल्ली	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	संवाद्दाता, साक्षी, तेलगु दैनिक, हैदराबाद
श्री बलविंदर सिंह जम्मू	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और प्रेस एसोसिएशन	मुख्य संवाद्दाता पंजाबी ट्रिब्यून, पंजाबी दैनिक, चंडीगढ़
श्री एम ए मजिद	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	श्रमजीवी पत्रकार, आदाब तेलंगाना, उर्दू दैनिक, हैदराबाद

* डॉ. बलदेव राज गुप्ता, जिन्हें राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30.05.2018 के जरिये सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, ने दिनांक 02.06.2020 को इस्तीफा दे दिया था जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 04.06.2020 को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(5) के तहत स्वीकार कर लिया गया था।

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री कमल नैन नारंग	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	फोटो पत्रकार, द हिंदु बिजनस लाईन, अंग्रेजी दैनिक, नई दिल्ली
श्री छायाकांत नायक	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	संवाद्दाता, द शिलाँग टाईम्स, अंग्रेजी दैनिक, शिलाँग
श्री जयशंकर गुप्ता	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	संवाद्दाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री आनन्द प्रकाश राणा	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैंस एसोसिएशन	विशेष सम्पर्की, हरि भूमि, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
बड़े, मध्यम और लघु समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}		
श्री राकेश शर्मा	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी	राष्ट्रदूत, हिंदी दैनिक, जयपुर
श्री राकेश शर्मा	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी	आज समाज, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री अशोक कुमार नवरत्न	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी एडं ऑल इंडिया स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन	एनसीआर टूडे, उत्तर प्रदेश
*रिक्त		
श्री श्याम सिंह पंवार	इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी, ऑल इंडिया स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया	जनसामना, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री केशव दत्त चंदौला	एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी एडं ऑल इंडिया स्मॉल एडं मीडियम न्यूज़पेपर्स फैडरेशन	राजपूत मर्यादा, हिंदी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश

* रिट संख्या 3105/2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2020 के जरिये उक्त रिक्ति के लिए रोक आदेश को स्वीकृति दी गयी।

नाम	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी

समाचार-एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}

श्री अशोक उपाध्याय	यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू एन आई)	संपादक, यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू एन आई) नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}

*रिक्त	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
*रिक्त	भारतीय विधिज्ञ परिषद
*रिक्त	साहित्य अकादमी

लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ङ.)}

*रिक्त	(लोक सभा)
*रिक्त	(लोक सभा)
*रिक्त	(लोक सभा)
*रिक्त	(राज्य सभा)
*रिक्त	(राज्य सभा)

सचिव : अनुपमा भटनागर

***** सदस्यों, जिन्हें राजपत्र अधिसूचना दिनांक 16.03.2018 और इसके बाद की अधिसूचनाओं के जरिये भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया गया था, की तीन वर्षीय अवधि दिनांक 15.03.2021 को समाप्त हो गयी।

विषय सूची

प्राक्कथन		1
1.	पत्रकारिता जगत से	3
2.	प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संगमों की अधिसूचना संबंधी प्रक्रिया) नियम, 2021 को अधिसूचित करते हुए राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 05.02.2021	7
3.	स्वच्छता पखवाड़ा रिपोर्ट–2021	9
4.	प्रेस प्रकाशनी दिनांकित 12.1.2021 - राज्य/जिला प्रत्यायन समिति के गठन पर आंध्र प्रदेश सरकार के आदेश दिनांकित 08.12.2020 पर स्व:प्रेरणा से संज्ञान संबंधी।	14
5.	प्रेस प्रकाशनी दिनांकित 27.01.2021 - बैंगलोर और भोपाल में भारतीय प्रेस परिषद के नाम का दुरुपयोग करने वाले फर्जी निकायों के प्रति जनता को सावधान करने संबंधी।	15
6.	प्रेस प्रकाशनी दिनांकित 12.02.2021 - लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रेस परिषद के नाम का दुरुपयोग करने वाले फर्जी निकायों के प्रति जनता को सावधान करने संबंधी।	16
7.	प्रेस प्रकाशनी दिनांकित 26.3.2021-मीडिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए का उल्लंघन न करने की सलाह देने संबंधी।	17
8.	तिमाही के दौरान परिषद के न्यायनिर्णयों की सूची (22.01.2021 और 16.02.2021)	18
9.	परिषद के न्यायनिर्णय	25
10.	तिमाही के दौरान पीआरएबी द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सूची	177
11.	तिमाही के दौरान पीआरएबी द्वारा पारित आदेश	178

प्राक्कथन

प्रेस परिषद समीक्षा, जोकि एक तिमाही पत्रिका है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और प्रेस के स्तर में सुधार के उद्देश्य से परिषद को प्राप्त अधिदेश का पालन करते हुए परिषद द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों एवं कार्यकलापों को एक साथ प्रस्तुत करती है | यह रिपोर्ट, मीडिया की कार्यप्रणाली में सुधार और भावी प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किए जा रहे अर्ध-न्यायिक और परामर्शीय क्रियाकलापों का प्रतिबिंब है |

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (इसके बाद, इसका संदर्भ अधिनियम के रूप में दिया गया है) की धारा 5 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 25 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 5.2.2021 के जरिये नियमों अर्थात्, प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संघों की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया) नियम, 2021 को अधिसूचित किया, जो आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

इसके अनुसरण में, उक्त नियमों में परिभाषित पात्रता मानदंड को ध्यान में रखते हुए, परिषद ने सार्वजनिक विज्ञापन नोटिस दिनांक 7.3.2021 के जरिये, परिषद के 14वें कार्यकाल के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 5 की उप धारा 3 के खंड (क) (ख) और (ग) के तहत व्यक्तियों के पात्र संघों से दावे आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की। दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6.4.2021 है।

इसके अलावा, धारा 6 के उपखंड 1 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा 5 के अनुसरण में, उन सदस्यों की तीन वर्ष की अवधि, जिन्हें राजपत्र अधिसूचना दिनांक 16.03.2018 और इसके बाद के राजपत्र, अर्थात्, 27.4.2021, 13.9.2019, 13.12.2019 और 15.7.2021, द्वारा अधिसूचित किया गया था, 15.3.2021 को समाप्त हुई जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 5 की उप धारा 3 के खंड (घ) और (ड़) में रिक्ति हुई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा परिषद के अगले कार्यकाल अर्थात्, 14वें कार्यकाल के लिए उक्त खंडो को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

तिमाही के दौरान, परिषद ने प्रेस की स्वतंत्रता और धमकी दिये जाने के खिलाफ दर्ज 55 मामलों पर फैसला सुनाया। इसने बैंगलोर, भोपाल और लखनऊ में भारतीय

प्रेस परिषद के नाम का उपयोग करने वाले फर्जी नाम समान निकायों के खिलाफ जनता को आगाह किया है। इसके अलावा, इसने मीडिया को सलाह दी कि वह राज्य विधान सभा के दौरान, ऐसे लेखों को प्रकाशित / प्रचारित करके, जो किसी भी तरह से निर्धारित अवधि के लिए किसी भी पार्टी के पक्ष में चुनाव के परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए का उल्लंघन न करे | इसने प्रेस की स्वतंत्रता के अतिक्रमण और इसे धमकाने के 8 मामलों में स्वत: संज्ञान लिया। इनका विवरण भारतीय प्रेस परिषद की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

परिषद ने न्यायमूर्ति श्री पी.बी. सावंत, जोकि परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे, के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया और एक मिनट का मौन रखा। परिषद में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा।

एतदद्वारा, यह तिमाही पत्रिका, सूचनाप्रद संदर्भ रिकॉर्ड व भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक के रूप में पाठकों के समक्ष रखी जा रही है |

****

पत्रकारिता जगत से

अखबारी कागज़ पर आयात शुल्क हटाने की मांग

कोरोना महामारी के दौरान मांग - आपूर्ति में असंतुलन से पिछले तीन माह में अखबारी कागज (न्यूज़प्रिंट) का दाम 20 प्रतिशत बढ़ गया है। इसके चलते समाचारपत्र प्रकाशकों ने सरकार से न्यूज़प्रिंट पर पांच प्रतिशत का आयात शुल्क हटाने की मांग की है।

इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी के अध्यक्ष एल आदिमूलम ने कहा महामारी से उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में ज्यादातर समाचारपत्रों ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में अखबार भेजना बंद कर दिया है, जहां 50 से कम प्रतियां जाती हैं। वितरण की लागत घटाने के लिए समाचारपत्रों ने यह कदम उठाया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बजट से पहले सौंपे ज्ञापन में आईएनएस ने अखबारी कागज के आयात पर सीमा शुल्क कटौती का सुझाव दिया हैं। आईएनएस ने भारत के लिए समाचार पत्र पंजीयक की प्रसार प्रमाणपत्र वैधता का विस्तार 31 मार्च, 2022 तक करने की मांग की है ताकि डीएवीपी की दरें अगले साल तक समान रहें।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
17/01/2021

39 पत्रकारों के परिजनों को पांच-पांच लाख मिलेंगे

केंद्र सरकार ने पत्रकार कल्याण समिति के अंतर्गत देशभर में कोरोना से जान गंवाने वाले 39 पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला किया हैं। पत्रकार कल्याण समिति की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन सभी पत्रकारों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

समिति की बैठक के दौरान यह जानकारी भी प्रदान की गई कि कोरोना से मृत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए पत्रकार कल्याण कोष में लगभग डेढ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। देश के सभी पत्रकार इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

पत्रकार कल्याण समिति की बैठक केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव श्री अमित खरे की अध्यक्षता में हुईं। वहीं, इस समिति बैठक में अतिरिक्त सचिव सुश्री नीरजा शेखर, संयुक्त सचिव श्री विक्रम सहाय, पत्र सूचना ब्यूरों के प्रधान महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह धतवालिया के साथ ही पत्रकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
16/02/2021

अफवाहें फैलाना प्रेस की आजादी का हिस्सा नहींः श्री जावड़ेकर

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि वह हमेशा से प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं, लेकिन अफवाहें फैलाना प्रेस की आजादी का हिस्सा नहीं हैं।

श्री जावड़ेकर यहां एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री होने के नाते वह चाहते हैं कि मीडिया हमेशा स्वंतत्र रहे। मीडिया स्वतंत्र भी है, लेकिन मीडिया को भी अपने काम को लेकर कुछ जिम्मेदार होना चाहिए।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली
08/02/2021

अब चुनावों में नहीं चल पाएगा भ्रामक खबरों का खेल

अब चुनावों में भ्रामक खबरों का खेल नहीं चल पाएगा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले ट्विटर ने सोमवार को जन संवाद की रक्षा और चुनाव से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए कई कदमों की घोषणा की। कई भाषाओं में उपलब्ध इन उपायों का एलान करते हुए माइक्रोब्लागिंग प्लेटफार्म ने चुनावों के दौरान अर्थपूर्ण राजनीतिक बहस में सहायता करने और इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

ट्विटर ने एक बयान में कहा, बंगाल 'असम, केरल, तमिलनाडु, और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव-2021 के मद्देनजर ट्विटर ने कई कदमों की घोषणा की है जिनका मकसद प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों, नागरिकों, मीडिया व समाज के बीच ज्ञानवर्धक एवं स्वस्थ संवाद को बढ़ावा देना है।' इन कदमों में चुनावों के दौरान विश्वसनीय जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों के साथ इंफारमेशन सर्च प्राम्ट, भागीदारी बढ़ाने के लिए कस्टम इमोजी, चुनाव से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए प्री-बंक और डीबंक की श्रृंखला और 'डेमोक्रेसी अड्डा' के नाम से युवाओं की चर्चा शामिल है। 'डेमोक्रेसी अड्डा' का उद्देश्य आगामी चुनावों के लिये मतदाता साक्षरता और युवा भारतीयों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। ये सभी देशभर में छह भाषाओं में उपलब्ध होंगे, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बांग्ला, असमी और मलयालम शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय राजनीति में महिलाओं पर फोकस के लिए वीडियो सीरीज 'हर पोलिटिकल जर्नी' को वापस लाया जाएगा । जहां महिला राजनीतिक नेता पत्रकारों के साथ अपनी निजी स्टोरीज साझा कर सकेंगी।

ट्विटर इंडिया की प्रबंधक (पब्लिक पालिसी एंड गवर्नमेंट) पायल कामत ने भारतीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि प्लेटफार्म के प्रयास स्वस्थ एवं जीवंत नागरिक संवाद में योगदान देंगे।

ट्विटर ने कहा कि इंफारमेशन सर्च प्राम्ट से प्रत्याशियों की सूची, चुनाव तिथियां, पोलिंग बूथ, ईवीएम, मतदाता पंजीकरण व चुनाव से जुड़े अन्य विषयों के बारे में आधिकारिक जानकारी तलाश करने में आसानी होगी। कस्टम इमोजी का उद्देश्य चुनाव से जुड़ी चर्चाओं में हिस्सेदारी को बढ़ाना है। इसमें मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्याही (इंक) लगी अंगुली होगी और यह इमोजी 10 मई, 2021 तक उपलब्ध होगी। बयान के मुताबिक, 'राष्ट्रीय व राज्य चुनाव आयोगों और यूथ की आवाज, एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स जैसे नागरिक समाज साझीदारों द्वारा उपलब्ध कराई गईं सामग्री के आधार पर अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और बांग्ला समेत विभिन्न भाषाओं में प्री-बंक प्राम्ट की श्रृंखला प्रकाशित करके कहां व कैसे वोट करें के बारे में संभावित भ्रामक सूचनाओं से निपटने में ट्विटर आगे है।' ये प्राम्ट लोगों की होम टाइमलाइन और सर्च में प्रदर्शित होगा। इन प्रोम्ट से लोगों को बूथों, पोस्टर

बैलट, कोरोना प्रतिबंधों और पहुंच के बारे में जानकारियां मिलेंगी डाटा के मुताबिक भारत में ट्विटर के करीब 1.75 करोड़ यूजर्स हैं।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली
16/03/2021

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224974
CG-DL-E-05022021-224974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942
No. 64] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 102(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् (व्यक्तियों के संगमों की अधिसूचना संबंधी प्रक्रिया) नियम, 2021 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषएं**.- इन नियमों में.--

   (क) "अधिनियम" से प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) अभिप्रेत है;

   (ख) "व्यक्तियों के संगम" से धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्तियों के संगम अभिप्रेत है;

   (ग) "समिति" से अध्यक्ष द्वारा धारा 8 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 5 के अधीन गठित संवीक्षा समिति अभिप्रेत है;

   (घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) उन शब्दों और पदों जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

3. अधिसूचित किए जाने वाले व्यक्तियों के संगम.—प्रथम परिषद् के मामले में केन्द्रीय सरकार और किसी पश्चातवर्ती परिषद् के मामले में पूर्ववर्ती परिषद् का सेवानिवृत होने वाला अध्यक्ष, धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन व्यक्तियों के संगमों को अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए, व्यक्तियों के पात्र संगमों से कम से कम दो व्यापक रूप से परिचालित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक प्रकाशन द्वारा दावों को फाइल किया जाना आमंत्रित करेगी।

4. व्यक्तियों के संगम की पात्रता.—नियम 3 के अधीन दावे फाइल करने के लिए पात्र होने के संबंध में, व्यक्तियों के किसी संगम को दावों के फाइल किए जाने की अंतिम तारीख से पूर्व कम से कम छह वर्ष के लिए तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुआ होना चाहिए और तत्पश्चात् निरंतर अपना कारबार करते रहना चाहिए, और ऐसी सुसंगत विधियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक्त: प्रमाणित उसके सबूत में दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:

परंतु व्यक्तियों के ऐसे संगम के संगम का ज्ञापन इसकी सदस्यता को किसी विशिष्ट धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा तक निर्बंधित नहीं करेगा।

(5) दावों की संवीक्षा.– (1) नियम 3 के अधीन व्यक्तियों के संगमों द्वारा फाइल किए गए दावों की ऐसी संवीक्षा समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी जो परिषद् के सदस्य में से अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो किसी भी रीति में ऐसे दावेदार संगमों में से किसी संगम से सहयुक्त नहीं हैं और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(2) परिषद्, संवीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विचार करने के पश्चात्, समुचित विनिश्चय करेगी और धारा 5 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार व्यक्तियों के संगमों को अधिसूचित करेगी:

परंतु जहां परिषद् के विनिश्चय और संवीक्षा समिति की सिफारिशों में अंतर है, वहां ऐसा विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले, संवीक्षा समिति के सदस्यों से भिन्न, कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

[फा. सं.एम-22013/1/2018-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

स्वच्छता पखवाड़ा रिपोर्ट-2021

परिषद में 16 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा, 2021 मनाया गया। परिषद ने, इस अवसर पर, पूर्ण निर्धारित अपनी कार्य योजना के अनुसार, विभिन्न क्रियाकलाप किये। स्वच्छता पखवाड़ा, 2021 के बैनर पीसीआई परिसर में लगाए गए।

स्वच्छता पखवाड़ा, 2021 के दौरान की गयी गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

18 व 19 जनवरी, 2021-पुरानी फाइलों को नष्ट करना

प्रतिधारण कार्यक्रम के अनुसार, परिषद ने पुरानी फाइलों की छंटाई शुरू कर दी है। सभी अनुभागों को अपनी पुरानी फाइलों को हटाने के निदेश दिए गए। अनुभागों ने अपनी पुरानी फाइलों को अलग कर लिया हैं, जिन्हें नष्ट करने की जरुरत हैं।

20 जनवरी, 2021-रिकॉर्ड प्रबंधन

परिषद के सचिवालय ने अपनी महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण फाइलों को अलग और वर्गीकृत कर लिया है। इन फाइलों को एक प्रमुख स्थान पर संग्रहीत किया गया है जहां से इन्हें आसानी से ट्रैक और पुनःप्राप्त किया जा सकता है।

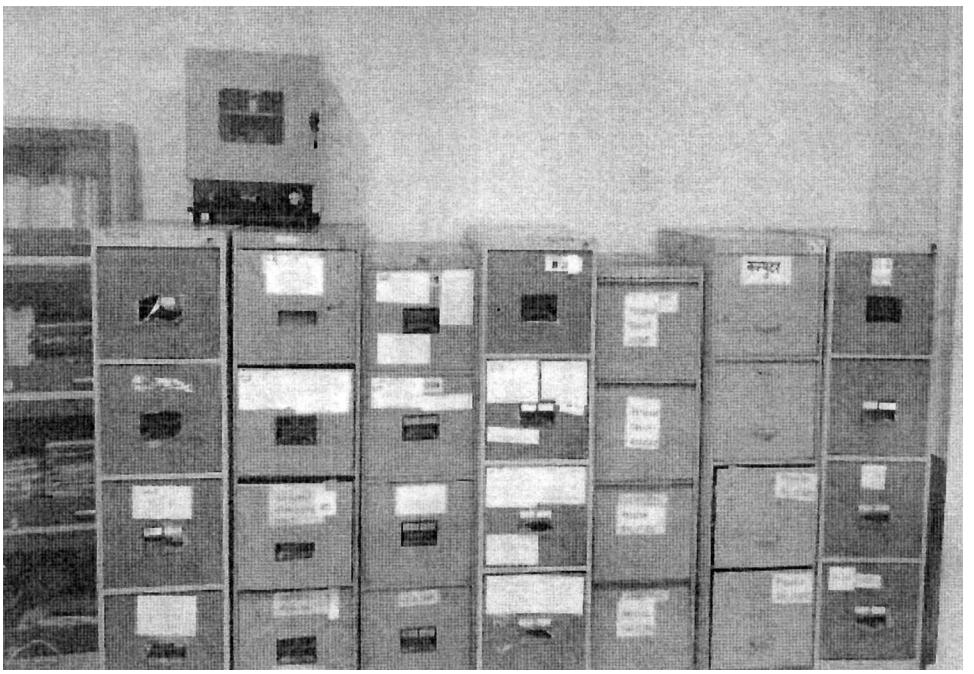

21-22 जनवरी, 2021- परिषद के अनुभागों और गलियारों का रखरखाव और कार्यालय का सौंदर्यीकरण

अनुभागों में फाइलें और कैबिनेट कर्मचारियों द्वारा ठीक से व्यवस्थित किए गए और अनुभागों के साथ-साथ गलियारों के सौंदर्यीकरण का कार्य कर्मचारियों द्वारा किया गया। परिषद के अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) ने कार्य योजना के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान की गई गतिविधियों के संबंध में सभी अनुभागों का औचक निरीक्षण किया।

25 जनवरी, 2021-फाइलों का रखरखाव

सभी अनुभागों को फाइलों का सही ढंग से रखरखाव करने के निदेश दिए गए। अनुभागों में पुरानी फाइलों के कवरों को नए कवरों से बदल दिया गया।

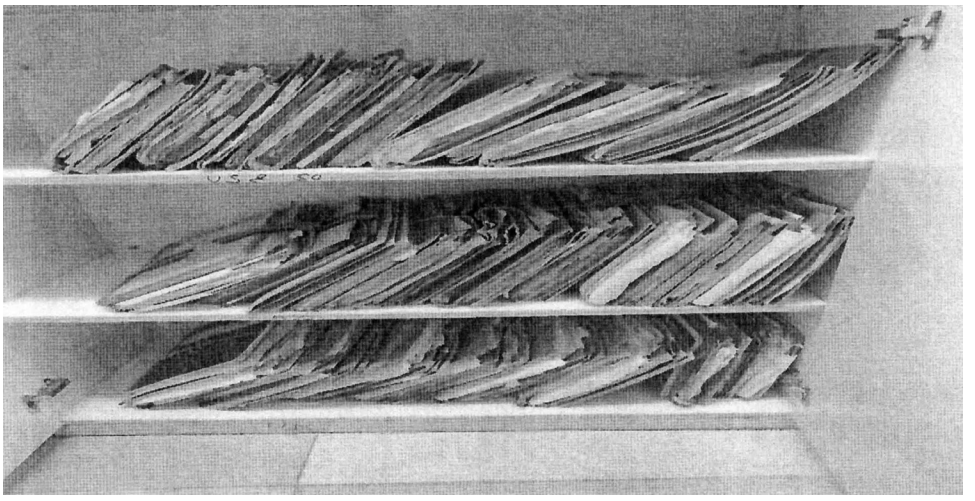

27 जनवरी, 2021-ई-अपशिष्ट/सामान्य अपशिष्ट का निपटान/निस्तारण

परिषद द्वारा ई-कचरे और सामान्य कचरे को अलग किया गया और जीएफआर के प्रावधान के अनुसार उनके निपटान के लिए प्रक्रिया शुरू की गई।

28 जनवरी, 2021-अनुभागों द्वारा की गई गतिविधियों का वरिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा निरीक्षण।

परिषद के अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) ने कार्य योजना के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान की गई गतिविधियों के संबंध में सभी अनुभागों का औचक निरीक्षण किया।

29 जनवरी, 2021- लेख प्रतियोगिता

परिषद के सचिवालय में "कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सुझाव/ गतिविधियां" विषय पर 150-200 शब्दों की लेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। परिषद के कर्मियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और कर्मियों के लेखन की जांच करने

और सर्वश्रेष्ठ विजेताओं का चयन करने के लिए अवर सचिव और सहायक निदेशक (राजभाषा) की एक समिति का गठन किया गया। समिति ने तीन विजेताओं का चयन किया और पुरस्कार राशि निम्नानुसार प्रदान की गईः

- प्रथम पुरस्कार-1500/-रुपए
- द्वितीय पुरस्कार-1,000/-रुपए
- तृतीय पुरस्कार-700/-रुपए

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस प्रकाशनी

पीआर / 01 / 2021–पीसीआई

दिनांकित 12.01.2021

भारतीय प्रेस परिषद ने राज्य/जिला प्रत्यायन समिति के गठन पर आंध्र प्रदेश सरकार के आदेश दिनांकित 08.12.2020 पर लिया स्वः प्रेरणा से संज्ञान

राज्य मीडिया प्रत्यायन समिति में मान्यता प्राप्त मुख्य धारा मीडिया संगठन और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मीडिया प्रत्यायन नियम, 2019 में किये गए संशोधन जो भारतीय प्रेस परिषद के मॉडल प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2014 के अनुरुप नहीं हैं, पर अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने चिंता व्यक्त की है।

इस मुद्दे पर स्वः प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, माननीय अध्यक्ष ने इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार को टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी करने का निदेश दिया है।

*****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस प्रकाशनी

पीआर / 04 / 2021–पीसीआई दिनांकित 27.01.2021

भारतीय प्रेस परिषद, के नाम का दुरुपयोग करने वाले फर्ज़ी निकायों से जनता को किया खबरदार

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और भारत में समाचार पत्रों के स्तर को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के उदेश्य से विधिक रूप से गठित एकमात्र सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय सूचना भवन, नई दिल्ली में स्थित हैं । इसकी कोई शाखा या राज्य इकाइयां नहीं हैं।

भारतीय प्रेस परिषद की ओर से समान नाम वाली कोई अन्य संस्था विधिक रूप से गठित और या कार्य करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

भारतीय प्रेस परिषद ने गौर किया है कि भारतीय प्रेस परिषद के समान नाम वाले फर्ज़ी निकाय मौजूद हैं।

ऐसे फर्ज़ी निकायों के नाम निम्नानुसार हैंः-

1. नेशनल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बैंगलोर

2. इंडियन प्रेस कांउसिल, टी-10, एमपी नगर जोन-1, भोपाल

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail* : pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website* : www.presscouncil.nic.in

प्रेस प्रकाशनी

पीआर / 07 / 2021–पीसीआई

दिनांकित 12.02.2021

भारतीय प्रेस परिषद, ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक फर्ज़ी संगठन द्वारा परिषद के नाम का दुरुपयोग करने पर लिया संज्ञान

भारतीय प्रेस परिषद ने चिंता जताई है कि भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के नाम का दुरुपयोग प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया के नाम से चलाए जा रहे एक फर्ज़ी संगठन द्वारा किया जा रहा है, जिसका पता "ओम प्लाजा, सेक्टर-19, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश है।"

चूंकि भारतीय प्रेस परिषद एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है जिसका एक ही कार्यालय है, जोकि सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली में स्थित है और इसकी न तो कोई राज्य शाखा है और न ही इसी नाम से कोई अन्य संबद्ध निकाय है, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्य सचिव, सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail* : pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website* : www.presscouncil.nic.in

प्रेस प्रकाशनी

पीआर / 10 / 2021–पीसीआई

दिनांकित 26.03.2021

भारतीय प्रेस परिषद की मीडिया को आर पी एक्ट, 1951 की धारा 126ए का उल्लंघन नहीं करने की सलाह।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी विधान सभा चुनावों के मद्देनज़र भारतीय प्रेस परिषद प्रिंट मीडिया को ऐसे लेख प्रकाशित न करने की सलाह देती है जो 126ए के तहत निषिद्ध अवधि के दौरान किसी भी तरह से चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करें ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

परिषद का विचार है कि निषिद्ध अवधि के दौरान ज्योतिषियों, टैरो रीडर्स, राजनीतिक विश्लेषकों या किसी भी व्यक्ति द्वारा भविष्यवाणियों आदि के माध्यम से चुनाव के परिणामों का किसी भी रूप या तरीके से पूर्वानुमान लगाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के अभिप्राय का उल्लंघन है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक दलों की संभावनाओं के बारे में इस तरह की भविष्यवाणियों से ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को, जिनमें मतदान किया जा रहा है, के मतदान को प्रभावित होने से रोकना है।

प्रिंट मीडिया को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी तमिलनाडु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य विधान सभा चुनाव (27 मार्च, 2021 को 7:00 बजे पूर्वाहन से 29 अप्रैल, 2021 को सांय 7:30 बजे के बीच) और 2021 में विभिन्न राज्यों के संसदीय, विधानसभा क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में उप-चुनाव की तारीखों से पहले निषिद्ध अवधि के दौरान परिणामों के किसी भी लेख को प्रकाशित/प्रचारित न करें ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

तिमाही के दौरान न्यायनिर्णयों की सूची

न्यायनिर्णयों की तिथि : 22 जनवरी, 2021 तथा 16 फ़रवरी, 2021

क्र. सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
समाचारकर्मियों का उत्पीड़न		
1.	श्री सुधीर दीक्षित, ब्यूरो चीफ, दैनिक युवा हस्ताक्षर, पीलीभीत की श्री नरेश पाल सिंह, श्री मनोज सोनकर, श्री वैभव श्रीवास्तव, पीलीभीत, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (13/132/19-20-पीसीआई)	समाप्त
2.	श्री ओम प्रकाश बघेल, संपादक, दुनिया एक नज़र में, अलीगढ़ की पुलिस प्राधिकारियों उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (13/129/19-20-पीसीआई)	खारिज
3.	श्री शाह आलम, संवाददाता, दैनिक शाह टाइम्स, मुज्जफ़-रनगर, उ.प्र. की नगर पंचायत, चरथावल, मुज्जफ़रनगर, उ.प्र. के विरूद्ध शिकायत। (13/72/18-19-पीसीआई)	समाप्त
4.	श्री महेंद्र सिंह, संपादक, वीकली किसौली टाइम्स, बुलंदद्र शहर, उ.प्र. की पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत। (13/119/19-20-पीसीआई)	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
5.	श्री रूप किशोर राजपूत, फोटो पत्रकार, हितैशी की जंग, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की माँ भगवती मेडिकल स्टोर के विरूद्ध शिकायत। (13/20/19-20-पीसीआई)	टिप्पणी के साथ समाप्त
प्रेस को सुविधाएं		
6.	श्री तुमुल विजय, संपादक, तुमुल तूफानी, मुरादाबाद, उ.प्र. की नगर पालिका, बिलारी के विरूद्ध शिकायत। (13/128/19-20-पीसीआई)	समाप्त
7.	श्री शरद कटियार, संपादक, यूथ इंडिया न्यूज़ ग्रुप, फर्रुख़ खाबाद, उ.प्र. की श्रीमति मोनिका रानी, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद और डॉ. अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ के विरूद्ध शिकायत। (13/55/19-20-पीसीआई)	वापस लेने के कारण खारिज

क्र. सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
8.	श्री अमर सिंह जौहरी, रिपोर्टर, आखिरी कोशिश, पत्रिका, पानीपत की मुख्य सचिव, महानिदेशक, सूचना व जनसम्पर्क विभाग, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत। (13/140/18-19-पीसीआई)	समाप्त
9.	श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फ़ैडरेशन की प्रधान महानिदेशक, पीआईबी, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। (12/2020/बी)	खारिज
10.	श्री बी.पी. गौतम, प्रकाशक/पत्रकार, गौतम संदेश, हिन्दी साप्ताहिक, उ.प्र. की श्री राम निवास शर्मा, अपर जिला मजिस्ट्रेट बदायूं के विरूद्ध शिकायत। (13/45/19-20-पीसीआई)	वापस लेने के कारण खारिज
स्व: प्रेरणा से संज्ञान		
11.	श्री आशीष अवस्थी, संपादक, मीडियाब्रेक, साप्ताहिक समाचारपत्र/न्यूज़ पोर्टल के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज किये जाने पर स्व प्रेरणा से संज्ञान। (98/2020/एसएम/बी)	कार्यवाही बंद
12.	उत्तर-पूर्वी दिल्ली में चल रही सांप्रदायिक हिंसा को कवर करने पर मीडियाकर्मियों पर कथित हमले के संबंध में परिषद द्वारा स्व प्रेरणा से संज्ञान (44/2020/एसएम/बी)	न्यायाधीन होने के कारण कार्यवाही बंद
.13	जम्मू कश्मीर में गोलीबारी के दौरान फोटो पत्रकारों को आई चोटों के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/167/18-19-पीसीआई)	कार्यवाही बंद
.14	श्री आशीष राजे, फोटो पत्रकार पर मुंबई पुलिस द्वारा कथित हमले के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (26/2020/एसएम/बी)	कार्यवाही बंद
.15	सुश्री तोंगम रीना, संपादक, अरुणाचल प्रदेश को ऑनलाइन खतरा होने के संबंध में इंटरनेशनल फ़ैडरेशन ऑफ जर्नलिस्टस द्वारा जारी मीडिया रिलीज़ के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (90/2020/एसएम/बी)	कार्यवाही बंद

क्र. सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
.16	श्री प्रशांत चक्रवर्ती, वरिष्ठ पत्रकार/ महासचिव, त्रिपुरा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स पर हमले के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (207/2020/एसएम/बी)	कार्यवाही बंद
.17	चेन्नई पुलिस द्वारा पत्रकार श्री वी. अनबज़हगन की गिरफ्तारी के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (5/2020/एसएम/बी)	न्यायाधीन होने के कारण कार्यवाही बंद
.18	इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता के विरूद्ध जांच के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (100/2020/एसएम/बी)	कार्यवाही बंद
.19	ओडीशा में कोविड-19 काल के दौरान रिपोर्टिंग करने पर पत्रकारों को निशाना बनाने के विरूद्ध स्व प्रेरणा से संज्ञान। (186/2020/एसएम/बी)	कार्यवाही बंद
.20	पत्रकार श्री शुभम त्रिपाठी की शुक्लागंज, उन्नाव, उ.प्र. में हत्या के संदर्भ में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (178/2020/एसएम/बी)	कार्यवाही बंद
.21	"Trivandrum Press Club rocked by attacks on women journos" "महिला पत्रकारों पर हमले से हिल गया तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब" (अनूदितवर्तन) कैप्शन के अंतर्गत प्रकाशित समाचार के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (13/180/एसएम/19-20)	न्यायाधीन होने के कारण कार्यवाही बंद
.22	पुलिस प्राधिकारियों, मेघालय सरकार के विरूद्ध श्री सी.के. नायक, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद, से प्राप्त पत्र ।(2/2020/बी-पीसीआई)	कार्यवाही बंद
.23	नई दिल्ली में कारवां पत्रिका के पत्रकारों पर हमले के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (306/सुओ-मोटू/2020-बी)	कार्यवाही बंद
.24	पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी पर अपने पत्रकारिता संबंधी कर्तव्य के लिए हमले के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (77/एसएम/2020-बी)	कार्यवाही बंद
.25	महाराष्ट्र सरकार के परिशिष्ट दिनांकित 18.4.2020 के संबंध में परिषद द्वारा स्व प्रेरणा से संज्ञान।(73/2020/एसएम/बी-पीसीआई)	कार्यवाही बंद

क्र. सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
.26	कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग करने पर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संदर्भ में स्व प्रेरणा से संज्ञान । (188/सुओ-मोटू/2020-बी)	कार्यवाही बंद
.27	कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग करने पर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संदर्भ में स्व प्रेरणा से संज्ञान । (189/सुओ-मोटू/2020-बी)	कार्यवाही बंद
.28	कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग करने पर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संदर्भ में स्व प्रेरणा से संज्ञान । (190/सुओ-मोटू/2020-बी)	कार्यवाही बंद
.29	डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीएचएल), कोलकाता प्रबंधन के विरूद्ध कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन न देने के आरोप के संदर्भ में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (270/2020/एसएम/बी-पीसीआई)	कार्यवाही बंद
.30	कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग करने पर हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संदर्भ में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (183/सुओ-मोटू/2020-बी)	कार्यवाही बंद
.31	कांकेर, छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हमले के संदर्भ में (स्व प्रेरणा से संज्ञान । (एसएम/ओसीटी/1/2020-बी	कार्यवाही बंद
प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती(13)		
.32	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के विरुद्ध प्रेस असोशिएशन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, आईएनपीसी के महासचिव, फ़ॉरेन करेसपांडेन्ट क्लब, नई दिल्ली के अध्यक्ष की शिकायत। (13/82/19-20-पीसीआई)	समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
33.	वित्त मंत्रालय के विरुद्ध श्री अशोक मालिक, अध्यक्ष एनयूजे (इंडिया), श्री मनोहर सिंह, अध्यक्ष, नहनाल जर्नलिस्ट असोशिएशन, श्री राजीव रंजन नाज, अध्यक्ष, इंडिया फ़ैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, दिल्ली चैप्टर की शिकायत। (13/86/19-20-पीसीआई)	समाप्त
सिद्धान्त और प्रकाशन (14)		
.34	श्री गगन आनंद, अधिवक्ता की हिंदुस्तान के संपादक के विरूद्ध शिकायत। (1796/2020-ए)	परिनिन्दा
35.	पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली की इंडियन एक्स्प्रेस के विरुद्ध शिकायत। (518/2020-ए)	परिनिन्दा
प्रेस और मानहानि		
36.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस मुख्यालय, नंदिनी हिल्स सांबा, जम्मू कश्मीर की स्टेट टाइम्स के मुख्य संपादक तथा ब्यूरो चीफ के विरूद्ध शिकायत। (14/381/19-20-पीसीआई)	समाप्त
37.	श्री मरूफ़, मुरादाबाद, उ.प्र. की मुल्क की सोच के संपादक के विरूद्ध शिकायत। (14/370/19-20-पीसीआई)	समाप्त
38.	श्री संदीप सरदाना, सिरसा, हरियाणा की दैनिक भास्कर, हिसार (हरियाणा) के विरूद्ध शिकायत। (14/247/19-20-पीसीआई)	खारिज
39.	श्री संदीप सरदाना, सिरसा, हरियाणा की दैनिक सवेरा टाइम्स, जालंधर (पंजाब) के विरूद्ध शिकायत। (14/248/19-20-पीसीआई)	खारिज
40.	श्री संदीप सरदाना, सिरसा, हरियाणा की अमर उजाला, हिसार (हरियाणा) के विरूद्ध शिकायत। (14/249/19-20-पीसीआई)	खारिज
41.	श्री संदीप सरदाना, सिरसा, हरियाणा की पल-पल, सिरसा, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत। (14/250/19-20-पीसीआई)	खारिज

क्र. सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
42.	श्री संदीप सरदाना, सिरसा, हरियाणा की दैनिक सच कहूँ, सिरसा, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत। (14/251/19-20-पीसीआई)	खारिज
43.	श्री दर्शन सिंह, अध्यक्ष, संत अत्तर सिंह जी विद्या प्रसार और वैल्फेयर कमेटी, संगरूर, पंजाब की अजित, संगरूर के संपादक के विरूद्ध शिकायत। (14/330/19-20-पी.सी.आई.)	समाप्त
44.	श्री विवेक शुक्ला, महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट अफेयर्स तथा दललित, नई दिल्ली की दैनिक भास्कर, जयपुर के संपादक के विरूद्ध शिकायत। (14/259/19-20-पीसीआई)	परिनिन्दा
45.	श्री संजीव परिया, अधिवक्ता, सचिव, बार असोसियेय शन, फर्रुखाबाद, उ.प्र. की यूथ इंडिया, दैनिक संध्या, फर्रुखाबाद उ.प्र. के संपादक के विरूद्ध शिकायत। (14/398/19-20-पीसीआई)	समाप्त
46.	श्री अवधेश मिश्रा, अधिवक्ता, उ.प्र. की यूथ इंडिया, दैनिक संध्या, फर्रुखाबाद, उ.प्र. के संपादक के विरूद्ध शिकायत। (14/384/19-20-पी.सी.आई.)	समाप्त
47.	श्री विजेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, शशि केब्ल्स लिमिटेड, लखनऊ की दैनिक जागरण, लखनऊ के संपादक के विरूद्ध शिकायत। (14/272/19-20-पीसीआई)	खारिज
48.	श्री विजेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, शशि केब्ल्स लिमिटेड, लखनऊ की अमर उजाला, लखनऊ के संपादक के विरूद्ध शिकायत। (14/273/19-20-पीसीआई)	खारिज
49.	सहायक क्षेत्रीय निदेशक, उ.प्र. परिवहन कार्यालय, आगरा की अमर भारती के विरूद्ध शिकायत। (14/221/19-20-पीसीआई)	समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
स्व: प्रेरणा से संज्ञान		
50.	हिंदुस्तान, नई दिल्ली द्वारा क्लासीफाइड आपत्तिजनक, अश्लील और भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित करने के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (29/2020/एसएम/ए)	परिनिन्दा
51.	हिंदुस्तान, नई दिल्ली द्वारा क्लासीफाइड आपत्तिजनक, अश्लील और भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित करने के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (278/सुओ-मोटू/2020-बी)	परिनिन्दा
52.	दैनिक भास्कर द्वारा फेक समाचार प्रकाशित करने के संबंध में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (151/एसएम/2020-ए)	परिनिन्दा
53.	हिंदुस्तान द्वारा पत्रकारिता के मानकों के उल्लंघन के संदर्भ में स्व प्रेरणा से संज्ञान। (1900/सुओ-मोटू/2020-ए)	परिनिन्दा
54.	पत्रकारिता के आचरण के मानकों 19(i) (क) (ख) और 31 (vi) का उल्लंघन करने के संबंध में टेलीग्राफ द्वारा इसके दिनांक 17.03.2020 के अंक में माननीय राष्ट्र-पति का व्यंग्यपूर्ण चित्रण तथा सनसनीखेज़ सुर्खियों का इस्तेमाल करते हुए समाचार के प्रकाशन पर स्व प्रेरणा से संज्ञान। (149/एसएम/2020-ए)	निदेश के साथ परिनिन्दा
पेड समाचार		
55.	जतिन्दर कुमार उर्फ जेके चाग्रन, होशियारपुर की दैनिक भास्कर, पंजाब के संपादक के विरूद्ध शिकायत। **(**14/328/19-20-पीसीआई**)**	समाप्त

परिषद के न्यायनिर्णय

<u>समाचारकर्मियों का उत्पीड़न</u>

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

1. श्री सुधीर दीक्षित,
ब्यूरो चीफ,
दैनिक युवा हस्ताक्षर,
पीलीभीत (उ.प्र.)

मुख्य सचिव,
उ.प्र. सरकार,
लखनऊ

सचिव,
गृह (पुलिस) विभाग,
उ.प्र. सरकार,
लखनऊ

पुलिस महानिदेशक,
उ.प्र. पुलिस,
लखनऊ

श्री वैभव श्रीवास्तव,
जिला मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत (उ.प्र.)

श्री मनोज सोनकर,
पुलिस अधीक्षक,
पीलीभीत (उ.प्र.)

श्री नरेश पाल सिंह,
प्रभारी निरीक्षक,
पुलिस थाना, सुनगढ़ी
पीलीभीत (उ.प्र.)

श्री दीपक कुमार,
सब-इंस्पेक्टर,
पुलिस, सुनगढ़ी,
पीलीभीत (उ.प्र.)

तथ्य

यह शिकायत दिनांकित 11.09.2019 श्री सुधीर दीक्षित, ब्यूरो चीफ, दैनिक युवा हस्ताक्षर, पीलीभीत (उ.प्र.) ने श्री वैभव श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत तथा पुलिस प्रशासन के विरूद्ध उनके द्वारा आलोचनात्मक लेखन के कारण कथित तौर पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने पर दर्ज की ।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह प्रशासन और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में समाचार प्रकाशित करता रहा है, जिसके कारण जिला मजिस्ट्रेट नाराज हो गए और शिकायतकर्ता को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। दिनांक 9.8.2019 को उस पर हमला किया गया और लगभग एक ट्रैक्टर ने उसे मार ही डाला, जिसके बाद वह शय्याग्रस्त हो गया और जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने इस संबंध में पुलिस थाना कोतवाली, पीलीभीत में दिनांक 15.8.2019 को एक प्राथमिकी दर्ज की है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन से नाराज़, जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम श्री शशांक है, के माध्यम से उसके विरूद्ध दिनांक 9.9.2019 को पुलिस थाना- सुनगढ़ी में आईपीसी की धारा 420/506 के तहत झूठी एफआईआर सं. 0376/2019 दर्ज की। शिकायतकर्ता ने कहा कि जिस व्यक्ति के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट ने उसके विरूद्ध मामला दर्ज किया है वह लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कुख्यात है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जिला मजिस्ट्रेट ने झूठे मामले दर्ज करने के आदेश देकर प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया है। उन्होंने परिषद से उनके विरूद्ध दर्ज मामले को तत्काल खारिज करने और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत का लिखित वक्तव्य

श्री वैभव श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ने अपने लिखित बयान दिनांक 18.12.2019 द्वारा विवेचित किया कि श्री शशांक के विरूद्ध श्री अजय कुमार द्वारा 6.9.2019 एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद दिनांक 9.9.2019 को श्री शशांक द्वारा पुलिस थाना सुनगढ़ी में श्री सुधीर दीक्षित (शिकायतकर्ता), श्री अजय कुमार और श्री दामोदर के विरूद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रतिवादी ने कहा है कि यह पूरी तरह से उनका निजी मामला है और इस संबंध में जिला प्रशासन ने एक प्रेस प्रकाशनी जारी की जिसे दैनिक जागरण में दिनांक 15.9.2019 को कैप्शन **"प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं"** के तहत प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि उसने खुद फोन पर शिकायतकर्ता से बात की और उसे सूचित किया कि प्रशासन का इस

मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिस पर शिकायतकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत और संतुष्ट प्रतीत हुआ। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में किसी भी तरह से कोई मौखिक / लिखित आदेश नहीं दिया गया था। यह पूरी तरह से शिकायतकर्ता का व्यक्तिगत मामला है जिसमें उसका (जिला मजिस्ट्रेट) कोई हस्तक्षेप नहीं है।

प्रभारी निरीक्षक, पुलिस थाना सुनगढ़ी, पीलीभीत का लिखित वक्तव्य

श्री नरेश पाल सिंह, पूर्व प्रभारी निरीक्षक, पुलिस थाना सुनगढ़ी, पीलीभीत ने अपने लिखित बयान दिनांक 12.12.2019 द्वारा विवेचित किया कि शिकायतकर्ता की शिकायत, ट्रैक्टर द्वारा उस पर हमला करने के संबंध में, अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दिनांक 15.8.2019 को आईपीसी की धारा 279/338/307/506 के तहत मामला सं. 292/2019 दर्ज किया गया था, जिसकी जांच चल रही है। आलोचनात्मक लेखन के कारण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतकर्ता के विरूद्ध दुर्भावनापूर्वक मामला दर्ज कराए जाने के शिकायतकर्ता के आरोप को नकारते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि श्री शशांक ने एक शिकायत जिला अधिकारी, पीलीभीत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत को संबोधित की और मुख्य मंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की, कि कोई श्री दामोदर दास, मेडिकल स्टोर का मालिक है और बिना किसी मेडिकल डिग्री के बच्चों का इलाज कर रहा है और जिससे उनका जीवन खतरे में है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि इसके बाद श्री दामोदर दास और उनके पुत्र श्री अजय कुमार और एक पत्रकार श्री सुधीर दीक्षित ने श्री शशांक पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाना शुरू किया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसलिए, श्री शशांक की शिकायत पर, श्री दामोदर दास, श्री अजय कुमार और श्री सुधीर दीक्षित, ब्यूरो चीफ, युवा हस्ताक्षर के विरूद्ध आईपीसी की धारा 420/506 के तहत मामला सं. 376/2019 दिनांकित 09.09.2019 दर्ज किया गया। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि श्री शशांक ने उक्त मामले को दुर्भावनापूर्वक दर्ज किया था और मामले को रद्द करने के लिए न्यायालय के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट सं. 96/2019 दिनांक 19.9.2019 प्रस्तुत की गयी।

पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत का लिखित वक्तव्य

श्री अभिषेक दीक्षित, पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत ने दिनांक 30.12.2019 को अपने लिखित वक्तव्य द्वारा विवेचित किया कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर, ट्रैक्टर द्वारा उस पर हमला करने के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दिनांक 15.8.2019 को आईपीसी की धारा 279/338/307/506 के तहत मामला सं.292/2019 दर्ज किया गया था। प्रतिवादी ने कहा है कि साक्ष्य मिलने पर, ट्रैक्टर चालक, श्री सैफ अली के विरूद्ध आरोप पत्र सं. 295/2019 दिनांक 10.12.2019 दायर किया गया है।

आलोचनात्मक लेखन के कारण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतकर्ता के विरूद्ध दुर्भावनापूर्वक मामला दर्ज कराए जाने के शिकायतकर्ता के आरोप को नकारते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि श्री शशांक ने एक शिकायत जिला अधिकारी, पीलीभीत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत को संबोधित की और मुख्य मंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की, कि कोई श्री दामोदर दास, मेडिकल स्टोर का मालिक है और बिना किसी मेडिकल डिग्री के बच्चों का इलाज कर रहा है और जिससे उनका जीवन खतरे में है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि इसके बाद श्री दामोदर दास और उनके पुत्र श्री अजय कुमार और एक पत्रकार श्री सुधीर दीक्षित ने श्री शशांक पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाना शुरू किया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसलिए, श्री शशांक की शिकायत पर, श्री दामोदर दास, श्री अजय कुमार और श्री सुधीर दीक्षित, ब्यूरो चीफ, युवा हस्ताक्षर के विरूद्ध आईपीसी की धारा 420/506 के तहत मामला सं.376/2019 दिनांकित 09.09.2019 दर्ज किया गया। प्रतिवादी ने आगे कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि आईपीसी की धारा 384 के तहत मामला सं.372/19 श्री शशांक के विरूद्ध दर्ज किया गया था, जिसके कारण श्री शशांक ने शिकायतकर्ता और अन्य के विरूद्ध मामला सं. 376/19 दुर्भावनापूर्वक दर्ज किया था। प्रतिवादी ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट संख्या 96/2019 दिनांक 19.9.2019 को केस नंबर 376/19 को रद्द करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने दिनांक 29.1.2020 को अपनी प्रति-टिप्पणियों द्वारा विवेचित किया कि जिला मजिस्ट्रेट का कथन गलत है कि उनके द्वारा कोई मौखिक और लिखित आदेश नहीं दिया गया है, जबकि दिनांक 14.9.2019 को जिला मजिस्ट्रेट ने एक टेलीफोन पर बातचीत में स्वीकार किया है कि मामले की लोक सुनवाई हुई थी। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट भी गलत तरीके से कह रहे हैं कि वह (शिकायतकर्ता) उनके साथ बातचीत से संतुष्ट है। शिकायतकर्ता के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सार्वजनिक बैठक में उपस्थित थे, जहां जिला मजिस्ट्रेट ने सीधे मामला दर्ज करने के लिए प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश पाल सिंह को शिकायत दी थी, जबकि यू.पी. सरकार और पुलिस महानिदेशक ने आदेश दिया कि किसी भी पत्रकार और उसके परिवार के विरूद्ध किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट के निदेश पर प्रतिशोध की भावना से उसके विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय, उत्तर प्रदेश का संदर्भ

श्री एल.वी. एंटनी देव कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), लखनऊ ने दिनांक

06.05.2020 को अपने पत्र द्वारा पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत की दिनांक 30.12.2019 की रिपोर्ट प्रेषित की है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2020 को नई दिल्ली में आया ।

शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि उसके आलोचनात्मक लेखन के कारण जिला मजिस्ट्रेट के इशारे पर उसके विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। जांच समिति ने शिकायतकर्ता के प्रतिनिधियों, श्री रमेश शंकर पांडे और श्री देवेंद्र प्रताप मिश्रा, अपर जिला मजिस्ट्रेट के साथ प्रतिवादियों की ओर से श्री वीरेंद्र विक्रम, सर्किल ऑफिसर सिटी, पीलीभीत, श्री नरेश पाल, इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन सुनगढ़ी, श्री रजनीश तोमर और श्री कविंदर कुमार के पक्ष को सुना है। शिकायत और लिखित वक्तव्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्री शशांक ने पत्रकार के विरूद्ध मामला दर्ज किया था और अंततः जांच के दौरान उनके विरूद्ध आरोप गलत पाया गया था, और तदनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

जांच समिति की राय है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट का इसमें कोई व्यक्तिगत हित होता या वह प्रतिशोध लेना चाहता, तो ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती।

शिकायतकर्ता की एक अन्य शिकायत, जिला मजिस्ट्रेट के इशारे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज होना है। प्रतिवादी ने उक्त मामले के संबंध में एफआईआर प्रस्तुत की है और उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसा मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के निदेश पर दर्ज किया गया था।

जांच समिति का मत है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे आदेश को पारित करने में जिला मजिस्ट्रेट की कोई भूमिका नहीं निभाई जा सकती।

जांच समिति को उम्मीद है कि जिले के पुलिस अधीक्षक उचित समय के भीतर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त निदेशों सहित, जांच समिति शिकायत को समाप्त करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत समाप्त करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

2. श्री ओम प्रकाश बघेल,
मुख्य संपादक,
दुनिया एक नज़र में,
अलीगढ़ (उ.प्र)

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस,
लखनऊ (उ.प्र),

पुलिस अधीक्षक,
हाथरस (उ.प्र.)

श्री सुरेन्द्र उर्फ सुंदर
गांव टोडरपुर,
हाथरस (उ.प्र)

श्री विपिन उर्फ पवन,
गांव टोडरपुर,
हाथरस (उ.प्र)

तथ्य

यह शिकायत दिनांकित 09.09.2019, श्री ओम प्रकाश बघेल, मुख्य संपादक, दुनिया एक नज़र में, अलीगढ़ (उ.प्र) ने श्री सुरेन्द्र उर्फ सुंदर और विपिन उर्फ पवन के विरूद्ध आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करने पर कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी देने के कारण दर्ज की।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने दिनांक 25.07.2019 को केंद्रीय/राज्य/जिला प्राधिकारियों को किसी श्री सोनू, टोडरपुर निवासी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई शिकायतों को संबोधित किया और विशेष सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उ.प्र. के निदेशों पर जांच की गई । शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उन्होंने अपने समाचारपत्र में दिनांक 15.08.2019 को "सोनू, ग्राम टोडरपुर खिटौली थाना सासनी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग" शीर्षक के अंतर्गत एक खबर भी प्रकाशित की जिसमें रिपोर्ट किया गया कि गवाह, श्री प्रेमपाल, भूरी सिंह, मूलचन्द्र, सुंदर, विपिन, ललित और वो लोग जिन्होंने सोनू को मोबाइल पर फोन किया था, के पास उसकी हत्या की जानकारी है । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इससे परेशान होकर, श्री सुरेन्द्र उर्फ सुंदर और विपिन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी । शिकायतकर्ता के अनुसार, टोडरपुर गांव के निवासी श्री सुरेश चंद्र के साथ उनके निजी संबंध हैं और श्री सुरेश चंद्र के भतीजे और बेटे को श्री सोनू की हत्या के लिए झूठे मामले में फंसाया गया और वे अब जेल में हैं । शिकायतकर्ता

ने कहा है कि ग्रामीणों के अनुसार, सर्वश्री/सोनू, विपिन कुमार, सुरेंद्र कुमार उर्फ सुंदर और तीन अन्य लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि यदि सी.बी.आई. इस मामले की जांच करती है तो श्री सोनू की हत्या का रहस्य पता चल जाएगा ।

पुलिस अधीक्षक, हाथरस का उत्तर

पुलिस अधीक्षक, हाथरस ने पत्र दिनांक 26.12.2019 को सूचित किया है कि श्री सोनू की हत्या में पुलिस थाना सासनी में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/506/34 के तहत मामला संख्या 60/2019 दर्ज किया गया और श्री कैलाश बाबू, निरीक्षक द्वारा इसकी जाँच की गई। सबूतों के आधार पर श्री राहुल और ललित कुमार को गिरफ्तार किया गया । चश्मदीद गवाह के बयान पर श्री इंद्रपाल, सुरेश चंद्र और अजय का नाम भी प्रकाश में आया । पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, श्री राहुल और ललित के खिलाफ चार्जशीट नंबर 254/19 दिनांक 22.5.2019 और श्री इंद्रपाल और अजय के खिलाफ चार्जशीट नंबर 254ए दिनांक 02.08.2019, माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई । प्रतिवादी ने कहा है कि चूंकि मामला अब माननीय न्यायालय के समक्ष है, इसलिए, इस संबंध में टिप्पणी करना उचित नहीं है । प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने श्री सुरेन्द्र उर्फ सुंदर और विपिन द्वारा दी गई धमकियों के संबंध में अपना बयान दर्ज नहीं किया है ।

जवाबी टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी जवाबी टिप्पणियों दिनांकित 31.1.2020 द्वारा बताया कि उनका बयान हलका अधिकारी/यातायात, हाथरस द्वारा दिनांक 12.12.2019 को दर्ज किया गया था । उन्होंने आगे बताया कि वह बयान दर्ज कराने अपर पुलिस अधीक्षक, हाथरस के कार्यालय भी गया था लेकिन वह अनुपस्थित थे और श्री ए.एन. खान जोकि वहां मौजूद थे, ने बयान दर्ज करने से इंकार कर दिया । शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि श्री सोनू की हत्या के मामले में पुलिस ने नकली गवाह प्रस्तुत किए हैं । पुलिस ने बिना जांच किए श्री राहुल को फर्जी लाइसेंस के आधार पर आरोपी बना दिया है ।

पुलिस अधीक्षक, हाथरस का प्रत्युत्तर

पुलिस अधीक्षक, हाथरस ने अपने प्रत्युत्तर दिनांकित 02.04.2020 द्वारा कहा है कि शिकायतकर्ता ने उनके द्वारा लगाए गए डराने-धमकाने के आरोप के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया है और जांच के दौरान यह आरोप साबित नहीं हो सके । प्रतिवादी ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को उसका बयान दर्ज करवाने हेतु कई बार बुलाया गया परंतु वह नहीं आया ।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अन्य पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 05.08.2020 द्वारा कहा है कि श्री सोनू, विपिन कुमार, सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुंदर, ललितेश कुमार उर्फ ललित उर्फ छैना और अशोक कुमार

श्री प्रमोद कुमार के घर पर, उनकी अनुपस्थिति में, टीवी देख रहे थे और शराब पी रहे थे । इसी दौरान, उनके बीच झगड़ा हो गया और उनके द्वारा श्री सोनू की हत्या कर दी गई और उसकी लाश को एक फार्म में फेंक दिया गया । शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि श्री ललित उर्फ छैना का नाम हत्या में दर्ज हो चुका है जिसे पुलिस की मदद से एफ़आईआर में नाबालिग दिखाया गया था ताकि उसे हत्या के आरोप से राहत मिल सके । श्री अशोक कुमार को मामले में गवाह के रूप में दिखाया गया है और वह श्री प्रमोद कुमार का भाई है, जोकि एक अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है । शिकायतकर्ता के अनुसार, सोनू की हत्या के मामले में आरोपी (जिनके खिलाफ चार्ज शीट है) बेकसूर हैं । श्री प्रमोद कुमार, कर्णपाल सिंह, पूरन सिंह ने अपने बच्चों को बचाने के लिए षड्यंत्र रचा है । शिकायतकर्ता ने कहा है कि मामले में समझौता करने के लिए उन्होंने श्री प्रमोद कुमार या किसी अन्य से संपर्क नहीं किया है क्योंकि श्री राहुल उर्फ टिंकू, श्री इंद्रपाल उर्फ करूआ को जमानत मिल चुकी है, और मामला विचाराधीन है । शिकायतकर्ता ने कहा है कि श्री प्रमोद कुमार, कर्णपाल सिंह, पूरन सिंह, अशोक कुमार षड्यंत्रकारी हैं और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो सोनू की हत्या का राज़ खुल सकता है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020 को नई दिल्ली में आया ।

नोटिस जारी करने के बावजूद, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ । सुश्री रुचि गुप्ता, हलका अधिकारी, शहर, हाथरस, प्रतिवादी 1 और 2 की ओर से उपस्थित हुईं ।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि किसी सोनू की हत्या के संदर्भ में उसने सीबीआई जांच की मांग की ताकि उन व्यक्तियों को जिनके खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ है उन्हें न्याय मिल सके और इसी मांग के चलते, श्री विपिन और सुंदर नाराज़ हो गए और उसे धमकी दी । जांच समिति की राय है कि शिकायतकर्ता को मिली धमकी उसके द्वारा की गई मांग की एवज में थी जिसका उनके पत्रकारिता दायित्व से कोई लेना देना नहीं है । आगे, सुश्री गुप्ता ने कहा कि श्री विपिन और सुंदर पर लगाए गए आरोप जांच के दौरान साबित नहीं हो पाये हैं । जांच समिति को शिकायत योग्य नहीं लगी और तदनुसार, इसे खारिज करने की संस्तुति करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

3. श्री शाह आलम
रिपोर्टर,
दैनिक शाह टाइम्स,
जनपद, मुजफ्फरनगर ।

श्री अनूप राय
कार्यकारी अधिकारी,
नगर पंचायत चरथावल,
अधिशासी अधिकारी कार्यालय,
नगर पंचायत मीरपुर,
जनपद मुजफ्फरनगर ।

श्री सत्येंद्र त्यागी
पूर्व अध्यक्ष
नगर पंचायत चरथावल
चरथावल, मुजफ्फरनगर ।

तथ्य

यह सचिवालय में दिनांक 24.7.2018 को प्राप्त अदिनांकित शिकायत को श्री शाह आलम, रिपोर्टर, दैनिक शाह टाइम्स, मुजफ्फरनगर ने नगर पंचायत, चरथावल के कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज की है । शिकायतकर्ता ने विवेचित किया है कि वह एक श्रमजीवी पत्रकार है और चरथावल में दैनिक शाह टाइम्स के लिए करीब सात वर्षों से कार्यरत है । दिनांक 18.07.2018 को, चरथावल में हुई चरथावल की नगर पंचायत की एक बोर्ड मीटिंग में जहां मीटिंग की कवरेज हेतु शिकायतकर्ता और अन्य पत्रकार भी मौजूद थे, बोर्ड मीटिंग के दौरान, श्री अनूप राय पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही बोर्ड के सदस्यों को धमकाने लगे और जबरन उनके हस्ताक्षर (ऑपरेशनल) रजिस्टर पर लेने लगे । इस घटना को कवर करने के लिए वहां मौजूद पत्रकार फोटो खींचने लगे और इस पर अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष ने अभद्र रूप से प्रतिक्रिया दी और पत्रकारों से गाली गलौच करने लगे जिसके बाद सभी पत्रकार घटनास्थल से चले गए । शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि प्रेस द्वारा घटना की कवरेज को रोकने के लिए चरथावल की नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष ने पत्रकारों पर भी दबाव बनाया जोकि बोर्ड मीटिंग में मौजूद थे । हालांकि, शिकायतकर्ता ने उन्हें अनसुना कर दिया, प्रतिवादियों ने उन पर बोर्ड मीटिंग के दौरान अवैध रूप से दखलअंदाजी और बाधा उत्पन्न करने के आरोप में पुलिस में झूठा मामला दर्ज कर दिया । शिकायतकर्ता के विरुद्ध ऐसे झूठे आरोप प्रेस की

स्वतन्त्रता के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा है । इसलिए, शिकायतकर्ता ने मामले में परिषद से उचित कदम उठाने की गुहार लगाई है ।

अन्य पत्र दिनांकित 25.08.2018 में, शिकायतकर्ता ने विवेचित किया है कि उन्होंने चरथावल की नगर पंचायत की बोर्ड मीटिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे प्रकाशित किया जिसके लिए उस पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं ।

प्रतिवादियों को जवाबी टिप्पणी हेतु दिनांक 10.09.2018 को नोटिस जारी किए गए ।

प्रतिवादियों द्वारा दर्ज उत्तर

श्री अनूप राय, कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत, चरथावल, ने लिखित वक्तव्य दिनांकित 09.10.2018 द्वारा विवेचित किया है कि चरथावल में चरथावल की नगर पंचायत की एक बोर्ड मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने घुसपैठ की और मीटिंग प्रक्रिया में दखल अंदाजी की और बाधा उत्पन्न, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवायी। हालांकि, प्रतिवादी दिनांक 18.7.2018 को हो रही बोर्ड मीटिंग के दौरान हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति से परिचित नहीं था, इस बारे में पूछताछ करने पर किसी ने बताया कि वह शाह आलम था । बाद में, श्री राय को पता चला कि स्थानीय लोगों ने उसका नाम निजी दुश्मनी के चलते लिया था । हालांकि, प्रतिवादी ने कहा कि यह असमंजस की स्थिति थी और इसी वजह से शिकायतकर्ता का नाम गलती से शिकायत में दर्ज हो गया । प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता, सच जानने के पश्चात् शिकायत वापिस लेने के लिए राज़ी हो गया है ।

एसएचओ मुजफ्फरनगर को संबोधित श्री अनूप राय का पत्र

श्री अनूप राय, कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत, मुज़फ़्फ़रनगर ने एसएचओ, मुज़फ़्फ़रनगर को संबोधित अदिनांकित पत्र द्वारा विवेचित किया है कि उन्होंने दिनांक 18.7.2018 को शिकायत दर्ज की थी जिसमें श्री शाह आलम पुत्र श्री सत्तार का नाम शामिल किया गया था चूंकि स्थानीय लोगों ने उन्हें श्री आलम के नाम के बारे में जानकारी दी । उन्होंने आगे कहा है कि श्री आलम मौके पर मौजूद नहीं थे। उनका नाम अनजाने में शिकायत में दर्ज हो गया । उन्होंने एसएचओ, मुज़फ़्फ़रनगर से अनुरोध किया है कि वे वर्णित तथ्यों के साथ मामले में आगे कार्रवाई करें ।

श्री अनूप राय, कार्यकारी अधिकारी का पत्र दिनांकित 25.2.2020

श्री अनूप राय ने अपने पत्र दिनांकित 25.2.2020 द्वारा लिखा कि दिनांक 18.7.2018

को चरथावल में एक बोर्ड बैठक के दौरान कुछ अवांछित व्यक्तियों ने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की और सरकारी रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया । चूंकि, वह उन व्यक्तियों के बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद श्री आलम पुत्र श्री सत्तार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी । उन्होंने कहा कि यह जानने के बाद कि श्री आलम घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और स्थानीय लोगों ने उनसे निजी दुश्मनी के कारण उनका नाम लिया था, उन्होंने एसएचओ, चरथावल को इस बारे में जानकारी दी । इस बीच, शिकायतकर्ता ने प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज की । उन्होंने आगे कहा है कि जब शिकायतकर्ता को मामले के बारे में सूचित किया गया, तो उन्होंने यह कहते हुए एक हलफनामा दिया कि शिकायत गलतफहमी में दर्ज की गई थी और उसे वापस ले लिया गया था। उन्होंने परिषद से मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 16.12.2020 को नई दिल्ली में आया ।

नोटिस जारी करने के बाद भी शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए । प्रतिवादियों की ओर से भी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई ।

शिकायतकर्ता द्वारा कथित रूप से सशपथ हलफनामा प्रतिवादी, श्री अनूप राय द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ इस शिकायत के निपटान के लिए अनुरोध किया गया है । हलफनामे की एक प्रति शिकायतकर्ता को भेजकर उसकी प्रतिक्रिया मांगी गई । वे उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई प्रतिक्रिया दर्ज की है । इसके मद्देनजर मामले में जांच समिति का विचार है कि शिकायतकर्ता की शिकायत जारी रखने में दिलचस्पी नहीं है, शायद इस आधार पर कि प्रतिवादी ने खुद कहा है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया था ।

जांच समिति, तदनुसार शिकायतकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करते हुए मामले का निपटान करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत समाप्त करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

4. श्री महेंद्र सिंह,
संपादक,
किसोली टाइम्स,
बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)

मुख्य सचिव,
उ.प्र. सरकार,
लखनऊ

सचिव,
गृह (पुलिस) विभाग,
उ.प्र. सरकार,
लखनऊ

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस,
लखनऊ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
बुलंदशहर,
उ.प्र.

श्री उमेश कुमार,
उप-निरीक्षक,
अगौता पुलिस थाना,
बुलंदशहर (उ.प्र.)

तथ्य

यह शिकायत दिनांकित 26.8.2019 श्री महेंद्र सिंह, संपादक, किसोली टाइम्स, बुलंदशहर (उ.प्र.) द्वारा आलोचनात्मक लेखन के कारण पुलिस प्राधिकारियों ने कथित तौर पर दुकानदार के साथ सांठ-गांठ कर उसे धमकाने और झूठे मामले में फंसाने के कारण दर्ज की ।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने, अगौता में मौजूदा अनियमितताओं और अगौता बाज़ार में दुकानदारों द्वारा खाने में मिलावट करने के संदर्भ में खबर प्रकाशित की और इस संदर्भ में उन्होंने प्राधिकारियों से भी शिकायत की । इससे नाराज़ होकर, दुकानदारों ने उप निरीक्षक श्री उमेश कुमार के साथ सांठ-गांठ कर, उसके विरुद्ध अगौता पुलिस थाने में श्री इमरान खान, ग्राम प्रधान, गांव अजीतपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 388/389 के तहत एक झूठा मामला दर्ज करवा दिया । शिकायतकर्ता ने आगे सूचित किया है कि

भूतपूर्व सैनिक ने शपथपत्र में कहा है कि उसने संपादक के विरूद्ध कोई बयान नहीं दिया है । शिकायतकर्ता ने यह भी सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी और आरोप पत्र पर रोक लगा दी है । परंतु, अगौता बाज़ार के 3 दुकानदारों ने उस पर धारा 386/506 के तहत एक और मामला दर्ज करा दिया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल किये जाने तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्री उमेश कुमार, उप-निरीक्षक ने बिना किसी जांच के दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया है, जबकि शिकायतकर्ता ने एसएचओ और उप-निरीक्षक को अपना बयान और अपने बचाव में सबूत रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे परंतु उप-निरीक्षक ने उन्हें वापिस लौटा दिया और इसे जांच का हिस्सा नहीं बनाया । शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि उसे उत्पीड़ित करने की मंशा से, उप-निरीक्षक ने उसके विरूद्ध दिनांक 20.9.2018 को उ.प्र. गुंडा अधिनियम भी दर्ज कर दिया ताकि वह उनके विरूद्ध कुछ भी प्रकाशित न कर सके, लेकिन अपर जिला मजिस्ट्रेट ने इस पर रोक लगा दी । शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इससे नाराज होकर, 4 दुकानदारों ने दिनांक 29.4.2019 को उसे धमकाया और उस पर हमला कर दिया । इस संदर्भ में, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अन्य कार्यालयों को शिकायत लिखी, लेकिन इस मामले की जांच अगौता पुलिस थाने द्वारा की गई । इसलिए, श्री उमेश कुमार, उप-निरीक्षक के प्रभाव में, न तो कोई निष्पक्ष जांच हुई और न ही कोई कार्रवाई की गई । शिकायतकर्ता ने सूचित किया है कि इस संदर्भ में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दायर की और माननीय न्यायालय ने दिनांक 8.5.2019 को अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर को शिकायतकर्ता के विरूद्ध दर्ज दोनों मामलों की जांच रिपोर्ट 2 महीने के भीतर प्रस्तुत करने का निदेश दिया । शिकायतकर्ता ने आगे सूचित किया है कि 2 माह की अवधि के पश्चात्, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से मामले में हुई प्रगति के बारे में जानकारी मांगी, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास हस्तांतरित हो गई है । शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उप निरीक्षक ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वयं को बचाने और दोषी न बनने की मंशा से गुम कर दिया है । इस संदर्भ में, उन्होंने अपने समाचारपत्र के मुख्य पृष्ठ पर दिनांक 22.8.2019 को "जिलाधिकारी ने किया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन" शीर्षक के अंतर्गत खबर प्रकाशित की । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इससे नाराज़ होकर, प्रतिवादी उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं । उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

जवाबी वक्तव्य हेतु, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर और श्री उमेश कुमार, उप- निरीक्षक, अगौता पुलिस थाना को दिनांक 05.11.2019 को नोटिस जारी किए गए ।

श्री उमेश कुमार, उप-निरीक्षक का लिखित वक्तव्य

श्री उमेश कुमार, उप-निरीक्षक, अगौता पुलिस थाना, बुलंदशहर ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 29.11.2019 द्वारा विवेचित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 388/389/385 के तहत श्री हाजी इमरान की शिकायत सं. 336/17 दिनांकित 10.12.2017 पर शिकायतकर्ता के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया और उसके द्वारा जांच करने के पश्चात, माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र सं. 68/18 दिनांकित 5.5.2018 दाखिल किया गया । प्रतिवादी ने आगे विवेचित किया कि श्री उमेश कुमार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 386/506 के तहत शिकायतकर्ता के विरूद्ध दिनांक 23.6.2018 को हाजा पुलिस थाने में मामला सं. 117/18 दर्ज किया गया और जांच के पश्चात, माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष दिनांक 22.7.2019 को आरोप पत्र सं. 103/18 दाखिल किया गया ।

प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्राइवेट स्कूलों ग्राम पंचायतों, दुकानदारों और उद्योगपतियों से उगाही करने की शिकायतें मिलने पर, शिकायतकर्ता के विरूद्ध यूपी गुंडा अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी के समक्ष मामला सं. 106/19 दर्ज किया गया जोकि विचाराधीन है । प्रतिवादी ने आगे बताया है कि हाजा पुलिस थाना में उक्त अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई शुरू हो चुकी है । प्रतिवादी ने यह भी बताया कि इससे नाराज़ होकर, शिकायतकर्ता उसके विरूद्ध झूठे आरोप लगा कर शिकायतें दर्ज़ कर रहा है, जोकि जांच के दौरान झूठे और बेबुनियाद पाए गए । दुकानदारों द्वारा हमले के संबंध में, प्रतिवादी ने सूचित किया है कि शिकायतकर्ता ने इस संदर्भ में अगौता पुलिस थाना में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है । आरोप पत्र दाखिल होने के कारण नाराज़ होने की वजह से शिकायतकर्ता ने यह शिकायत दर्ज की है, जोकि झूठी, मनगढ़ंत और बेतुकी है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर का लिखित वक्तव्य

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 28.11.2019 द्वारा विवेचित किया है कि श्री हाजी इमरान की, खबर प्रकाशित करने तथा पैसों की

उगाही से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 388/389/385 के तहत शिकायतकर्ता के विरूद्ध शिकायत पर अगौता पुलिस थाने में दिनांक 10.12.2017 को मामला सं.336/17 दर्ज किया गया । मामले की जांच श्री ऋषिपाल, उप-निरीक्षक ने आरंभ की और उसके बाद दिनांक 05.03.2018 को श्री उमेश कुमार, उप-निरीक्षक द्वारा की गई । उसके द्वारा जांच किए जाने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 5.5.2018 को आरोप पत्र सं. 55/18 दाखिल किया गया । प्रतिवादी ने आगे विवेचित किया है कि पैसों की उगाही और जान से मारने की धमकी से संबंधित श्री उमेश कुमार की शिकायत पर अगौता पुलिस थाने में दिनांक 23.6.2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 386/506 के तहत शिकायतकर्ता के विरूद्ध मामला सं.117/18 दर्ज किया गया । श्री उमेश कुमार, उप-निरीक्षक, अगौता द्वारा इसकी जांच की गई । जांच के दौरान, माननीय न्यायलय से शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश प्राप्त हुआ । जांच के पश्चात, माननीय न्यायलय के समक्ष एक आरोप पत्र सं. 103/18 दाखिल किया गया ।

प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता की गतिविधियों को देखते हुए, अगौता पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत दिनांक 20.9.2018 को उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिसका मुकदमा सं. 106/18 है । प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता को पैसों की उगाही के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर शिकायतें दर्ज करने की आदत है । प्रतिवादी ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कई शिकायतों की जांच अपर पुलिस अधीक्षक (शहर) और हलका अधिकारी, सिकंदरबाद ने की है तथा जांच में सभी आरोप बेबुनियाद पाए गए ।

प्रतिवादी के लिखित वक्तव्य कि एक प्रति शिकायतकर्ता को दिनांक 13.1.2020 को भेजी गई ।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांकित 24.12.2019 द्वारा कहा है कि प्रतिवादी श्री उमेश कुमार, उप-निरीक्षक द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य बेबुनियाद है । शिकायतकर्ता के अनुसार, मामला सं. 117/18 में आरोप पत्र श्री उमेश कुमार द्वारा एक माह के भीतर दाखिल किया गया था, जबकि आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि 90 दिन है, जोकि जांच का विषय है । शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि वह दिनांक 15.7.2019 को उनके ऊपर हुए हमले के बारे में शिकायत दर्ज कराने अगौता पुलिस थाने गया था, लेकिन श्री उमेश कुमार के प्रभाव के कारण उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई । अपनी शिकायत

को दोबारा दोहराते हुए, शिकायतकर्ता ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जांच के आदेश को श्री उमेश कुमार ने दबा दिया है ताकि जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट को कोर्ट न भेज सके। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि वह कोर्ट के आदेश और सूचना के अधिकार द्वारा जिलाधिकारी के कार्यालय से जुटाई गई सूचना को लेकर पुनः कोर्ट पहुंचे और इस बार माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट को तीन सप्ताह के भीतर दर्ज करने का आदेश दिनांकित 18.10.2019 दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने दिनांक 14.11.2019 को जिलाधिकारी, बुलंदशहर को आदेश की प्रति भेजी लेकिन इस बार भी श्री उमेश कुमार के प्रभाव के कारण वह दबा दी गई, जिसकी वजह से जिलाधिकारी, बुलंदशहर एक बार फिर कोर्ट के आदेश को पूरा नहीं कर सके। शिकायतकर्ता ने विवेचित किया कि इस संदर्भ में उन्होंने दिनांक 19.12.2019 को समाचारपत्र में खबर प्रकाशित की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्री उमेश कुमार, उप-निरीक्षक ने आरोप पत्र दाखिल करते वक़्त नकली गवाह बनाए हैं।

शिकायतकर्ता ने अपने एक और पत्र दिनांकित 8.1.2020 द्वारा कहा कि कोई श्री लक्ष्मण सिंह ने दिनांक 28.12.2020 को उन्हें मारने की कोशिश की, जिसकी शिकायत उन्होंने रजिस्टर्ड डाक द्वारा अगौता पुलिस को भेजी लेकिन उक्त रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। पैसों की उगाही के आरोप को नकारते हुए, शिकायतकर्ता ने परिषद से मामले में जांच करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांकित 26.5.2020 द्वारा विवेचित किया है कि कोरोना की वजह से वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन के दौरान उन्होंने दुकानदारों द्वारा खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाए जाने और मिलावट से संबंधित खबर प्रकाशित की। इससे नाराज़ होकर, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी और झूठे मामलों में फंसा दिया और इस संदर्भ में उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर को शिकायत की लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर का एक और उत्तर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर ने उत्तर दिनांकित 30.10.2020 द्वारा विवेचित किया कि शिकायतकर्ता के विरुद्ध मामला सं.336/2017 में दिनांक 5.5.2018 को तथा मामला सं.117/2018 में दिनांक 22.7.2018 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर का उत्तर

जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर ने उत्तर दिनांकित 28.11.2020 द्वारा विवेचित किया कि

शिकायतकर्ता द्वारा लगाए आरोप के अनुसार, दुकानदारों के खाद्य पदार्थों की जांच की गई परंतु उनमें मिलावट नहीं पाई गई । प्रतिवादी ने आगे कहा कि दुकानदारों ने सूचित किया कि शिकायतकर्ता उनसे पैसों की मांग करता है और इंकार करने पर, झूठी शिकायतें दर्ज करता है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 17.12.2020 को नई दिल्ली में आया ।

शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि उनके आलोचनात्मक लेखन के लिए पुलिस प्राधिकारियों ने दुकानदारों के साथ सांठ-गांठ कर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी है । सुश्री नमिता श्रीवास्तव, सर्कल अधिकारी, सिकंदराबाद पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर की ओर से उपस्थित हुई और कहा कि अगौता पुलिस थाने में शिकायतकर्ता पर दो आपराधिक मामले क्रमशः 336/2017 तथा 117/18 दर्ज हैं और शिकायतकर्ता ने उच्च नयायलाय के समक्ष उन एफ़आईआर को चुनौती देते हुए मामले दर्ज किए हैं, जिनमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है ।

यहां, यह कहना उचित होगा कि शिकायतकर्ता ने पत्र द्वारा अपनी उम्र और सर्द मौसम के मद्देनजर जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और मौजूद अभिलेखों पर विचार करते हुए परिषद से निर्णय लेने का अनुरोध किया है । जांच समिति ने शिकायत, लिखित वक्तव्य और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों का अवलोकन किया है । चूंकि शिकायतकर्ता के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष दो आपराधिक मामले न्यायाधीन हैं, जांच समिति मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है तथा तदनुसार मामले को समाप्त करने की संस्तुति करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत समाप्त करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

5. श्री रूपकिशोर राजपूत,
फॉटोग्राफर,
हितैशी की जंग,
अलीगढ़ (उ.प्र)

श्री अजय कुमार वर्मा,
मालिक,
मै. माँ भगवती ड्रग्स स्टोर,
अलीगढ़ (उ.प्र)

श्री पुनीत अग्रवाल,
फार्मेसिस्ट,
मै. माँ भगवती ड्रग्स स्टोर,
अलीगढ़ (उ.प्र)

श्री बीजेन्द्र कुमार,
मै. माँ भगवती ड्रग्स स्टोर,
अलीगढ़ (उ.प्र)

श्री भूदेव प्रसाद वर्मा,
गांव माजूपुर,
अलीगढ़ (उ.प्र)

तथ्य

यह शिकायत दिनांकित 30.4.2019 श्री रूपकिशोर राजपूत, फॉटोग्राफर, हितैशी की जंग, अलीगढ़, उ.प्र. ने श्री अजय कुमार वर्मा, स्वामी, मै. माँ भगवती ड्रग्स स्टोर, अलीगढ़ तथा अन्य के विरूद्ध कथित तौर पर आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के बाद उन्हें धमकाने और उन्हें कानूनी नोटिस भिजवाने के कारण दर्ज की ।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें श्री विजय शर्मा और श्री रवि गुप्ता से शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि मै. माँ भगवती स्टोर में कुट्टू बेचा जा रहा है जिसकी वजह से आम जनता नशे की आदी होती जा रही है और अपना जीवन बर्बाद कर रही है । शिकायतकर्ता ने सूचित किया है कि कुट्टू एक नशीला पदार्थ है जिसमें 83% अल्कोहल है, जोकि जीवन के लिए खतरनाक है और इससे काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि उन्होंने स्टोर की गहन जांच की और कुट्टू खरीदने वाले लोगों की तस्वीरें लीं। शिकायत सही पाए जाने पर, उन्होंने इस संदर्भ में दिनांक 21.3.2019 को खबर प्रकाशित कर दी । शिकायतकर्ता ने विवेचित किया कि

इसके पश्चात प्रतिवादी ने दिनांक 16.4.2019 को उसे और उसके संपादक को कानूनी नोटिस भेजा जिसमें 50 लाख रुपए और प्रकाशन में शुद्धपित्र जारी करने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि उन्होंने दिनांक 27.4.2019 को वकील द्वारा नोटिस का जवाब भेजा जिसमें कहा गया था कि उक्त खबर को गहन जांच के पश्चात् जनहित में प्रकाशित किया गया था ।

शिकायतकर्ता ने इस संदर्भ में शिकायत दिनांकित 22.3.2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ और एसएचओ, सासनी गेट पुलिस थाना, अलीगढ़ के कार्यालय में भेजा जिसमें कहा गया कि खबर के प्रकाशन के पश्चात, 3-4 लोग उनके कार्यालय में आए और उनसे और उनके संपादक से माफीनामा प्रकाशित करने को कहा और जाते जाते उन्हें जान से मारने की धमकी दी । शिकायतकर्ता ने परिषद से मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ।

प्रतिवादियों को टिप्पणी हेतु दिनांक 13.9.2019 को नोटिस जारी किए गए ।

प्रतिवादी की टिप्पणियां

श्री अजय कुमार वर्मा, स्वामी, मै. माँ भगवती ड्रग्स स्टोर, अलीगढ़ ने अपनी टिप्पणियों दिनांकित 29.9.2019 द्वारा आरोप लगाया है कि पैसों की उगाही करने की मंशा से शिकायतकर्ता ने अपने दिनांक 21.3.2019 के संस्करण में "अलीगढ़ शहर में धड़ल्ले से मौत के सौदागर बेच रहे कुट्टू, लाइसेंस ड्रग स्टोर के नाम से । पर दुकान के अंदर दवा एक भी नहीं लेकिन दर्जनों के हिसाब से कुटटू की पेटियां रखी रहती हैं और इलाके की पुलिस कथित स्टोर से चौथ वसूली करती है क्योंकि यह कारोबार पुलिस के संरक्षण में फल-फूल रहा है" शीर्षक के अंतर्गत झूठी व मानहानिजनक खबर का प्रकाशन किया है । प्रतिवादी ने कहा कि वह सरकार द्वारा जारी किए गए लाईसेंस में दिए गये नियमों और निर्देशों का पालन करता है और उसका स्टोर पूरी तरह ड्रग निरीक्षक के नियंत्रण में है ।

प्रतिवादी ने विवेचित किया कि तथ्य जानने के लिए उन्होंने दिनांक 19.9.2019 को श्री विजय शर्मा और रवि गुप्ता, के पास पत्र भेजे जिनकी शिकायतें इस शिकायत के साथ संलग्न थी, लेकिन दोनों पत्र डाक प्राधिकारियों से "अपूर्ण पता" शीर्षक के साथ वापिस आए । यह तथ्य दर्शाता है कि शिकायतकर्ता ने खुद को बचाने के लिए झूठे पत्र तैयार किये हैं । शिकायतकर्ता तथा उनके संपादक को किसी भी तरह के खतरे के आरोप को नकारते हुए, प्रतिवादी ने सूचित किया है कि मुख्यमंत्री के पोर्टल पर दर्ज शिकायत भी जांच के बाद बेबुनियाद पायी गई । उन्होंने परिषद से शिकायतकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांकित 12.11.2019 द्वारा अपनी शिकायत दोहराते हुए कहा कि प्रतिवादी का उत्तर पूर्णतः झूठा है और खारिज करने योग्य है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि दिनांक 21.3.2019 को प्रकाशित खबर को गहन जांच के पश्चात और आम जनता को सचेत करने और अवैध ड्रग्स का कारोबार रोकने की मंशा से प्रकाशित किया गया था । शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि श्री विजय शर्मा और रवि गुप्ता के पते सहीं हैं और इस संदर्भ में डाक प्राधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट झूठी है। दोनों ही व्यक्तियों ने क्रमशः दिनांक 29.4.2019 तथा 30.4.2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र और आधार कार्ड के साथ शिकायत दी थी ।

शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र

श्री रूपकिशोर राजपूत, शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांक 17.12.2019 द्वारा कुट्टू, नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होने वाले ड्रग की 2 बोतलों का नाम भेजा है जोकि निम्नानुसार हैं :

1. एरोमैटिक कार्डमम/बी.पी.
2. एरोमैटिक कार्डमम/टिंक्चर बी.पी. 2008

उन्होंने परिषद से किसी भी विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उन बोतलों की जांच करवाने का अनुरोध किया है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर रिपोर्ट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ने अपने उत्तर दिनांकित 23.6.2020 द्वारा विवेचित किया है कि श्री विशाल पांडे, क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, एक मेडिकल स्टोर, जिसका नाम 'माँ भगवती मेडिकल स्टोर' है, को श्री अजय कुमार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके लिए, ड्रग लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा उन्हे लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने आगे विवेचित किया कि कार्डमम टिंक्चर ऐरोमैटिक एक मादक पदार्थ है जोकि ब्रिटिश औषधि-संस्कार ग्रंथ के अंतर्गत निर्मित होता है । इस टिंक्चर के लिए, किसी को डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती । अतः यह एक गैर अनुसूचित ड्रग है। टिंक्चर की जांच में यह पाया गया कि नमूना बीपीसी के अनुरूप

है । उन्होंने आगे विवेचित किया है कि पहले श्री अशोक कुमार वर्मा के नौकर, श्री मनीष शर्मा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 272/273/274/275 और 60/63 उत्पाद अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज हुआ था । चूंकि आरोप साबित नहीं हो पाये, मामला समाप्त हो गया और दिनांक 21.09.2009 को रिपोर्ट भेज दी गई । आगे, श्री अजय कुमार वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका सं. 3627/2012 में, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के व्यावसायिक मामलों में दखल न देने का आदेश पारित किया । उन्होंने विवेचित किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा कुट्टू के अवैध कारोबार से संबंधित खबर प्रकाशित करने के पश्चात्, प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को परामर्शदाता के जरिये नोटिस जारी किया । जांच के अनुसार, शिकायतकर्ता को धमकाने का आरोप साबित नहीं किया जा सका ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020 को नई दिल्ली में आया । श्री रुपकिशोर राजपूत (शिकायतकर्ता), फ़ोटोग्राफ़र और श्री वकील अहमद, संपादक, हितैशी की जंग स्वयं उपस्थित हुए परंतु प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई ।

शिकायतकर्ता 'हितैशी की जंग' नाम के एक समाचारपत्र के फ़ोटोग्राफ़र हैं और उनका आरोप है कि दुकान के मालिक जिनके खिलाफ उक्त समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ था, ने उन्हें प्रतिकूल प्रकाशन के लिए धमकी दी है। जांच समिति ने पुलिस अधीक्षक से शिकायतकर्ता के आरोप की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। अपर पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप की जांच के दौरान पुष्टि नहीं हुई । उपर्युक्त के मद्देनजर, जांच समिति इस मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है। हालांकि, यह कहना चाहेगी कि किसी भी पत्रकार को वृत्तिक कार्य करने के लिए धमकाया न जाए तथा पुलिस अधीक्षक का दायित्व है कि वह इसे सुनिश्चित करे ।

उपर्युक्त टिप्पणियों सहित, जांच समिति शिकायत को समाप्त करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत समाप्त करने का निर्णय लेती है ।

प्रेस को सुविधाएं

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

6. श्री तुमुल विजय, संपादक/प्रकाशक, तुमुल तूफानी, मुरादाबाद (उ.प्र.)	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बिलारी, मुरादाबाद (उ.प्र.)

तथ्य

परिषद के सचिवालय में दिनांक 12.9.2019 को प्राप्त यह अदिनांकित शिकायत, श्री तुमुल विजय, संपादक/प्रकाशक, तुमुल तुफानी, मुरादाबाद (यूपी) द्वारा नगर पालिका परिषद, बिलारी, मुरादाबाद के खिलाफ/सरकारी विज्ञापन बिलों का बकाया भुगतान न करने/देरी के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 1999 और 2000 के लिए प्रतिवादी द्वारा सरकारी विज्ञापन बिलों की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिए फंड की अनुपलब्धता या चुनाव आचार संहिता का कारण बताया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि कई बार वह स्थानीय पत्रकारों और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ पूर्व अधिकारियों से मिले और उन्होंने उन्हें भुगतान के लिए आश्वासन दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी ने बड़ी चालाकी से डुप्लीकेट बिल प्राप्त करने के बहाने कई बार अखबार की मूल प्रतियां मांगी हैं। प्रतिवादी को पता था कि उसके पास केवल एक मूल प्रति बची है, इसलिए वह अंतिम प्रति लेकर सबूत नष्ट करना चाहता है।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने प्रतिवादी को कई बार अनुरोध किया लेकिन उसके अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी को उन्हें भुगतान के लिए निदेशित करने का अनुरोध किया है।

माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने दिनांक 19.11.2019 के ऑर्डर द्वारा शिकायत दाखिल करने में देरी को माफ किया।

लिखित वक्तव्य

प्रेस परिषद नोटिस के जवाब में, कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,

बिलारी, मुरादाबाद ने 12.12.2019 को अपने लिखित बयान मे कहा है कि शिकायतकर्ता ने विज्ञापन बिलों के भुगतान के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगी है और इसके जवाब में कार्यालय पत्र दिनांक 1.9.2018 के जरिये शिकायतकर्ता को विज्ञापन बिल का पूरा विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया ताकि भुगतान किया जा सके लेकिन शिकायतकर्ता ऐसा करने में विफल रहा। प्रतिवादी ने कहा है कि आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, विज्ञापन बिल का भुगतान किया जाएगा।

प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि चूंकि शिकायतकर्ता ने प्रकाशित विज्ञापनों और मूल बिलों की प्रतियां प्रदान नहीं की हैं, इसलिए, 12.12.2019 के पत्र के जरिये शिकायतकर्ता से अनुरोध किया गया था कि वह 17.6.1999, 21.7.1999, 16.8.1999, 13.9.1999 और 17.1.2000 को प्रकाशित विज्ञापनों की प्रतियां और बिलों की मूल प्रति प्रदान करे।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों को दोहराते हुए 16.2.2020 की अपनी प्रति-टिप्पणियों में विवेचित किया कि प्रतिवादी नगर पालिका परिषद, बिलारी के अनुरोध पर उन्होंने अपने अखबार में 17.6.1999, 21.7.1999, 16.8.1999, 13.9.1999 और 17.1.2000 को विज्ञापन प्रकाशित किए थे लेकिन प्रतिवादी ने आज तक कोई भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा की प्रतिवादी ने दिनांक 12.12.2019 के अपने पत्र में माना कि पांच विज्ञापनों का भुगतान बकाया है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी बीस साल पुराने अखबार की मूल प्रतियां मांग रहा है, जो उसने कई बार प्रतिवादी को प्रदान की है और अब अखबार की कोई भी प्रति उसके पास नहीं बची है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अगला पत्र

परिषद के पत्र दिनांक 10.6.2020, जिसके द्वारा प्रतिवादी-कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिलारी, मुरादाबाद के उत्तर की एक प्रति शिकायतकर्ता को भेजी गई, के जवाब में शिकायतकर्ता-श्री तुमुल विजय, संपादक, तुमुल तुफानी, मुरादाबाद ने अपने पत्र दिनांक 25.8.2020 में कहा है कि प्रतिवादी अपने बयान को दोहरा रहा है और उनकी शिकायत पर बिंदुवार उत्तर नहीं दे रहा है और इस तरह परिषद

को गुमराह कर रहा है। एक अन्य पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता ने 5,875/-रुपये के पांच प्रकाशित विज्ञापनों के मूल बिल की एक प्रति भुगतान के लिए भेजी ।

जांच समिति की रिपोर्ट

जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए यह मामला 09.12.2020 को नई दिल्ली में आया।

शिकायतकर्ता की शिकायत विज्ञापन बिलों का भुगतान न करने की है। नोटिस सेवित किये जाने के बावजूद, न तो शिकायतकर्ता और न ही प्रतिवादी उपस्थित हुए। 14.9.2020 के पत्र को कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिलारी को संबोधित किया गया, जिसमें बिल साथ में संलग्न किया गया था और विज्ञापन वाले समाचार पत्रों को कानून के अनुसार विज्ञापन बिल के भुगतान के लिए कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद को भेजा जाएगा। यह कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए।

पूर्वोक्त संस्तुतियों के साथ, जांच समिति शिकायत समाप्त करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त निदेशों के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

7. श्री शरद कटियार,
संपादक,
दैनिक यूथ इंडिया,
फर्रुखाबाद (उ.प्र.)

श्रीमती मोनिका रानी, आईएएस
जिला मजिस्ट्रेट,
फतेहगढ़, फर्रुखाबाद (उ.प्र.)

डॉ. अनिल कुमार मिश्रा,
पुलिस अधीक्षक,
फतेहगढ़ (उ.प्र.)

तथ्य

यह शिकायत दिनांकित 28.5.2019 श्री शरद कटियार, संपादक, दैनिक यूथ इंडिया, फर्रुखाबाद (उ.प्र.) ने श्रीमती मोनिका रानी, जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद के विरुद्ध उनके विपक्षियों के साथ मिलकर कथित रूप से उनकी सुरक्षा हटाने पर दर्ज की ।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने अपने समाचारपत्र में तथ्यों के आधार पर खबर प्रकाशित की थी, जिसके कारण स्थानीय अपराधियों और भू-माफियाओं ने उन्हें झूठे मामले में फंसाया और उन्हें वर्ष 2017-18 में 87 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। जब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, तो पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ ने दिनांक 15.12.2017 को पत्र भेजा, जिसमें अदालत में पेशी के दौरान कोतवाल फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए गए। जिला सुरक्षा समिति ने भी दिनांक 20.1.2018 और 30.6.2018 के पत्रों द्वारा उन्हें न्यायालय में पेशी के दौरान सुरक्षा प्रदान की। शिकायतकर्ता ने यह बताते हुए कि उसके पास वर्ष 2013 से लाइसेंसी रिवाल्वर है, प्रशासन से स्थायी सुरक्षा की मांग की। चूंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए उन्होंने उ.प्र. सरकार और अन्य के विरुद्ध माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका नंबर 10065/2019 दायर की। उसके बाद उन्होंने फिर से अदालत के दिनांक 28.3.2019 के आदेश के साथ जिला सुरक्षा समिति को आवेदन किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, पहले उनके प्रतिद्वंदी अधिवक्ता, श्री संजीव पारिया, सचिव, फतेहगढ़ बार एसोसिएशन ने उनकी सुरक्षा हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, फ़र्रुखाबाद को आवेदन दिया था। इसके बाद ज़िला समिति ने अपने आदेश दिनांक 22.7.2019 द्वारा उनकी सुरक्षा को यह कहते हुए हटा लिया कि उन (शिकायतकर्ता) के पास अपना लाइसेंसी हथियार है जोकि पर्याप्त माना जाता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में हथियार नहीं ले जा सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में वह अदालत में अपने हथियार को नहीं रख सकता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और एलआईयू निरीक्षक उनके विरोधियों के दबाव में किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

टिप्पणियों के लिए श्रीमती मोनिका रानी, जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद और डॉ अनिल कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ को दिनांक 30.10.2019 को नोटिस जारी किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ की टिप्पणियां

डॉ. अनिल मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ ने अपनी टिप्पणियों दिनांकित 10.11.2019 द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता बार काउंसिल के सचिव श्री संजय पारिया के विरूद्ध आपत्तिजनक तथा अपमानजनक लेख प्रकाशित करता रहा है, जोकि जांच में निराधार पाए गए हैं । प्रतिवादी ने आगे कहा कि उपर्युक्त कारणों की वजह से, शिकायतकर्ता को अपनी जान का खतरा है । न्यायालय में शिकायतकर्ता के विरूद्ध 10 विचाराधीन मामले लंबित हैं और उसके विरूद्ध कई अभियोग दर्ज हैं। प्रतिवादी के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट जिला सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और पुलिस अधीक्षक व एलआईयू प्रभारी इसके सदस्य हैं तथा समिति ही सुरक्षा के अनुरोध पर निर्णय लेती है । प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार की नई सुरक्षा नीति सं.682 पीजीएस / छ-पु0-2-14-700(1)2001 दिनांकित 09.05.2014, में आपराधिक व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में कोई निदेश नहीं है। अध्याय-01 के उप-अध्याय-17 में उल्लिखित है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से कोई खतरा नहीं है और इसके अलावा उसके पास एक लाइसेंसी हथियार भी है, जो उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त लगती है। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 10065 /2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में, जिला सुरक्षा समिति ने अपने निर्णय दिनांक 19.4.2019 को प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली फर्रुखाबाद को शिकायतकर्ता को अदालत में सुनवाई के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए निदेशित किया लेकिन समिति ने शिकायतकर्ता को नियमित गार्ड प्रदान करने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायत झूठी, निराधार है और केवल उन पर दबाव डालने के लिए दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता की प्रति-टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने दिनांक 11.12.2019 की अपनी प्रति-टिप्पणियों द्वारा अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा कि पूर्व में भी उस पर हमला किया जा चुका है और मामला विचाराधीन है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि हाल ही में उसे कई धमकियां

मिलीं और उसी के मामले दर्ज किए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसके कारण उन्हें पद से हटा दिया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि कई अनुरोधों के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने उनके विरोधियों के दबाव में उन्हें गार्ड मुहैया नहीं किया, जबकि उनका जीवन खतरे में है। उन्होंने परिषद से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है।

पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ की टिप्पणियां

डॉ. अनिल मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ ने दिनांक 1.12.2020 के अपने ईमेल द्वारा विवेचित किया कि दिनांक 30.3.2020 द्वारा शिकायतकर्ता को एक सुरक्षा गार्ड दे दिया गया है और उन्हे पुलिस अधीक्षक से अब और कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने परिषद से उन्हें जारी किया गया नोटिस वापिस लेने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र

शिकायतकर्ता श्री शरद कटियार, संपादक, दैनिक यूथ इंडिया, फर्रुखाबाद, उ.प्र. ने दिनांक 11.11.2020 के पत्र द्वारा विवेचित किया है कि प्रतिवादी-डॉ. अनिल कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्रवाई की है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020 को नई दिल्ली में आया । शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए और प्रतिवादी सं.1 का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता, श्री अभय कुमार तायल ने किया। श्री सुरेश चंद्र, पुलिस उप-निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक की ओर से उपस्थित हुए। श्री कटियार ने कहा कि वर्तमान के लिए, उन्हें कोई शिकायत नहीं है और वे शिकायत आगे जारी नहीं रखना चाहते।

जैसा कि अनुरोध किया गया, जांच समिति, शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

8. चौधरी अमर सिंह जौहरी,
पत्रकार,
आखिरी कोशिश,
पानीपत (हरियाणा)

मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार,
चंडीगढ़

महानिदेशक,
सूचना, जनसंपर्क एवं
भाषा विभाग,
हरियाणा सरकार,
चंडीगढ़

तथ्य

दिनांक 26.9.2019 को परिषद के सचिवालय में प्राप्त इस अदिनांकित शिकायत को चौधरी अमर सिंह जौहरी, खोजी पत्रकार, आखिरी कोशिश, पानीपत (हरियाणा) द्वारा सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ के विरूद्ध लोकसभा चुनाव-2019 की कवरेज के लिए प्रेस पास/अधिकार पत्र जारी न करने पर दर्ज की । शिकायतकर्ता के अनुसार, श्रीमती अनीता दत्ता, उप-निदेशक (प्रेस), सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ ने पत्रों दिनांकित 25.7.2019 और 21.8.2019 के जरिये उनसे अनुरोध किया कि वे उनके विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पास 7.8.2019 और 27.8.2019 को प्रेस पास के लिए उपस्थित हों, जबकि उनका वक्तव्य संयुक्त निदेशक द्वारा पहले ही 22.8.2019 को दर्ज कर लिया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, पानीपत ने उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी, पानीपत को एक पत्र दिनांक 10.5.2019 को

संबोधित किया, जिसमें कहा गया कि चूंकि श्री अमर सिंह जौहरी (शिकायतकर्ता) द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे तथा चुनाव के लिए अब केवल दो दिन शेष हैं, उनके लिए प्रेस पास जारी करना संभव नहीं है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी, पानीपत का जवाब एक छल है और इस मामले को उलझाने का प्रयास है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। प्रतिवादी के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगाते हुए, शिकायतकर्ता ने परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ को टिप्पणियों के लिए दिनांक 06.01.2020 को नोटिस जारी किया गया था।

टिप्पणियां

संयुक्त निदेशक (प्रेस), सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ ने टिप्पणियों दिनांकित 5.2.2020 द्वारा कहा कि जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी, पानीपत ने बताया कि उन्होंने आम लोकसभा चुनाव -2019 की कवरेज के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से पत्रकारों / फोटोग्राफरों को सूचित किया था, लेकिन जब उन्होंने शिकायतकर्ता से संपर्क करने की कोशिश की, तो यह बताया गया कि उसके पास न तो कोई ईमेल आईडी है और न ही व्हाट्सएप नंबर है और तदनुसार चुनाव प्राधिकरण कार्ड जारी करने के लिए उसका नाम नहीं भेजा जा सका। हालांकि, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, पानीपत से सूचना प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता को हरियाणा विधान सभा-2019 के चुनाव के लिए प्राधिकरण पत्र जारी किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है और तदनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के साथ-साथ शिकायतकर्ता को भी सूचित कर दिया गया है।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपने प्रति टिप्पणियों दिनांक 2.3.2020 द्वारा कहा कि प्रतिवादी ने उत्तर में गलत तथ्य देकर परिषद को गुमराह करने की कोशिश की है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी ने जवाब में स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता के पास कोई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नहीं है, फिर उसे दिनांक 12.5.2019 को आम लोकसभा

चुनाव-2019 की कवरेज के लिए प्राधिकार कार्ड कैसे मिला, हालांकि यह भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा जारी नहीं किया गया था । शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी ने अपने उत्तर में हरियाणा विधान सभा-2019 के चुनाव का उल्लेख किया, जो उसकी शिकायत का हिस्सा नहीं है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अन्य पत्र

दिनांक 22.5.2020 को परिषद के सचिवालय में प्राप्त अपने अदिनांकित पत्र द्वारा शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस लॉकडाउन के दौरान खबरों को इकट्ठा करने में मनमाने ढंग से बाधा उत्पन्न कर रही है, जिससे पाठकों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि उसने लॉकडाउन के दौरान खबरों की कवरेज के लिए प्रेस पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसे बिना किसी जांच के अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने परिषद से समाचारों के संग्रह के लिए एक प्रेस पास की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

मुख्य सचिव और महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ को टिप्पणियों के लिए दिनांक 11.8.2020 को नोटिस जारी किए गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020 को नई दिल्ली में आया । शिकायतकर्ता अनुपस्थित था। श्री देवेंद्र कुमार, उप निदेशक-सह-जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, पानीपत और श्री अनिल, आईसीए प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।

शिकायतकर्ता 2019 लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए प्राधिकार कार्ड जारी न करने से व्यथित है। प्रतिवादी महानिदेशक सूचना द्वारा उत्तर दर्ज किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि शिकायतकर्ता के पास कोई ईमेल आई.डी. या व्हाट्सएप नंबर नहीं था, अत: कवरेज के लिए प्राधिकार पत्र उसे नहीं भेजा गया था।

शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में, जांच समिति मामले में आगे कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है और तदनुसार, शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत समाप्त करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

9. श्री संजय कुमार शर्मा,
कार्यकारी सदस्य,
ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम
न्यूज़पेपर्स फ़ैडरेशन
नई दिल्ली

प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय
नई दिल्ली

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 17.1.2020 को ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फ़ैडरेशन, नई दिल्ली के सदस्य श्री संजय कुमार शर्मा ने पत्र सूचना कार्यालय के विरुद्ध कथित तौर पर पत्रकारों को मान्यता कार्ड जारी करने में देरी करने नवीनीकण न करने के कारण दर्ज की ।

शिकायतकर्ता ने बताया कि पत्रकारों के मान्यता कार्ड को नवीनीकृत करने का काम हर साल पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा किया जाता है और कार्ड की वैधता 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया में पीआईबी द्वारा लगातार देरी की जा रही है और इसलिए पीआईबी आवश्यकताओं के अनुसार हर साल पुराने मान्यता कार्ड की वैधता बढ़ाता है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2019 के लिए कार्ड की वैधता 31 दिसंबर 2019 तक है, लेकिन अभी भी 1000-1200 पत्रकारों के मान्यता कार्डों के नवीनीकरण का कार्य लंबित है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पीआईबी कार्यालय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। अक्सर, कार्यालय मनमाने ढंग से पत्रकारों से दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग करता है, जबकि नवीकरण के लिए आवेदन पत्र, पीआईबी द्वारा जारी किए गए नवीकरण नियम 2020 का अनुपालन करते हुए रिपोर्टरों द्वारा दर्ज किए जाते हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि संवाददाताओं

के मुद्दों के बारे में दिनांक 02.01.2020 को एक पत्र पीआईबी को भेजा गया था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पीआईबी प्रत्यायन नवीकरण नियम, 2020 के अनुसार, ब्रॉडकास्टिंग सर्टिफिकेट, आरएनआई रिटर्न, ड्राफ्ट-10 जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी पत्रकारों को इस तरह के अप्रासंगिक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह ज्ञात हुआ है कि पीआईबी कार्यालय बड़ी श्रेणी के समाचारपत्रों पर इस तरह के प्रश्न नहीं करता है। उन्होंने मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

अपर महानिदेशक से प्राप्त उत्तर

अपर महानिदेशक, श्रीमती निधि पांडे ने दिनांक 19 फरवरी, 2020 को उत्तर द्वारा विवेचित किया कि आवश्यक दस्तावेजों की सूची के साथ पीआईबी कार्ड के नवीनीकरण से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दी गई थी। यह अपेक्षित दस्तावेजों के फार्मेट में विशेषतः उल्लेख किया गया है कि यदि आवश्यक होगा, तो पीआईबी मान्यता के मामलों में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि पीआईबी को 2328 नवीनीकरण संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1950 कार्ड 15 जनवरी, 2020 से वितरण के लिए तैयार थे। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि 719 कार्ड 1 जनवरी, 2020 तक और 2011 कार्ड, 15 जनवरी, 2020 तक मीडियाकर्मियों से प्राप्त हुए हैं। आवेदकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण पीआईबी के पास केवल 49 आवेदन शेष हैं और अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, पीआईबी कार्ड तुरंत जारी किया जाएगा।

आरएनआई रिटर्न, ड्राफ्ट-10, अखबारों के मिलान और बाय-लाइन के संबंध में शिकायतकर्ता के आरोपों का जिक्र करते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि प्रधान महानिदेशक, पीआईबी अपने विवेकानुसार दस्तावेज जमा करने की मांग कर सकते हैं। बाय-लाइन का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि कुछ मीडियाकर्मी अन्य मीडिया संगठनों के समाचारों को एक ही शीर्षक और सामग्री के साथ प्रकाशित करते हैं, इसलिए कार्ड के नवीनीकरण से पहले मीडियाकर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि जो मीडिया कर्मी अंतिम तिथि (24.12.2019) तक आवेदन नहीं कर सके, उन्हें फॉर्म भरने के लिए तीन और दिन दिए गए थे। उन्होंने कहा है कि नवीनीकरण कार्ड जारी करते समय सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020 को नई दिल्ली में आया । शिकायतकर्ता, श्री संजय शर्मा स्वयं पेश हुए। सुश्री कंचन प्रसाद मंडलौस, ए.डी.जी. ने पत्र सूचना कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

शिकायतकर्ता की शिकायत नवीकरण और मान्यता कार्ड जारी करने में देरी है। प्रधान महानिदेशक ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है और मान्यता कार्ड के नवीकरण के लिए दायर आवेदनों का विवरण दिया है। जांच समिति ने शिकायतकर्ता और सुश्री कंचन प्रसाद, प्रतिवादी के लिए अपर महानिदेशक को सुना और शिकायतकर्ता की शिकायत में कोई गुण नहीं पाया है। तदनुसार, जांच समिति शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती है ।

* श्री अशोक कुमार नवरत्न ने सुनवाई में भाग नहीं लिया।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

तथ्य

10. श्री बी.पी. गौतम
संपादक/पत्रकार
गौतम संदेश
बदायूं (उ.प्र.)

जिला मजिस्ट्रेट
जिला बदायूं
(उ.प्र.)

श्री रामनिवास शर्मा
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन)
जिला बदायूं (उ.प्र.)

यह शिकायत दिनांक 13.6.2019 को श्री बी.पी. गौतम, संपादक/ पत्रकार, गौतम संदेश, बदायूं (उ.प्र.) ने श्री रामनिवास शर्मा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन, जिला बदायूं) के विरूद्ध लोक सभा चुनाव 2019 के लिए केन्द्रों की गिनती के लिए पास जारी न करने पर दर्ज की ।

शिकायतकर्ता के अनुसार, बदायूं में एक जिला सूचना अधिकारी की नियुक्ति के बावजूद, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), बदायूं को समय-समय पर चुनावों के दौरान पास जारी करने के लिए नामांकित किया गया है। शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि उन्हें दिनांक 23 अप्रैल, 2019 को लोकसभा चुनाव-2019 को कवर करने के लिए एक सामान्य पास जारी किया गया था, लेकिन दिनांक 23 मई, 2019 की मतगणना को कवर करने के लिए पास नहीं दिया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि जिला सूचना अधिकारी, बदायूं ने उन्हें सूचित किया कि उनका पास तैयार हो चुका है, लेकिन अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), बदायूं ने उनके प्रेस पास पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करने पर, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पास पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि उसने जिला सूचना अधिकारी, बदायूं के साथ फिर से अपर जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया लेकिन उसने हस्ताक्षर नहीं किए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रेस पास उपलब्ध न होने के कारण वह मतगणना की खबर को कवर नहीं कर सका।

शिकायतकर्ता ने विवेचित किया कि उसने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायत की, जिसे उ.प्र. सरकार के सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया था और उसके बाद सचिव द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं को भेज दिया गया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं ने अपने अधीनस्थ जिला सूचना अधिकारी, बदायूं को जांच के लिए नामित किया और जिला सूचना अधिकारी ने यह कहते हुए शिकायत को बंद कर दिया कि इस मामले का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। शिकायतकर्ता ने परिषद से प्रतिवादी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

जवाबी वक्तव्य हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं और श्री रामनिवास शर्मा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), बदायूं को दिनांक 7.11.2019 को नोटिस जारी किए गए।

लिखित वक्तव्य

श्री रामनिवास शर्मा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), बदायूं ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 28.11.2019 द्वारा सूचित किया कि तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति का अनुपालन करते हुए लोकसभा चुनाव-2019 की कवरेज के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रेस पास जारी किए गए थे। ।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 14.12.2019 द्वारा अपनी शिकायत को दोहराते हुए आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने अपने उत्तर में अपनी गलती को छिपाने की कोशिश की है क्योंकि उसका प्रेस पास जिला सूचना अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन प्रतिवादी ने जानबूझकर इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि वह एक अपराधी नहीं है और वह कोई कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं कर सकता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों जिला कलेक्टर और अपर जिला कलेक्टर ने प्रेस के स्वतंत्र कामकाज में जानबूझकर बाधा उत्पन्न की।

प्रतिवादी से प्राप्त अन्य पत्र

श्री रामनिवास शर्मा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), बदायूं ने अपने पत्र दिनांक 04.01.2020 द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता के साथ दिनांक 26.12.2019 को मामला सुलझा लिया गया है। उन्होंने इस संबंध में शिकायतकर्ता के दिनांक 26.12.2019 के पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020 को नई दिल्ली में आया । शिकायतकर्ता, श्री बी.पी. गौतम, संपादक स्वयं उपस्थित हुए । प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई ।

जांच समिति ने शिकायतकर्ता को सुना और शिकायतकर्ता की याचिका और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन किया। जांच समिति ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26.12.2019 के पत्र का भी अवलोकन किया कि उसे संबंधित व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, जांच समिति इस मामले में आगे कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है और शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत समाप्त करने का निर्णय लेती है ।

स्व: प्रेरणा से संज्ञान

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

11. **श्री आशीष अवस्थी, संपादक, मीडिया ब्रेक, साप्ताहिक समाचारपत्र/ न्यूज़ पोर्टल के विरूद्ध शिकायत दर्ज होने पर स्व: प्रेरणा से संज्ञान ।**

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद के एक सदस्य ने दिनांक 13.5.2020 को पत्र द्वारा विवेचित किया कि श्री आशीष अवस्थी, संपादक, मीडिया ब्रेक, साप्ताहिक समाचार पत्र / न्यूज़ पोर्टल ने कोविड-19 महामारी के दौरान होम गार्डों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था । समाचार प्रकाशित होने के बाद, उच्च अधिकारियों के निदेश पर श्री राजीव सिंह, इंस्पेक्टर इंचार्ज, पुलिस स्टेशन बाबूपुरवा, कानपुर सिटी, ने भारतीय दंड संहिता की धारा 501/505 और आईटी एक्ट तथा महामारी अधिनियम के तहत श्री आशीष अवस्थी, संपादक, मीडिया ब्रेक के विरूद्ध एफआईआर सं. 115/20 दिनांकित 12.5.2020 दर्ज की।

कोई जवाब नहीं

मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, मामले के तथ्यों पर एक रिपोर्ट, परिषद के पत्र द्वारा दिनांकित 20.5.2020 द्वारा मुख्य सचिव, यूपी सरकार और पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. से मांगी गई लेकिन समयबद्ध अनुस्मारक दिनांकित 3.7.2020 जारी करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 10.12.2020 को नई

दिल्ली में आया । श्री रनिश तोमर, वरिष्ठ सहायक तथा श्री अब्दुल कलाम, उप निरीक्षक, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए ।

परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया जब यह पता चला कि एक समाचारपत्र के संपादक श्री आशीष अवस्थी को एक आपराधिक मामले में होम गार्डों की दुर्दशा के बारे में एक रिपोर्ट के लिए आरोपी बनाया गया था और तदनुसार, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया था ।

श्री अब्दुल कलाम, पुलिस निरीक्षक उपस्थित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि बाबूपुरवा पुलिस थाने में दिनांक 11 मई, 2020 को मामला सं.0115, उक्त पत्रकार के खिलाफ दर्ज किया गया है । जांच समिति ने एक ऑडियो-वीडियो क्लिप पर विचार किया है जो यह सुझाव देता है कि पत्रकार ने उक्त समाचार को उस आधार पर प्रकाशित किया है और ऐसा करते समय उन्होंने पत्रकारिता के आचरण के किसी भी मानदंड का उल्लंघन नहीं किया है । जांच समिति ने आगे पाया कि मामला दिनांक 11 मई, 2020 को दर्ज किया गया था और आज तक जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है । श्री कलाम कहते हैं कि जिस ऑडियो-वीडियो क्लिप पर समाचार आधारित था, वह जांच अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है । उक्त ऑडियो-वीडियो क्लिप श्री कलाम को उपलब्ध कराया गया । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, जांच समिति जांच अधिकारी को निदेश देती है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत जांच पूरी करे और रिपोर्ट को दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे । उपर्युक्त निदेशों सहित, जांच समिति कार्यवाही बंद करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है और कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

12. **उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को कवर करने के दौरान मीडियाकर्मियों पर हमले के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान।**

तथ्य

नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने ईमेल 26.2.2020 के द्वारा उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को कवर करने के दौरान मीडियाकर्मियों पर हमले की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया है। यह कहा गया है कि JK24X7 समाचार के साथ काम करने वाले एक पत्रकार को एक गोली लगी और NDTV के दो पत्रकारों को हमलावरों ने पीटा तथा मुक्के मारे। श्री आकाश, जो मौजपुर में सांप्रदायिक झड़पों को कवर करते हुए एक गोली का शिकार हुए, अस्पताल में हैं जहां उनकी हालत गंभीर है। NDTV के पत्रकार, श्री अरविन्द गुणसेकर पर हमलावरों ने हमला किया, और इसमें उन्होंने एक दाँत खो दिया था। उनके साथी रिपोर्टर, श्री सौरभ, जिन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की,को भी मुक्का मारा गया। एक महिला पत्रकार को भी चोटें आई हैं।

टिप्पणियों के लिए नोटिस 29.4.2020 मुख्य सचिव, गृह सचिव, दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को जारी किए गए।

टिप्पणियां

श्री वेद प्रकाशसूर्या, आईपीएस, पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पूर्वी जिला, दिल्ली ने 14.9.2020 की टिप्पणी में कहा है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, फरवरी, 2020 के दौरान सांप्रदायिक हिंसा को कवर करते हुए मीडिया पर हमले के संबंध में पूर्वोत्तर जिले के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा है कि यदि भारतीय प्रेस परिषद के कार्यालय में कोई शिकायत उपलब्ध है, तो उसे डीसीपी/पूर्वोत्तर, दिल्ली के कार्यालय को भेजा जा सकता है ताकि वे आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकें। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी एसीपी/सब-डिवीजन और एसएचओ को निदेशित किया गया है कि मीडियाकर्मी पर हमले की कोई भी घटना सामने आने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए।

पुलिस उपायुक्त, उत्तर पूर्व, दिल्ली की रिपोर्ट

श्री वेद प्रकाश सूर्या, आईपीएस, पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पूर्व, दिल्ली ने दिनांक 8.12.2020 की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जम्मू-कश्मीर समाचार चैनल के पत्रकार श्री आकाश नापा, 25.2.2020 को पीएस, भजनपुरा में समाचार कवर करते समय छाती के बाईं ओर एक गोली लगने से घायल हो गए थे। उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया

गया और 2.3.2020 को छुट्टी दे दी गई। दंगे की घटना के लिए, पीएस भजनपुरा में धारा 144/145/147/148/149/151/186/307/353/332/336/436 आईपीसी और 27 आर्म्स एक्ट और ¾ पीडीपीपी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पत्रकार का बयान 9.3.2020 को लिया गया और मामले की जांच चल रही है।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि श्री अरविन्द कुमार जी, पत्रकार NDTV 25.2.2020 पीएस ज्योति नगर क्षेत्र में दंगों की घटना को कवर करने के दौरान साथ ही साथ उनके साथी श्री सौरभ शुक्ला NDTV और CNN News 18 से सुश्री रुनझुन शर्मा घायल हो गए थे। पीएस ज्योति नगर में आईपीसी की धारा 147/148/149/323/34 के तहत एफ आई आर 91/2020 दिनांक 4.3.2020 के जरिये मामला दर्ज किया गया है। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है और जांच के दौरान दो आरोपियों अर्थात् श्री अजय (21 वर्ष) और श्री गौरव पांचाल (26 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। जांच चल रही है।

जांच समिति की रिपोर्ट

नई दिल्ली में 9.12.2020 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए मामला आया। श्री वेद प्रकाश सूर्या, डीसीपी/नार्थ ईस्ट, श्री राजेश डीईओ, डीसीपी/कानूनी और श्री अमित प्रसाद, अधिवक्ता प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।

नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को कवर करते हुए मीडियाकर्मियों पर हमले की ओर परिषद का ध्यानाकृष्ट किया था। परिषद ने, तदनुसार, स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया और मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी। पुलिस उपायुक्त, नार्थ ईस्ट ने रिपोर्ट दिनांक 8.12.2020 में कहा है कि एक पत्रकार श्री आकाश नापा, पत्रकार को गोली लगी और उन्हें एक पीसीआर वैन द्वारा जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। आगे यह कहा गया है कि उपरोक्त पत्रकार की चोट की जांच F.I.R. संख्या 68/20, 26 फरवरी, 2020 में की जा रही है। आगे यह कहा गया है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि पत्रकार श्री अरविन्द कुमार को भी इस घटना को कवर करते हुए चोट आयी थी और वही एफआईआर संख्या 91/2020 दिनांक 4/3/2020 में जांच का विषय है। जांच के दौरान, रिपोर्ट के अनुसार, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

श्री अमित प्रसाद जो दिल्ली पुलिस की ओर से उपस्थित हुए हैं, का स्पष्ट रूप से कहना है कि उपरोक्त पत्रकार को पुलिस पार्टी के हाथों कोई चोट नहीं पहुंची है।

जैसा कि दोनों पत्रकारों की चोट का कारण दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में जांच का विषय है, जांच समिति इस मामले में आगे बढ़ने की इच्छुक नहीं है और संस्तुति करती है कि कार्यवाही बंद कर दी जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तर्कों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर, कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

13. जम्मू-कश्मीर में गोलीबारी के दौरान फोटो पत्रकारों को चोट लगने के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान।

तथ्य

इंडियन एक्सप्रेस के दिनांक 23.01.2019 के अंक में **"जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में मारे गए तीन उग्रवादियों में से एक आईपीएस अधिकारी का भाई"** कैप्शन के तहत एक रिपोर्ट भारतीय प्रेस परिषद के सामने आयी है । समाचार रिपोर्ट में बताया गया कि लड़ाई के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले चार फोटोग्राफरों को तब घायल कर दिया गया था जब सुरक्षाकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए छर्रे दागे । यह भी बताया गया कि हिंदुस्तान टाइम्स के फोटोग्राफर, श्री वसीम अंद्राबी, राइजिंग कश्मीर के श्री निसार-उल-हक, अल्टरनेटिव न्यूज़ के फोटो जर्नलिस्ट, श्री मीर बुरहान और कश्मीर एसेन्स न्यूज़ पोर्टल के श्री जुनैद गुलज़ार को चोटे आयीं जब सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों की दिशा में गोलियां चला दीं । घायल श्री निसार-उल-हक के अनुसार "हम प्रदर्शनकारियों की तरफ खड़े थे। हमने अपने कैमरों को पकड़ रखा था ताकि सुरक्षा बल हमें उनकी तरफ से पार करने दें और हम तस्वीरें खींच सकें। इससे पहले कि हम ऐसा कर पाते, हमने एक धमाका सुना और हममें से छह नीचे गिर गए । श्री वसीम और मैंने

एक-दूसरे को देखा । हमारे चेहरे से खून बह रहा था। " श्री अंद्राबी के चेहरे पर भी छर्रे लगे थे । "मेरे अपने चेहरे पर भी आठ छर्रे लगे थे, शुक्र है कि मेरी आंखें बच गईं।" श्री मीर बुरहान और श्री जुनैद गुलज़ार को मामूली चोटें आईं । कश्मीर प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मुख्तार अहमद ने राज्यपाल और पुलिस महानिदेशक से इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देने का अनुरोध किया । कश्मीर प्रेस क्लब और कश्मीर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी इस घटना की जांच के लिए कहा है ।

मामले में स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, जवाब में बयान हेतु जम्मू कश्मीर सरकार को दिनांक 29.1.2019 को नोटिस जारी किए गए ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शोपीयां, श्रीनगर द्वारा दर्ज़ रिपोर्ट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला शोपियां ने दिनांकित 24.5.2019 रिपोर्ट द्वारा विवेचित किया कि दिनांक 22.1.2019 को पुलिस स्टेशन ज़ैनपोरा को विश्वस्त स्रोतों से इस बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादी ग्राम शिरमल में एक ठिकाने में छिपे हुए हैं । इस प्रकार, सूचना पर कार्य करते हुए, सेना के सहयोग से शोपियां पुलिस ने क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया और इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी गोलीबारी के दौरान तीन आतंकवादियों (i) शम्स-उल-हक मंगनु (ii) आमिर सुहैल भट्ट और (iii) शोएब अहमद शाह को मौके पर ही मार दिया गया और घटना स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया ।

उन्होंने आगे बताया कि आतंकवादियों के विरूद्ध तलाशी अभियान के दौरान, घेराबंदी वाले गांव और आसपास के गांवों के निवासी आमतौर पर एक अनियंत्रित भीड़ बनाते हैं और घेराबंदी और तलाशी अभियान में कठिनाई पैदा करने और आतंकवादियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के उद्देश्य से पत्थर, पेट्रोल बम आदि फेंककर नुकसान पहुंचाते हैं । शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें तितर-बितर करने के कई अनुरोधों के बावजूद, भीड़ ने गंभीर पथराव का सहारा लिया । अन्य कोई विकल्प न रह जाने के बाद सुरक्षा बलों ने ऐसे उपाय किए जिससे स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद मिली । उन्होंने यह भी कहा कि:

उल्लेखनीय है कि न तो इस कार्यालय और न ही संबंधित पुलिस स्टेशन के पास किसी भी फोटो पत्रकार द्वारा घटना में लगी चोटों के संबंध में कोई पुख्ता सूचना है, न तो उनके द्वारा अपने वृत्तिक कर्तव्यों का

पालन करते हुए, और न ही जिला शोपियां के किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी भी चोट के ज्ञापन को तैयार किया गया और संबंधित पुलिस थाने को अग्रेषित किया है ।

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, जिला शोपीयां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने परिषद से मामले में कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 12.12.2019 को दर्ज रिपोर्ट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला शोपियां ने दिनांक 12.12.2019 को दिए गए अन्य उत्तर द्वारा अपने पहले दर्ज किए गए उत्तर को दोहराते हुए विवेचित किया कि जांच समिति के दिनांक 27.5.2019 के आदेश के अनुसरण में मामले की जांच की गई थी, जिसमें पता चला है कि 04 पत्रकार अर्थात् (1) श्री निसार-उल-हक़-अली (2) श्री जुनैद गुलज़ार शाह (3) श्री मीर बुरहान और (4) श्री वसीम अंद्राबी को शिरमल में हुए पथराव की घटना के दौरान छर्रों से चोटें लगी । सभी चार फोटो पत्रकारों को पुलिस स्टेशन ज़ैनपोरा में घटना के संबंध में अपने बयान दर्ज करने के लिए सूचित किया गया था । 04 पत्रकारों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए, जिन्होंने अपने बयान में बताया कि दिनांक 22.1.2019 को वे मुठभेड़ की कवरेज करने के लिए ग्राम शिरमल गए थे, जो वहां चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी उपद्रवियों के बीच फंस गए जो गांव शिरमल के पास तैनात सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे थे तथा वे मुठभेड़ स्थल की ओर आगे बढ़ रहे थे । सुरक्षा बलों ने इन उपद्रवियों को तितर-बितर करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बलों पर पथराव जारी रखा । उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने हर संभव उपाय किए । इन फोटो पत्रकारों के दर्ज बयानों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने जानबूझकर उनकी ओर गोलियां नहीं चलाईं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि वे उपद्रवियों के बीच फंस गए थे । सुरक्षा बल उन्हें अनियंत्रित भीड़ में पहचान नहीं सके, जिसके कारण कुछ छर्रे उन्हें भी लगे ।

थाना अधिकारी, ज़ैनपोरा, शोपीयां द्वारा दर्ज़ उत्तर

थाना अधिकारी, ज़ैनपोरा, शोपियां ने दिनांक 5.12.2020 के उत्तर द्वारा कहा कि दिनांक 22.1.2019 को पुलिस थाना, ज़ैनपोरा को विश्वस्त स्रोत के माध्यम से इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन एचएम के आतंकवादी गांव शिरमल में एक ठिकाने पर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर, पुलिस शोपियां ने सेना और

सीआरपीएफ के साथ मिलकर गांव शिरमल में एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को मारने के इरादे से छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के ठिकाने से अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की । कानून और व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों के दौरान, ग्राम शिरमल और अन्य निकटवर्ती गांवों के पुरुषों और महिलाओं सहित उपद्रवियों को सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान में कठिनाई पैदा करने के इरादे से बेलगाम भीड़ के रूप में इकट्ठा किया गया । उन्होंने सुरक्षाबलों द्वारा घेरे गए आतंकवादियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए पत्थरों और लाठियों से हमला किया । अनियंत्रित भीड़ को कई बार मुठभेड़ स्थल से खदेड़ने और दूर जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मुठभेड़ स्थल के करीब जाना शुरू कर दिया और सुरक्षा बलों पर पथराव जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप कई सुरक्षा बलों के जवानों को चोटें आईं ।

किसी भी अन्य पत्रकार ने पत्रकार को किसी भी तरह की चोट के बारे में इस पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट या सूचित नहीं किया, हालांकि, परिषद द्वारा लिए गए स्व: प्रेरणा संज्ञान के बाद, एक जांच आरंभ की गई और यह पता चला कि चार फोटो पत्रकारों अर्थात् 1. निसार-उल-हक-अली 2. जुनैद गुलज़ार शाह 3. मीर बुरहान और 4. वसीम अंद्राबी को छर्रे लगने की वजह से चोटें आई । सभी चार पत्रकारों को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए सूचित किया गया था, जिन्होंने अपने बयानों में खुलासा किया था कि दिनांक 22.1.2019 को वे मुठभेड़ की कवरेज के लिए शिरमल गांव गए थे जो वहां चल रहा था लेकिन दुर्भाग्यवश वे सभी, सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे उपद्रवियों के बीच में फंस गए । उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और कुछ छर्रे दागे । इन फोटो पत्रकारों के दर्ज बयानों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने जानबूझकर उनपर गोलियां नहीं चलाईं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि वे बदमाशों के बीच फंस गए थे, जिसके कारण सुरक्षा बल उन्हें पहचान नहीं पाए और दुर्भाग्यवश उन्हें छर्रे लगे । जांच के दौरान दो बदमाशों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2020 को नई दिल्ली में आया । श्रीमती विदूषी कपूर, सूचना उप निदेशक तथा सुश्री सुनीता काचरू, वरिष्ठ सहायक ने मुख्य सचिव, जम्मू का प्रतिनिधित्व किया और श्री मोहम्मद अशरफ, एएसआई और श्री नाज़िर अहमद, एचसी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शोपीयां का प्रतिनिधित्व किया ।

परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया जब यह ज्ञात हुआ कि स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले चार फोटो पत्रकारों को चोटें आई हैं, जब सुरक्षाकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए गोलीबारी की और तदनुसार मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को नोटिस जारी किया गया । रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें कहा गया कि पत्रकारों का बयान दर्ज किया गया है और अपने बयान में उन्होंने स्वीकार किया है कि वे संयोगवश घायल हो गए थे और उन्हें निशाना नहीं बनाया गया था । जांच के दौरान दर्ज किए गए फोटो पत्रकारों का बयान हमारे सामने पेश किया गया है ।

इस तथ्य के मद्देनजर कि फोटो पत्रकारों को निशाना नहीं बनाया गया था और आगे, कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान उन्हें चोटें आई हैं, जांच समिति इस मामले में आगे कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है और तदनुसार, कार्यवाही बंद करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

14. श्री आशीष राजे, फोटो पत्रकार पर मुंबई पुलिस द्वारा कथित रूप से हमले के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान ।

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद को श्री कमल नैन नारंग, सदस्य, पीसीआई और श्री एस.एन. सिन्हा, पूर्व सदस्य, पीसीआई से "द इंडियन एक्सप्रेस" के दिनांक 7.2.2020 में "Cops manhandle photojournalist at Mumbai Stir" कैप्शन के अंतर्गत प्रकाशित एक समाचार के बारे में ईमेल दिनांक 8.2.2020 प्राप्त हुई। समाचार में बताया गया कि नागपाड़ा पुलिस ने एक फोटो जर्नलिस्ट, श्री आशीष राजे को बंधक बना लिया, जब वह नागपाड़ा में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) और द नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहा था । जैसे ही मुंबई प्रेस क्लब के संयुक्त सचिव श्री राजे ने अरब होटल के पास सड़क के पिछले छोर से प्रवेश किया, उन्हें पुलिस द्वारा पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने

के लिए कहा गया था, स्रोत ने कहा । जब श्री राजे ने पुलिस को प्रतीक्षा करने के लिए कहा, दो कांस्टेबलों ने कथित तौर पर उन्हें उग्रतापूर्वक पकड़ लिया । 26 जनवरी को शुरू हुए विरोध के बाद से पुलिस, इसमें शामिल होने वालों की एक सूची बना रही है । यह भी बताया गया है कि अपर पुलिस आयुक्त, श्री नीलेश प्रभु ने मामले की जांच शुरू कर दी है ।

इस मामले में स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, परिषद ने मुख्य सचिव, सचिव गृह (पुलिस) विभाग, पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को दिनांक 18.2.2020 को टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किया ।

टिप्पणियां

पुलिस उपायुक्त, जोन-3, मुंबई ने दिनांक 22.4.2020 की टिप्पणी द्वारा विवेचित किया कि दिनांक 26.01.2020 को नागपाड़ा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मोरलैंड रोड पर कुछ पुरुष और महिलाएं एकत्रित हुए और सीएए और एनआरसी को लागू किए जाने के विरोध में नारे लगाने लगे । कुछ ही मिनटों में लगभग 200 से 300 बुर्क़ा पहने महिलाएं मौके पर जमा हो गईं और उपर्युक्त अधिनियमों के लागू होने के विरूद्ध नारे देकर अपना आंदोलन शुरू कर दिया । दो तीन दिनों के बाद, आंदोलन की जगह को "मुंबई बॉग" कहा जाने लगा और केवल महिला आंदोलनकारियों ने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया । महिला आंदोलनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, पर्याप्त संख्या में पुरुष और महिला अधिकारी वर्दी के साथ-साथ सादे कपड़ों में तैनात किए गए । प्रतिवादी ने आगे कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य उक्त स्थान का दौरा कर रहे थे और हर रोज़ समाचार प्रकाशित और प्रसारित किए जाते थे । प्रतिवादी के अनुसार, दिनांक 06.02.2020 को ए.पी.आई., श्री घनश्याम बोरसे, प्रोबेशनरी पी.एस.आई., श्री अजीम शेख और श्री प्रदीप मराठे सहित अन्य कर्मचारी बैरिकेड्स के पास आंदोलन की जगह के पीछे की तरफ ड्यूटी के लिए तैनात थे । नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक द्वारा अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर स्पष्ट निदेश जारी किए गए थे कि मोरलैंड रोड पर केवल स्थानीय निवासियों, दुकानदारों, कर्मचारियों को अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को उसके पहचान पत्र के सत्यापन के बिना अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । तदनुसार, पुलिस कर्मचारी आगे और पीछे की ओर बैरिकेड पर ड्यूटी के लिए तैनात थे और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे । मिड-डे समाचारपत्र के फोटो पत्रकार श्री आशीष राजे अपने सहयोगी श्री सतीश दत्तात्रे मालवडे मुंबई मिरर के फोटो पत्रकार, के साथ, अरेबिया होटल साइड फुटपाथ से दोपहर लगभग 2:30 बजे आंदोलन की जगह पर

आए थे । वे दोनों दोपहर 2:45 बजे तक उक्त स्थान पर थे और फिर वे दोनों पीछे की ओर लगे बैरिकेड की ओर बढ़े और चाय पीने के लिए इसे पार किया । श्री आशीष राजे ने पिछली तरफ के बैरिकेड्स से बाहर निकलते समय, पीएसआई, श्री मराठे से बात की, उस समय एपीआई, श्री बोरसे कोकानी हॉल और प्रोबेशनरी पीएसआई के पास अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कुछ दूरी पर बातचीत कर रहे थे, श्री अजीत शेख दोपहर के भोजन के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। । श्री आशीष राजे और उनके उपर्युक्त सहयोगी ने दोपहर लगभग 3:45 बजे पीछे की ओर की बैरिकेड पर वापसी की और उसमें से प्रवेश करना शुरू किया । उस समय ए.पी.आई., श्री बोरसे और प्रोबेशनरी पी.एस. आई., श्री अजीम शेख अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे । जब श्री आशीष राजे बैरिकेड ए.पी.आई. के अंदर आए, तो श्री बोरसे ने उन्हें रोका और उनका पहचान पत्र मांगा । श्री आशीष राजे ने एक फोटो पत्रकार के रूप में अपना परिचय दिया । जब ए.पी.आई., श्री बोरसे ने उनसे अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने इसे दिखाने से इनकार कर दिया और आंदोलन की ओर बढ़ने की कोशिश की । उनके सहयोगी श्री मालवडे बैरिकेड्स के पीछे रहे और इसके बाद जो हुआ उन्होंने उस पूरी घटना की तस्वीरें लीं । ए.पी.आई, श्री बोरसे और फोटो पत्रकार श्री आशीष राजे, जिसने अपना पहचान पत्र दिखाने से इनकार कर दिया था, के बीच विवाद हो गया और फिर ए.पी.आई. श्री बोरसे और प्रोबेशनरी पी.एस.आई. अजीम शेख ने उसे बैरिकेड के बाहर धकेल दिया ।

इस घटना में अपर पुलिस आयुक्त मध्य क्षेत्र द्वारा तुरंत प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया था और दो साल की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया ।

आगे टिप्पणियां

श्री निमित गोयल, पुलिस उपायुक्त जोन-3, मुंबई ने आगे दिनांक 7.12.2020 के उत्तर द्वारा बताया कि घटना के बाद, अपर पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्र, मुंबई ने एसीपी, ताड़देव खंड, मुंबई के माध्यम से प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे । तदनुसार, एसीपी, ताड़देव ने जांच की और नौ पुलिस कर्मियों और गवाहों के बयान दर्ज किए और चिकित्सा साक्ष्य भी एकत्र किए और दिनांक 28.2.2020 को जांच रिपोर्ट अपर पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्र, मुंबई को सौंप दी । आगे बताया गया कि पुलिस कर्मियों और श्री आशीष राजे (मिड-डे के फोटो-पत्रकार) तथा श्री सतीश मालवडे (मुंबई मिरर के फोटो पत्रकार) के बयानों और घटना की तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि श्री आशीष राजे को चोटें तब लगीं जब वह एपीआई, श्री बोरसे और प्रोबेशनरी पीएसआई,

श्री अजीम शेख द्वारा बैरिकेड से बाहर धकेले गए । यह भी कहा गया कि इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को टाला जा सकता था, यदि फोटो-पत्रकार श्री आशीष राजे ने अपना पहचान पत्र दिखाया होता । हालांकि, अपर पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्र, मुंबई के दिनांक 8.2.2020 के आदेश द्वारा तुरंत एपीआई, श्री घनश्याम बोरसे और पीएसआई, श्री अजीम शेख को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से केंद्रीय क्षेत्र नियंत्रण कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया । रिपोर्ट के अनुसार, प्रोबेशनरी पीएसआई, श्री अजीम खान को कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए अपर पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्र, मुंबई के दिनांकित 28.2.2020 आदेश द्वारा उन्हें पुनः केंद्रीय क्षेत्र नियंत्रण कक्ष से नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पर वापिस तैनात किया गया और एपीआई, श्री बोरसे को भी ड्यूटी पर बहाल कर दिया गया । आगे कहा गया कि एसीपी, ताड़देव द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर, अपर पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्रीय, मुंबई ने दिनांकित 28.2.2020 आदेश द्वारा एपीआई, श्री बोरसे को दो वर्ष की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था । इस संबंध में, एपीआई, बोरसे ने 10.10.2020 को उक्त नोटिस का जवाब दिया है । प्रतिवादी ने कहा है कि अंतिम निर्णय लंबित है, जिसे प्राप्त करने के तुरंत बाद उसकी सूचना भेजी जाएगी ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 9.12.2020 को नई दिल्ली में आया । जहां श्री एस.एन. सिन्हा, पूर्व सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद, पत्रकार की ओर से पेश हुए, वहीं प्रतिवादी सरकार का प्रतिनिधित्व सहायक पुलिस निरीक्षक श्री सचिन बी शिंदे द्वारा किया गया ।

परिषद का ध्यान मुंबई पुलिस द्वारा एक फोटो पत्रकार के साथ हाथापाई के बारे में एक पूर्व और वर्तमान परिषद के सदस्य द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार द्वारा आकर्षित किया गया था । परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया और मुख्य सचिव और महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी । पुलिस उपायुक्त, जोन-3, मुंबई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि जब यह घटना अधिकारियों के संज्ञान में आई, तो अपर पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्र ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए । जांच में यह पाया गया है कि एपीआई, श्री बोरसे और प्रोबेशनरी पीएसआई, श्री अजीम शेख ने फोटो पत्रकार, श्री आशीष राजे के साथ हाथापाई की और उन्हें चोटें पहुंचाईं । आगे कहा गया कि एसीपी, श्री विनय गाडगिल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, दिनांक 28 फरवरी, 2020 के आदेश द्वारा ए.पी.आई., बोरसे को दो साल की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

श्री सचिन शिंदे, एपीआई प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए और कहा कि अभी तक अंतिम आदेश नहीं आया है ।

जब 28 फरवरी, 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तो इतनी लंबी अवधि के लिए अंतिम आदेश पारित होने से रोकने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, जांच समिति आज से चार सप्ताह के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए पुलिस उपायुक्त / अनुशासनिक प्राधिकरण को निदेश देती है और पारित आदेश की एक प्रति परिषद के सचिवालय को भिजवायी जाए।

उपर्युक्त निदेश के साथ, जांच समिति कार्यवाही बंद करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

15. **सुश्री तोंगम रीना, संपादक, अरुणाचल प्रदेश को ऑनलाइन खतरा होने के संबंध में इंटरनेशनल फ़ैडरेशन ऑफ जर्नलिस्टस द्वारा जारी मीडिया रिलीज़ के संदर्भ में स्वः प्रेरणा से संज्ञान।**

तथ्य

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ जर्नलिस्ट द्वारा दिनांक 24.4.2020 को "India: Online abuse hurled at associate editor Tongam Rina" शीर्षक के तहत जारी मीडिया रिलीज़ पर भारतीय प्रेस परिषद ने गौर किया है । मीडिया रिलीज़ में बताया गया कि अरुणाचल टाइम्स की सह संपादक सुश्री तोंगम रीना कई ऑनलाइन पोस्टों में ऑनलाइन ट्रोलिंग और शारीरिक हिंसा के खतरों का निशाना बनी हैं। आगे बताया गया कि अरुणाचल टाइम्स में दिनांक 18.4.2020 को "Wildlife hunting on spike, say forest officials" "वन्यजीव शिकार में वृद्धि, वन अधिकारियों ने कहा"

(अनूदित वर्तन) कैप्शन के अंतर्गत एक लेख प्रकाशित किया गया था। लॉकडाउन के दौरान वन्यजीवों के शिकार के बढ़ने पर लेख को नोट करते हुए, राज्य वन विभाग ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उल्लंघन की जांच के दौरान तीन लोगों की पहचान की है। लेख में व्हाट्सएप पर परिचालित तीन वीडियो की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिनमें से दो में, एक आदमी का दावा है कि उसने मांस के लिए कोबरा साँप का शिकार किया था। वीडियो वायरल हुए और सुश्री रीना के प्रति दुर्व्यवहार बढ़ा । ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकियों के बाद, सुश्री रीना ने भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत एक एफ़आईआर दर्ज की ।

मामले में स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, अरुणाचल प्रदेश से दिनांक 15.5.2020 को मामले के तथ्यों पर रिपोर्ट मांगी गई तथा दिनांक 28.10.2020 को समयबद्ध अनुस्मारक भेजा गया ।

उत्तर

पुलिस अधीक्षक (अपराध), पुलिस महानिदेशक कार्यालय, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर ने अपने उत्तर दिनांक 5.6.2020 द्वारा बताया कि श्रीमती तोंगम रीना की शिकायत पर अपराध शाखा पुलिस स्टेशन (एसआईटी) में आईपीसी की धारा 506/509 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 तथा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 6 के तहत सीबी-पीएस (एसआईटी) सी/सं.08/2020 द्वारा दिनांक 22.4.2020 को मामला दर्ज किया गया था। प्रतिवादी ने विवेचित किया कि जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया टीम, फेसबुक को उपयोगकर्ताओं के आईपी पते/रजिस्टर मेल आईडी, यूआरएल का प्रमाणीकरण और संदिग्ध खातों द्वारा फेसबुक पर डेटा अपलोड के संरक्षण का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया । उनके अनुसार, पांच कथित अपहर्ताओं की पहचान की गई है, जिनमें से चार जांच में शामिल हो गए हैं और पांचवां दिल्ली में रह रहा है। वर्तमान राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण, उससे पूछताछ नहीं की जा सकती, हालांकि, मोबाइल से किसी भी तरह की छेड़छाड़ किए बिना मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु उन्हें सीआरपीसी की धारा 91 के तहत मेल द्वारा नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि जांच जारी है और फेसबुक प्राधिकरण से रिपोर्ट प्राप्त होने का इंतजार है।

आगे जवाब

श्री चुखु आपा, आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था), पुलिस महानिदेशक कार्यालय, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर ने दिनांक 7.12.2020 को पत्र द्वारा श्री आर. सोनम, निरीक्षक/जांच अधिकारी, सीबी-पीएस, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गंभीर धमकी देने और शारीरिक नुकसान की धमकी के संबंध में सुश्री टोंगम रीना की लिखित शिकायत पर, आईपीसी की धारा 506/509 के साथ सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 तथा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 6 के तहत सीबी-पीएस (एसआईटी) सी/सं.08/2020 द्वारा दिनांक 22.4.2020 को मामला दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुश्री तोंगम रीना का बयान दर्ज किया गया था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत एक प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त किया गया तथा फेसबुक / ट्विटर पर बनाए गए पोस्ट/टिप्पणियों के साथ मॉर्फ्ड चित्रों के स्क्रीनशॉट भी जब्त किये गये। जांच के दौरान, दिल्ली के श्री चौषा सिंगफो का सोशल मीडिया पेज "सदा खागी अची" मिला और तदनुसार उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रस्तुत करने के लिए एक समन जारी किया गया था जिसमें उन्होंने किसी भी सबूत को छेड़छाड़ या हटाने के लिए सख्त निदेश दिया था। लेकिन पदधारी ने कुछ चित्र/मीम हटा दिए। रिपोर्ट के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 91 के तहत फेसबुक प्राधिकरण से उक्त फेसबुक पेज के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आईपी पते के साथ उपयोगकर्ता की पहचान के लिए मांग की गई थी। तदनुसार, फेसबुक ने "सदा खागा अची" पेज का विवरण प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी को दिनांक 25.08.2020 को गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। प्रतिवादी ने विवेचित किया कि अभियुक्त, श्री चौषा सिंगफो, दिल्ली के विरुद्ध आईपीसी की धारा 506/509/204 के साथ सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 तथा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 6 के तहत सीएस सं. 14/2020 दिनांकित 3.12.2020 द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है । कुछ और दुर्व्यवहारियों/ट्रोलर्स की पहचान होने और FSL रिपोर्ट प्राप्त होने पर, तो एक अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 09.12.2020 को नई दिल्ली में आया ।

परिषद ने उस समय स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया जब यह ज्ञात हुआ कि अरुणाचल टाइम्स के एक सह संपादक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और कई ऑनलाइन पोस्टों में उस पर शारीरिक हिंसा की धमकी दी गई थी और पुलिस महानिदेशक से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी गई थी ।

पुलिस महानिदेशक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया कि संपादक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, एक मामला दर्ज किया गया है और पांच व्यक्तियों की पहचान की गई है।

आज श्री दिनेश कुमार गुप्ता, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक के लिए विशेष अधिकारी जांच समिति के समक्ष पेश हुए और उन्होंने कहा कि जांच के बाद, पुलिस ने 3 दिसंबर, 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया है। जांच समिति, प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट है और तदनुसार, कार्यवाही बंद करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

16. श्री प्रशांत चक्रवर्ती, वरिष्ठ पत्रकार/महासचिव, त्रिपुरा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टस पर हमले के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान।

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा जारी एक प्रेस प्रकाशनी दिनांकित 6.7.2020 पर गौर किया है जिसमें बताया गया है कि 100 से अधिक गुंडों ने श्री प्रशांत चक्रवर्ती, वरिष्ठ पत्रकार/महासचिव, त्रिपुरा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टस के घर पर हमला किया और उनकी अनुपस्थिति में पूरा घर नष्ट कर दिया। अपराधियों ने उनके भाई और बहन को पीटा और लहूलुहान हालत में छोड़ दिया। श्री चक्रवर्ती ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया।

मामले का स्वः प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, मुख्य सचिव, गृह सचिव, त्रिपुरा सरकार और पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा को टिप्पणियों के लिए दिनांक 13.7.2020 को नोटिस जारी किए गए ।

टिप्पणियां

श्री सुब्रत चक्रवर्ती, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अपराध शाखा), पुलिस महानिदेशक कार्यालय, त्रिपुरा ने टिप्पणियों दिनांकित 6.8.2020 द्वारा विवेचित किया कि मामले की जांच पुलिस अधीक्षक, त्रिपुरा पश्चिम ने की थी तथा जांच के दौरान, यह खुलासा हुआ कि श्री प्रशांत चक्रवर्ती पर कोई हमला नहीं हुआ था । हालांकि, दिनांक 03.7.2020 को, कुछ अज्ञात हमलावरों ने श्री प्रसेनजीत चक्रवर्ती, श्री प्रशांत चक्रवर्ती के भाई पर हमला किया था और उपद्रवियों ने श्री प्रसेनजीत चक्रवर्ती के कुछ घरेलू सामान की तलाशी भी ली । इस संदर्भ में, आईपीसी की धारा 448/506/325/427/380/34 के तहत ए.डी. नगर पुलिस थाने में दिनांक 4.7.2020 को मामला सं. 2020 एडीएन 056 दर्ज किया गया तथा मामले की जांच चल रही है । प्रतिवादी के अनुसार, यह बताया गया है कि श्री प्रसेनजीत चक्रवर्ती एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता थे और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण, उक्त घटना संबंधित तिथि और समय पर हुई थी। प्रतिवादी ने आगे कहा कि दोनों भाई एक ही घर में लेकिन अलग-अलग जगह में रहते हैं। श्री प्रशांत चक्रवर्ती पर न तो कोई हमला हुआ और न ही उपद्रवियों ने उनके आवास में प्रवेश किया। प्रतिवादी ने यह भी बताया कि श्री प्रशांत चक्रवर्ती पश्चिम अगरतला पुलिस थाने के चोट और हमले के एक मामले में आरोपी के रूप में शामिल हैं।

सूचना और सांस्कृतिक कार्य विभाग से प्राप्त पत्र

त्रिपुरा सरकार के सूचना और सांस्कृतिक कार्य विभाग के अपर सचिव, अगरतला सरकार, अगरतला ने दिनांक 9.9.2020 को पत्र द्वारा सूचित किया कि श्री प्रशांत चक्रवर्ती एक मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय को श्री प्रशांत चक्रवर्ती पर हमले के संबंध में कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं मिली है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2020 को नई दिल्ली

में आया । प्रतिवादी त्रिपुरा सरकार की ओर से रेसिडेंट आयुक्त और रेसिडेंट उपायुक्त के साथ श्री राहुल राज मिश्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस द्वारा एक प्रेस प्रकाशनी में एक पत्रकार पर हमले के आरोप ने परिषद को तुरंत स्व: प्रेरणा संज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया और त्रिपुरा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी।

पुलिस महानिदेशक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि पत्रकार श्री प्रशांत चक्रवर्ती और उनके भाई, श्री प्रसेनजीत चक्रवर्ती एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन उनके पास अलग आवास है। आगे कहा गया है कि पत्रकार का भाई प्रमुख राजनीतिक दल का नेता है और उसके आवास की तलाशी ली गई न कि पत्रकार की। दरअसल, आगे कहा गया है कि कथित हमले के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

जैसा कि पत्रकार पर हमला या मारपीट नहीं हुई है, जांच समिति इस मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है और कार्यवाही को बंद करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

17. चेन्नई पुलिस द्वारा पत्रकार, श्री वी. अन्बझगन की गिरफ्तारी के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान।

तथ्य

विभिन्न समाचारों के माध्यम से परिषद को यह पता चला है कि चेन्नई पुलिस ने पत्रकार वी.अन्बझगन को, एक पुस्तक मेले में राज्य सरकार की कथित भ्रष्ट गतिविधियों पर उनके द्वारा एक पुस्तक प्रदर्शित करने के एक दिन बाद 12.1.2020 को गिरफ्तार किया था। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पत्रकार की गिरफ्तारी उसकी किताब से

जुड़ी नहीं है । यह बताया गया है कि 13 दिवसीय चेन्नई पुस्तक मेला, जहां 'कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई कॉर्पोरेशन' नामक पुस्तक प्रदर्शित की गई थी, का आयोजन नन्दनम में बुक सेलर्स एडं पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया (BAPASI) द्वारा किया जा रहा है। श्री अन्बझगन ने कहा था कि अपनी पुस्तक में उन्होंने सत्तारूढ़ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) सरकार द्वारा धन के कथित दुरूपयोग को उजागर करने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) उत्तरों का उपयोग किया था। यह बताया गया है कि चेन्नई प्रेस क्लब के संयुक्त सचिव ने कहा कि श्री अन्बझगन ने पुस्तक मेले मे एक स्टाल लगाया था, लेकिन अधिकारियों ने बुक सेलर्स एडं पब्लिशर्स एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्टाल को हटा दिया जाए। चेन्नई प्रेस क्लब ने एक वक्तव्य में कहा कि 'श्री अन्बझगन ने अपने बुक स्टॉल को हटा दिया लेकिन बुक सेलर्स एडं पब्लिशर्स के अधिकारियों ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। मामला मनगढ़ंत है। सरकार के खिलाफ किताबें बेचने वाले को निशाना बनाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार बुक सेलर्स एडं पब्लिशर्स एसोसिएशन ने कहा कि पत्रकार ने उनके एक सदस्य को धमकी दी थी। उन्होंने श्री अन्बझगन से स्टॉल को हटाने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने बुक सेलर्स एडं पब्लिशर्स एसोसिएशन के किसी भी मानदंड का पालन नहीं किया। फिर उन्होंने उनके सचिव श्री मुरूगन को धमकी दी, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई। यह भी बताया गया है कि पुलिस ने कहा कि उन्होंने श्री अन्बझगन को उनकी किताबों के लिए गिरफ्तार नहीं किया है। उन्हें श्री मुरूगन को धमकाने के लिए रखा गया था।

22.1.2020 को जवाबी वक्तव्य के लिए नोटिस मुख्य सचिव, तमिलनाडु, सरकार पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु, बुक सेलर्स एडं पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, चेन्नई और प्रेसिडेंट, चेन्नई प्रेस क्लब, चेन्नई को जारी किए गए थे।

BAPASI का जवाब

दक्षिण भारत के बुक सेलर्स और पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, श्री आर.एस. शनमुगम, चेन्नई ने 22.2.2020 को उत्तर दिया, कि हाल ही में संपन्न चेन्नई पुस्तक मेले में श्री अन्बझगन, एक प्रदर्शक, जनता के सामने उपद्रव कर रहा था। जब उनके एसोसिएशन सचिव श्री मुरूगन द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई, तो श्री अन्बझगन ने उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया। प्रतिवादी के अनुसार, उनकी एसोसिएशन पुस्तकों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए सदस्यों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है,

और चेन्नई पुस्तक मेला एक ऐसा अवसर है। हर साल कई लाख लोग मेले में आते हैं। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि एसोसिएशन सभी भाग लेने वाले प्रदर्शकों के लिए पुस्तक मेले में सहज और सुविधाजनक बिक्री अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगंतुकों के लिए मेले के मैदान में सुरक्षित वातावरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, वे श्री अन्बझगन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर थे। उन्होंने कहा है कि वे हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने कभी भी किसी भी रूप में इसे रोकने का इरादा नहीं किया है।

इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सैदापेट, चेन्नई का जवाब

पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना सैदापेट, चेन्नई ने दिनांक 11.12.2020 की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि श्री एस.के.मुरुगन, सचिव, बुक्स सेलर्स एडं पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया की शिकायत के आधार पर सैदापेट पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 341/294(बी)/506 (ii) के तहत Cr.15/2020 श्री अन्बझगन के खिलाफ दर्ज किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, चेन्नई पुस्तक प्रदर्शनी में श्री अन्बझगन को एक स्टाल आवंटित किया गया था और एक आबंटिती होने के नाते, आवंटन के नियमों और विनियमन का पालन करने की उनसे उम्मीद थी और उल्लंघन के मामले में सचिव को संबंधित व्यक्तियों को बेदखल करने का अधिकार था। 11.1.2020 को, श्री अन्बझगन को आबंटन के नियमों और विनियमों का पालन करना था, लेकिन इसके उल्लंघन में उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण से जुड़ी कुछ पुस्तकों का प्रदर्शन किया। श्री मुरुगन ने सचिव होने के नाते श्री अन्बझगन से प्रदर्शनी मैदान से स्टाल खाली करने का अनुरोध किया। श्री अन्बझगन झगड़ा करने लगे और उन्होंने स्टाल खाली करने से इनकार कर दिया और यहां तक कि धमकी भी दी कि अगर उन्हें वहां से खाली करने के लिए कहा गया तो किसी को भी स्टाल का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री अन्बझगन ने अश्लील भाषा का प्रयोग भी किया, श्री मुरुगन को गाली दी और धमकी दी। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि श्री अन्बझगन को शहर के विभिन्न पुलिस थानों की सीमाओं के साथ-साथ अन्य पुलिस थानों की सीमाओं पर भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध करने की आदत है और श्री अन्बझगन के खिलाफ 20 मामले हैं। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि 12.1.2020 को श्री अन्बझगन को गिरफ्तार किया गया और माननीय 9वीं एम एम कोर्ट, सैदापेट, चेन्नई न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई और सी.सी.नं. 1069/2020 में दिनांक

27.2.2020 को विद्वान एम एम द्वारा मामले में कार्रवाई आरंभ की गई और वह जांच के लिए लंबित है।

जांच समिति की रिपोर्ट

जांच समिति के सम्मुख यह मामला दिनांक 11.12.2020 को सुनवाई के लिए नई दिल्ली में आया। श्री के पुगजेंधि, पुलिस निरीक्षक, थाना सैदापेट, चेन्नई, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया, जब उसे पता चला कि पत्रकार श्री वी अन्बझगन को, एक पुस्तक मेले में राज्य सरकार की कथित भ्रष्ट गतिविधियों पर उनके द्वारा एक पुस्तक प्रदर्शित करने के एक दिन बाद 12.1.2020 को गिरफ्तार किया था। और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मंगवाई गयी।

इसे देखते हुए पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस महानिदेशक की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि 11.1.2020 को पत्रकार अन्बझगन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यों से जुड़ी कुछ पुस्तकों को प्रदर्शित करके आवंटन के नियमों और विनियमन का उल्लंघन किया। पुलिस महानिदेशक का कहना है कि यह प्रदर्शनी मैदान में आवंटन के नियमों और विनियमन के उल्लंघन में था।

पुलिस महानिदेशक को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक आबंटिती भारत का नागरिक है और उसके पास संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार हैं और उसने उसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यों से जुड़ी पुस्तकों को प्रदर्शित करने का अधिकार दिया है। शायद यह अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों द्वारा पसंद नहीं किया गया था। एस के मुरुगन द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई और अंतत: पत्रकार को चार्जशीट किया गया और मामला मजिस्ट्रेट के सामने जांच के लिए लंबित है।

चूंकि मामला परीक्षण के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, जांच समिति मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी, लेकिन यह कहना चाहती है कि संबंधित पत्रकार को नुकसान हुआ था, क्योंकि उसने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण से जुड़ी कुछ पुस्तकों का प्रदर्शन करने का साहस किया था। मामला यह नहीं है कि पत्रकार ने किसी भी तरह मेले की शांति को खतरे में डाल दिया।

जांच समिति की राय है कि एक भली भांति सूचित और जागरूक सरकार को कोई कार्रवाई करने से पहले उन तथ्यों पर विचार करना चाहिए था।

पूर्वोक्त टिप्पणियों के साथ, जांच समिति कार्यवाही बंद करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

18. इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता से जांच पड़ताल किये जाने पर प्रेस परिषद का स्व: प्रेरणा से संज्ञान ।

तथ्य

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने समाचार रिपोर्ट पर गौर किया कि दिल्ली पुलिस ने इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता, श्री महेंद्र सिंह मनराल से दिनांक 11.05.2020 को इसके दिनांक 9.5.2020 के अंक में "Tablighi FIR: Police probe indicates Saad audio clip was doctored" "तब्लीगी प्राथमिकी: पुलिस जांच से साद ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ का संकेत" (अनूदित वर्तन) कैप्शन के अंतर्गत प्रकाशित लेख के संबंध में पूछताछ की। इसके अलावा, यह बताया गया है कि पुलिस ने उपर्युक्त समाचार को तथ्यात्मक रूप से गलत और विशुद्ध रूप से अनुमानित कहा है और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक और मुख्य रिपोर्टर को 11 मई, 2020 को इस मामले में आईपीसी की धारा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। एक पत्रकार को आपराधिक मुकदमे की धमकी देने के दिल्ली पुलिस के इस कृत्य की पत्रकार जगत ने निंदा की है।

प्रेस परिषद ने मामले में स्व: प्रेरणा संज्ञान लेते हुए दिनांक 15.5.2020 को दिल्ली पुलिस आयुक्त को जवाबी वक्तव्य के लिए नोटिस जारी किया।

उत्तर

श्री जॉय तिर्के, पुलिस उपायुक्त, अपराध (मुख्यालय), दिल्ली ने उत्तर दिनांकित 18.05.2020 द्वारा प्रस्तुत किया कि दिनांक 09.05,2020 को, विशेष संवाददाता श्री महेन्द्र सिंह मनराल द्वारा "Tablighi FIR: Police probe indicates Saad audio clip was doctored" "तब्लीगी प्राथमिकी: पुलिस जांच से साद ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ का संकेत" (अनूदित वर्तन) कैप्शन के अंतर्गत इंडियन एक्सप्रेस अखबार, दिल्ली संस्करण में प्रकाशित हुआ था। जैसा कि समाचार लेख तथ्यात्मक रूप से गलत पाया गया था, इंडियन एक्सप्रेस को एक प्रत्युत्तर जारी किया गया था। इसके जवाब में, इंडियन एक्सप्रेस ने दिनांक 10.5.2020 को प्रत्युत्तर प्रकाशित करते हुए कहा कि दिनांक 9.5.2020 की रिपोर्ट को विशेष सीपी (अपराध), श्री प्रवीण रंजन के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के आधार पर प्रकाशित किया गया था। चूँकि प्रकाशित शुद्धिपत्र आधिकारिक प्रत्युत्तर के खंडन रूप में किया गया था और जैसा कि संवाद्दाता ने जानकारी होने का दावा किया था जो कि केस के जांच अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थी, अत: इंडियन एक्सप्रेस के संवाद्दाता को बुलाने की आवश्यकता महसूस की गई और इसलिए श्री महेंद्र को जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया गया। प्रतिवादी ने आगे कहा कि संवाद्दाता ने समाचार लेख में यह भी उल्लेख किया है कि इंस्पेक्टर, श्री सतीश कुमार ने जब्त किए गए लैपटॉप में मौलाना साद की कोई भी वॉयस क्लिप नहीं पाई है और विचाराधीन वॉयस क्लिप 'के साथ छेड़छाड़' की गई है। प्रतिवादी ने विवेचित किया कि यह दावा सही नहीं है और तथ्यों के समर्थन के बिना यह केवल उसकी कल्पना है। एक ओर वह कहता है कि ऑडियो क्लिप लैपटॉप में नहीं है, और फिर वह दावा करता है कि ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है। कहानी अपने आप में ही आत्म-विरोधाभासी और भ्रामक है। तदनुसार, श्री महेन्द्र सिंह मनराल को उनके संपादक के माध्यम से 11.05.2020 को जांच में शामिल होने के लिए दिनांक 10.05.2020 को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। संवाद्दाता, दिनांक 11.05.2020 को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। हालांकि, किसी भी प्रत्यक्ष प्रश्न, जो उसके द्वारा लिखे गए समाचार लेख के संदर्भ में उससे पूछे गए थे, का उत्तर देने के बजाय वह एक लिखित बयान से पंक्तियों को पढ़ते हुए दोहराता रहा, जो वह अपने साथ लाया था। चूंकि संवाददाता द्वारा प्रस्तुत किया गया बयान एक विवादास्पद दस्तावेज है, इसलिए इसे साझा नहीं किया जा सकता है। संवाददाता को बार-बार उस मामले के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कहा गया

था, जिसके बारे में उन्होंने समाचार आइटम में इतनी सख्ती से दावा किया था, लेकिन वह कोई भी दस्तावेज या सामग्री नहीं दे सके जो मामले के लिए प्रासंगिक हो। इसके विपरीत उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास मामले से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है। इस संबंध में संवाददाता की लिखावट में एक लिखित बयान प्राप्त हुआ था। संवाददाता ने बार-बार कहा है कि उन्होंने पुष्टि के लिए फोन कॉल और संदेशों के माध्यम से विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। संवाददाता ने इस तरह स्वीकार किया है कि वह आधिकारिक स्रोतों से सामग्री सत्यापित नहीं करवा पाये। फिर भी उन्होंने एक असत्यापित कहानी प्रकाशित की। दूसरे, जब अधिकारी को कॉल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उसके मोबाइल फोन के बारे में सवाल किया गया, तो संवाददाता ने यह कहकर टाल दिया कि मोबाइल फोन में अन्य महत्वपूर्ण विवरण हैं और इसलिए, वह उसे अपने साथ नहीं लाया। इस प्रकार स्पष्टीकरण या पुष्टि के लिए संबंधित अधिकारी के पास उक्त संवाददाता द्वारा कोई संदेश या कोई कॉल नहीं किया गया था, जैसाकि उन्होंने बताया है। इस तरह की काल्पनिक बातों को ढाल बनाकर, संवाद्दाता ने कहानी को कुछ हद तक सफल बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बात से इंकार किया जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाद्दाता, श्री महेन्द्र सिंह मनराल को दिल्ली पुलिस ने धमकी दी थी, समाचारपत्र के संवाद्दाता पुलिस अधिकारियों से अक्सर बातचीत करते हैं। यह कहना गलत है कि उन्हें धमकी दी जा सकती थी। जांच अधिकारी द्वारा उनके जांच में शामिल होने और जांच के तुरंत बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि जब श्री महेन्द्र सिंह मनराल क्राइम ब्रांच पहुंचे, तो उनके साथ उनके दो वरिष्ठ कार्यालय सहयोगी भी थे, जैसे कि सुश्री मल्लिका जोशी और श्री दीप्तिमान तिवारी, दोनों इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि जारी किए गए नोटिस को रद्द करें और न्याय हित में संबंधित संवाददाता के विरूद्ध कार्रवाई करें।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020क्स्क्ष को नई दिल्ली में आया । डॉ. जॉय तिर्के, पुलिस उपायुक्त, कमला मार्केट, दिल्ली, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया, जब यह ध्यान में लाया गया कि इंडियन एक्सप्रेस

के विशेष संवाददाता, श्री महेन्द्र सिंह मनराल को दिल्ली पुलिस ने इंडियन एक्सप्रेस में इसके 9 मई 2020 के अंक में "Tablighi FIR: Police probe indicates Saad audio clip was doctored" "तब्लीगी प्राथमिकी: पुलिस जांच से साद ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ का संकेत" (अनूदित वर्तन) कैप्शन के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था और तदनुसार, पुलिस आयुक्त, दिल्ली से रिपोर्ट मांगी गई। पुलिस उपायुक्त ने जवाब दाखिल किया जिसमें यह कहा गया है कि समाचार बताता है कि पुलिस जांच में, श्री साद की ऑडियो-क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसलिए ऐसी सामग्री प्रदान करने के लिए उनकी उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया गया था, जिसका असर इस मामले की जांच पर पड़ेगा।

जांच समिति ने मामले के तथ्यों और पुलिस उपायुक्त के जवाब के लिए अपना विचार दिया है और पाया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उक्त पत्रकार को बुलाना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है।

इस तथ्य के बावजूद कि जांच एजेंसी के पास वैधानिक अधिकार है, आमतौर पर, परिषद जांच के उद्देश्य से पत्रकारों को पुलिस थानों में बुलाने की मंजूरी नहीं देती है, । इसके बजाय परिषद जांच एजेंसी को पत्रकारों की जांच को उनके घर पर करने की सलाह देती है। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, जांच समिति का विचार है कि जांच एजेंसी का संबंधित पत्रकार को बुलाना उचित था।

उपर्युक्त के मद्देनजर, जांच समिति कार्यवाही बंद करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

19. **ओडिशा में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को कथित रूप से निशाना बनाने के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान ।**

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद को राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, नई दिल्ली (एक स्वतंत्र थिंक टैंक जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के जोखिम का विश्लेषण करता है) की दिनांक 15.6.2020 की एक रिपोर्ट का पता चला है कि 23 मई, 2020 को एक पत्रकार, जिसकी पहचान श्री महादेव नायक के रुप में की गयी, को ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत कोरुआ पंचायत में कोविड-19 के लिए एक संगरोध केंद्र में बंधक बनाकर रखा गया था। आगे कहा गया है कि श्री महादेव नायक ने अपने अखबार में खबर छापी थी कि कैसे सरपंच, श्री अरन्या नायक को संगरोध में उनके परिवार द्वारा हर दिन कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, जब श्री महादेव नायक मौके पर पहुँचे, तो सरपंच ने कथित तौर पर उनसे उनका मोबाइल फोन, सोने की चेन और 10,000/- रुपये की नगदी छीन ली और टीएमसी में उन्हें बंधक बनाने के लिए कहा। पत्रकार को अधिकारियों द्वारा छह घंटे के बाद बचाया गया था और अलानाहाट गांव में उसी ब्लॉक के तहत एक अन्य संगरोध सुविधा के लिए भेजा जाना था क्योंकि वह रिटर्नीज़ के संपर्क में आए थे।

मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, मुख्य सचिव, प्रमुख गृह सचिव, ओडिशा सरकार, पुलिस महानिदेशक, ओडिशा, जिला मजिस्ट्रेट, जगतसिंहपुर और पुलिस अधीक्षक, जगतसिंहपुर को दिनांक 9.7.2020 को टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किये गये।

टिप्पणियां

पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), ओडिशा पुलिस, राज्य मुख्यालय, कटक ने 18.9.2020 की टिप्पणी प्रस्तुत की है कि मामले में पुलिस अधीक्षक जगतसिंहपुर से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि पत्रकार एक स्थानीय रिपोर्टर होने के साथ-साथ संबाद अखबार का विक्रेता भी है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पत्रकार की पत्नी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, नौगाव पुलिस स्टेशन, जगतसिंहपुर में आईपीसी की धारा 341/294/323/379/506/34 के तहत एक एफआईआर नंबर 75 दर्ज की गयी थी। प्राथमिकी में, उन्होंने कोरुआ के सरपंच श्री अरण्य नायक और उनके छोटे भाई श्री हिरण्य नायक के खिलाफ शिकायत

की है कि उन्होंने जबरन उनके पति का मोबाइल, सोने की चेन और 10,000 रुपये छीन लिए। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि जांच के दौरान, यह पता चला है कि श्री महादेव नायक अखबार देने के बहाने 17.5.2020 से पहले अवैध रूप से गरोई क्वारंटाइन सेंटर, गया था। 22.5.2020 की सुबह जब श्री महादेव नायक फिर से गरोई क्वारंटाइन सेंटर के अंदर घुसे और सहवासियों को समाचार पत्र देने के बाद सेंटर के अंदर तस्वीर लेने की कोशिश की, तो उन्हें उस सेंटर के कुछ सहवासियों ने चुनौती दी, जिन्होंने बाद में उनका मोबाइल फोन छीन लिया और उन्हें कोविड-19 के तहत संगरोध केंद्र से संबंधित निषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन के लिए केंद्र के अंदर घसीट लिया। उन्होंने श्री महादेव नायक को संस्थागत संगरोध में रखने के लिए ब्लॉक अधिकारियों, कोरुआ को सूचित किया क्योंकि उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया था। उस समय, स्थानीय सरपंच, श्री अरण्य नायक एक सहवासी के रूप में संगरोध केंद्र की ऊपरी मंजिल पर थे। स्थानीय ब्लॉक के कर्मचारियों के साथ-साथ चिकित्सा कर्मचारियों के आगमन के बाद, श्री महादेव नायक को नौगांव ब्लॉक के तहत अलानाहाट क्वारंटाइन केंद्र में सात दिनों के लिए अलगाव में रहने के लिए ले जाया गया, क्योंकि वह गरोई क्वाइन सेंटर के सहवासियों के संपर्क में आए थे। गरोई क्वारंटाइन सेंटर से प्रस्थान के दौरान, श्री महादेव नायक को उनका मोबाइल फोन दे दिया गया था। गरोई क्वारंटाइन सेंटर के सहवासियों ने उनसे कोई नकदी और सोने की चेन नहीं ली थी जैसाकि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था। प्रतिवादी ने कहा है कि सहवासियों द्वारा गरोई क्वारेंटाइन सेंटर के अंदर श्री महादेव नायक को रखने के लिए सरपंच, श्री अरण्य नायक और उनके छोटे भाई के हाथ होने के संदेह के संबंध में उनकी पत्नी ने अतिश्योक्तिपूर्ण तथ्यों के साथ प्राथमिकी दर्ज़ की जिसकी स्वतंत्र (निष्पक्ष) गवाहों से पुष्टि नहीं हो सकी।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जगतसिंहपुर की टिप्पणियां

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, जगतसिंहपुर ने 26.11.2020 के पत्र के जरिये पुलिस अधीक्षक, जगतसिंहपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दोहराते हुए निवेशित किया कि श्री महादेव नायक, प्रेस रिपोर्टर ने केंद्र के अंदर होने वाली घटनाओं की तस्वीरें लेने के लिए कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए गरोई क्वारेंटाइन सेंटर के निषिद्ध क्षेत्र में जबरन प्रवेश किया, संगरोध केंद्र के सहवासियों ने बाद में उसका मोबाइल फोन छीन लिया, जिसे बाद में उसे अलग रहने के लिए दूसरे संगरोध केंद्र में

स्थानांतरित करते समय दे दिया गया। गरोई क्वारंटाइन के सहवासियों ने श्री महादेव नायक से कोई नकदी और सोना नहीं छीना है। उन्होंने कहा है कि आरोप निराधार और मनगढ़ंत है।

पुलिस अधीक्षक, जगतसिंहपुर की टिप्पणियां

पुलिस अधीक्षक जगतसिंहपुर ने अपनी रिपोर्ट को दोहराते हुए दिनांक 12.12.2020 के पत्र के जरिये निवेशित किया कि रिपोर्टर श्री महादेव नायक ने "द ओडिशा कोविड-19 विनियमन -2020" का उल्लंघन किया है और उनकी पत्नी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में लगाये गये आरोप की आज तक किन्हीं स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा, 10,000/- रुपये के नकद छीनने के संबंध में शिकायतकर्ता के आरोप और सोने की चेन घटना में बढ़ा चढ़ाकर दिये गये, जिनका भी जांच के दौरान पता नहीं चल सका। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि अधिकार प्राप्त अधिकारी (B.D.O., Naugaon) से किसी भी रिपोर्ट के अभाव में, श्री महादेव नायक के खिलाफ कोविड-19 विनियमों के उल्लंघन के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरु नहीं की गई है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 18.12.2020 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। संयुक्त स्थानीय आयुक्त, ओडिशा सरकार, ओडिशा भवन, नई दिल्ली प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया जब यह पता चला कि एक पत्रकार को तब बंधक बना लिया गया था जब वह एक संगरोध केंद्र में कोविड-19 मामलों को कवर करने गया था और तदनुसार रिपोर्ट मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, ओडिशा राज्य से मांगी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह कहा गया है कि पत्रकार को बंधक बनाया गया था, यह आरोप झूठा है और वास्तव में, पत्रकार ने जबरन एक संगरोध केंद्र में प्रवेश किया और केंद्र के सहवासियों ने उसे बंदी बना लिया और उसका मोबाइल छीन लिया जो बाद में उसे सौंप दिया गया था। आगे यह कहा गया है कि उन्हें सात दिनों के अलगाव के लिए एक अन्य संगरोध केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य बातों के साथ उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति, में छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस समय कोविड-19 महामारी के कारण उनके लिए मुख्यालय छोड़ना मुश्किल है।

रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, जांच समिति ने मामले को योग्य नहीं पाया और तदनुसार, कार्यवाही को बंद करने की संस्तुति की है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

20. उन्नाव (उ.प्र.) में एक पत्रकार की हत्या के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान।

तथ्य

समाचार रिपोर्टों के माध्यम से भारतीय प्रेस परिषद के संज्ञान में आया था कि 19.6.2020 को उन्नाव जिले के गंगाघाट क्षेत्र में कुछ अज्ञात हमलावरों ने पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। आगे बताया गया है कि घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है।

मामले का स्वः प्ररेणा से संज्ञान लेते हुए 26.06.2020 को मुख्य सचिव, यू.पी., सरकार, यू.पी., पुलिस उप महानिरीक्षक, यू.पी. एवं पुलिस अधीक्षक, उन्नाव से मामले के तथ्यों पर रिपोर्ट मांगी गई है।

पुलिस अधीक्षक, उन्नाव से प्राप्त उत्तर

पुलिस अधीक्षक, उन्नाव ने उत्तर दिनांक 15.7.2020 के माध्यम से कहा है कि मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तर), उन्नाव, द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपनी जांच

रिपोर्ट दिनांक 14.07.2020 में प्रस्तुत किया है कि श्री शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या के संबंध में, उनके भाई ने (1) सुश्री दिव्या अवस्थी (2) कन्हैया अवस्थी (3) राघवेंद्र अवस्थी (4) मोनू लुटेरा (5) शहनवाज बिहारी (6) कौशल किशोर (7) स्वरूप चंद्र शर्मा (8) कपिल कटारिया (9) अतुल दुबे (10) विकास दीक्षित के खिलाफ पुलिस स्टेशन गंगाघाट में आईपीसी की धारा 147/148/149/302/34 के तहत मामला संख्या 188/20 दर्ज किया। मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक गंगाघाट ने की है। जांच के दौरान (1) अफसर अहमद (2) अब्दुल बारी (3) सूफियान (4) संतोष बाजपेयी (5) मो. शानू (6) टीपू सुल्तान (7) रिजवान के नाम भी प्रकाश में आये हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी को अन्य आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निदेश दिया गया है। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव ने अपने पत्र दिनांक 13.4.2020 के माध्यम से कहा है कि उनके कार्यालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि श्री शुभम मणि त्रिपाठी कम्पू मेल समाचार पत्र के संवाददाता हैं। इसलिए वे पत्रकार नहीं थे।

प्रभारी निरीक्षक, पुलिस थाना गंगाघाट, उन्नाव से प्राप्त उत्तर

प्रभारी निरीक्षक, पुलिस स्टेशन गंगाघाट, उन्नाव ने दिनांक 14.12.2020 की रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया है कि एक आरोपी शाहनवाज अंजार को 23.6.2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसने स्वीकार किया कि श्री शुभम मणि त्रिपाठी जो कि सुश्री दिव्या अवस्थी के खिलाफ उनके दुष्कृत्यों के बारे में समाचार प्रकाशित करते थे, इसलिए, उसने श्री शुभम को मारने के लिए रिजवान काना को पैसे दिए। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 279/2020 दिनांक 20.9.2020 माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए 17.12.2020 को नई दिल्ली में आया। श्री कृपा शंकर कनौजिया, पुलिस उपाधीक्षक, बीघापुर, उन्नाव और श्री के.एन. तिवारी, निरीक्षक, पुलिस स्टेशन गंगाघाट, उन्नाव प्रतिवादी की ओर से, उपस्थित हुए।

एक पत्रकार श्री शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या के बारे में नोटिस में आने पर परिषद ने स्व: प्रेरणा मे संज्ञान लिया और तदनुसार, उ.प्र. सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस

महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी। । पुलिस अधीक्षक, उन्नाव ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। श्री कृपा शंकर कनौजिया, पुलिस उपाधीक्षक, बीघापुर, उन्नाव और श्री के.एन. तिवारी, निरीक्षक, पुलिस स्टेशन गंगाघाट जांच समिति के समक्ष उपस्थित हैं। पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.7.2020 में निष्कर्ष निकाला है कि मृतक पत्रकार नहीं था। पुलिस अधीक्षक का अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष तथ्यों पर निराधार है क्योंकि संबंधित पुलिस स्टेशन के निरीक्षक श्री तिवारी ने जांच समिति के समक्ष खुलासा किया है कि वास्तव में वह एक पत्रकार थे। सिर्फ इसलिए कि जिला सूचना अधिकारी को उक्त पत्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि वह पत्रकार नहीं था।

पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि मृतक पत्रकार के भाई द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 10 आरोपितों के खिलाफ थाना गंगाघाट में भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/302/34 के तहत मामला संख्या 188/2020 दर्ज किया गया था | संबंधित थाने के निरीक्षक श्री तिवारी का कहना है कि जांच के दौरान 17 लोगों की मिलीभगत का खुलासा हुआ है, जिनमें से 15 को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि जांच के बाद पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और बाकी आरोपियों के संबंध में जांच की जा रही है।

पूर्वोक्त को देखते हुए, जांच समिति इस मामले में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है और कार्यवाही बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपरोक्त निदेशों के साथ कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

21. **पायोनीर में "Trivandrum Press Club rocked by attacks on women journos" महिला पत्रकारों पर हमले से हिल गया तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब (अनूदित वर्तन) कैप्शन के अंतर्गत प्रकाशित समाचार के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान।**

तथ्य

पायोनीर में "Trivandrum Press Club rocked by attacks on women journos" "महिला पत्रकारों पर हमले से हिल गया तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब" (अनूदित वर्तन) कैप्शन के अंतर्गत दिनांक 6.12.2019 को प्रकाशित समाचार, पर परिषद ने गौर किया है।

समाचार में रिपोर्ट किया गया है कि शहर की पुलिस ने एक पत्रकार और तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब के सचिव, श्री एम. राधाकृष्णन को एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट करने के आरोप में क्लब परिसर से गिरफ्तार किया। यह रिपोर्ट किया गया कि तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब के सचिव श्री एम. राधाकृष्णन के विरूद्ध एक महिला पत्रकार द्वारा शारीरिक हमले संपत्ति के अवैध रूप से अतिक्रमण और मॉरल पोलिसिंग के आरोपों की शिकायत मिलने पर, पुलिस ने श्री राधाकृष्णन के विरूद्ध शिकायत दर्ज की। समाचार में आगे बताया गया कि मीडिया में 'नेटवर्क ऑफ वीमेन' ने श्री राधाकृष्णन की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रेस क्लब के सामने श्री राधाकृष्णन के इस तरह के महिला-द्वेषी व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन किया। आगे, यह भी बताया गया कि श्री राधाकृष्णन ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल उस महिला पत्रकार जो उनकी सहकर्मी भी है को 'स्थानीय लोगों के गुस्से' से बचाना है जिन्होंने आवासीय पड़ोस में बेवक्त एक पुरुष और महिला की उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी। खबर ने आगे बताया कि यह तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब को हिला देने वाली अपनी तरह की दूसरी घटना है। केरल राज्य महिला आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और एक प्रेस प्रकाशनी में आयोग ने कहा है कि उसने शहर के पुलिस आयुक्त से मामले में गहन जांच करने को कहा है। राज्य महिला आयोग ने आगे यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या सभी राज्य मीडिया संस्थानों में महिला श्रमजीवी पत्रकारों के उत्पीड़न के मुद्दों को उठाने के लिए आंतरिक शिकायत समिति है।

लेख में आगे बताया गया है कि यह घटना नई नहीं है चूंकि एक सप्ताह पहले हुई एक अन्य घटना में, एक पत्रकार छात्र ने पत्रकारिता के उसी संस्थान जिसमें वह एक छात्र है, के एक संकाय से अश्लील संदेश प्राप्त करने की सूचना दी ।

मुख्य सचिव, केरल सरकार और पुलिस महानिदेशक, केरल को परिषद के पत्र दिनांक 26.12.2019 द्वारा अनुरोध किया गया कि वे इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करें।

पुलिस महानिरीक्षक, केरल की रिपोर्ट

पुलिस महानिरीक्षक, केरल ने दिनांक 11.12.2020 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि पूछताछ में यह पता चला कि पेट्टा पुलिस थाने में आईपीसी

की धारा 451/341/342/323/354/34 के तहत अपराध सं. 2218/2020 में मामला दर्ज किया गया है तथा दिनांक 26.03.2020 को मामले में माननीय एसीजेएम कोर्ट, तिरुवनंतपुरम के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया। उक्त मामला सीसी सं. 435/2020 न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 16.12.2020 को नई दिल्ली में आया । पुलिस महानिदेशक, केरल की ओर से श्री नीरज कुमार गुप्ता (आईपीएस), डीआईजी/ओएसडी, केरल हाउस, नई दिल्ली उपस्थित हुए ।

जब परिषद ने गौर किया कि तिरुवनंतपुरम में एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट की गई है तो परिषद ने इसका स्वः प्रेरणा संज्ञान लिया तथा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी गई । रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें यह कहा गया है कि महिला पत्रकार द्वारा दी गई शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 341, 342, 323, 354 और 34 के तहत अपराध मामला सं. 2218/2020 पेट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और जांच के बाद आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है तथा मामला माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, जांच समिति इस मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है और कार्यवाही को बंद करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

22. पुलिस प्राधिकारियों, मेघालय सरकार के विरूद्ध श्री सी.के. नायक, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद, से प्राप्त पत्र ।

तथ्य

श्री सी.के. नायक, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद ने ईमेल द्वारा दिनांक 09.01.2020

को सूचित किया है कि मेघालय में मीडिया कर्मी विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं चूंकि, पुलिस प्राधिकारियों ने हाल ही में राजनीतिक विकास के मद्देनजर उनसे हड़ताल, बंद इत्यादि पर खबर प्रकाशित न करने को कहा है ।

उन्होंने आगे सूचित किया है कि संयोग से, माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय ने बंद के आह्वान के लिए बयानों के प्रकाशन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश पहले जारी किए थे । हालाँकि, राज्य में स्थानीय दैनिक समाचार पत्र अभी भी उत्तर पूर्वी राज्यों में बंद के लिए आह्वान करने वाले संगठनों के बयान प्रकाशित कर रहे हैं,चूंकि इसे रोका नहीं जा सकता लेकिन हाल ही में दिनांक 7 दिसंबर, 2019 को "NESO calls for NE Bandh against CAB on December 10, 2019" कैप्शन के तहत प्रकाशन ने मीडियाकर्मियों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं ।

उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि रिट याचिका(सिविल) सं.127/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय ने निदेश दिया था कि "एचएनएलसी (हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल) संगठन के कथन या कोई भी संगठन जो दिन-प्रतिदिन सार्वजनिक जीवन की गति में रुकावट उत्पन्न करे और हड़ताल, बंद, सड़क नाकाबंदी और गैरकानूनी ढंग से की गई रैलियों से संबंधित विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जारी नहीं किया जाएगा ।" इस आदेश के उल्लंघन के मामले में, न्यायालय न केवल न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करे बल्कि यह भी निदेश है कि राज्य सरकार कानून के उपर्युक्त प्रावधानों के तहत आपराधिक मामले दर्ज करेगी ।

इस मामले का संज्ञान लेते हुए, परिषद ने मुख्य सचिव, सचिव गृह (पुलिस), पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शिलांग, मेघालय को दिनांक 15.1.2020 को टिप्पणियां जारी करने हेतु नोटिस जारी किया तथा उसके बाद दिनांक 02.03.2020 को अनुस्मारक भी जारी किया ।

मेघालय सरकार (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग) के अवर सचिव द्वारा प्रस्तुत न्यायालय आदेश

मेघालय सरकार के अवर सचिव ने पत्र दिनांकित 03.03.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय का आदेश सं. रिट याचिका (सिविल) सं.127/2015 प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा गैर-कानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित

एचएनएलसी (हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल) द्वारा जारी वक्तव्य को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में अनुचित प्रचार और कवरेज दिया जाता है, जिससे आम जनता के मन में भय उत्पन्न होता है । न्यायालय, ने निदेश दिया था कि एचएनएलसी या कोई भी संगठन जो दिन-प्रतिदिन सार्वजनिक जीवन की गति में रुकावट उत्पन्न करे और हड़ताल, बंद, सड़क नाकाबंदी और गैरकानूनी ढंग से की गई रैलियों से संबंधित विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जारी नहीं किया जाएगा । इस आदेश के उल्लंघन के मामले में, न्यायालय न केवल न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करे बल्कि यह भी निदेश दिया है कि राज्य सरकार कानून के उपर्युक्त प्रावधानों के तहत आपराधिक मामले दर्ज करेगी । न्यायालय ने मेघालय सरकार के सूचना और प्रचार विभाग के सचिव/निदेशक को इस आदेश का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निदेश दिया ताकि आम नागरिकों को अपने सामान्य जीवन में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक, शिलांग, मेघालय का उत्तर

श्री जी.के. लांगराई, सहायक पुलिस महा निरीक्षक, शिलांग, मेघालय ने उत्तर दिनांकित 17.03.2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों तथा अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों, जिन्होंने बंद/हड़ताल इत्यादि के आह्वान संबंधी मामलों में निर्णय पारित किये का हवाला देते हुए विवेचित किया कि न्यायालय, ने निदेश दिया था कि एचएनएलसी या कोई भी संगठन जो दिन-प्रतिदिन सार्वजनिक जीवन की गति में रुकावट उत्पन्न करे और हड़ताल, बंद, सड़क नाकाबंदी और गैरकानूनी ढंग से की गई रैलियों से संबंधित विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जारी नहीं किया जाएगा ।"

उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और मेघालय के माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि न्यायालय के निदेशों का अनुपालन किया जाए, ताकि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके और राज्य में शांति भी बनी रहे ।

उत्तर की एक प्रति श्री सी.के. नायक को दिनांक 15.10.2020 को सूचनार्थ भेजी गई।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 16.12.2020 को नई दिल्ली में आया । श्री राहुल सक्सेना, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए तथा श्री शौर्य सहाय, अधिवक्ता तथा सुश्री तारिणी कामाख्या, अधिवक्ता, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए ।

परिषद के एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया और मेघालय सरकार से रिपोर्ट मांगी । प्राप्त हुई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राज्य सरकार या मीडिया हाउस के पास मेघालय के माननीय उच्च न्यायालय के निदेश का पालन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है । आगे ध्यानाकृष्ट किया गया है कि मेघालय उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम रूप ले चुका है ।

उपर्युक्त के मद्देनजर, जांच समिति के पास कार्यवाही बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

23. नई दिल्ली में कारवां पत्रिका के पत्रकारों पर हमले के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान ।

तथ्य

इंटरनेशनल फ़ैडरेशन ऑफ जर्नलिस्टस (आईएफ़जे) द्वारा जारी मीडिया रिलीज़ दिनांकित 14.08.2020 के माध्यम से भारतीय प्रेस परिषद ने गौर किया है कि दिनांक 11 अगस्त 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 3 पत्रकार जिनमें से 1 महिला पत्रकार भी थी, पर आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी तथा यौन रूप से प्रताड़ित किया गया । मीडिया रिलीज़ के अनुसार, कारवां योगदानकर्ता, श्री प्रभजीत सिंह, सहायक

फोटो एडिटर, श्री शाहिद तांतरे और एक महिला रिपोर्टर जिन्हें सांप्रदायिक तनाव जोकि 5 अगस्त को बढ़ गया था को कवर करते वक़्त पीटा गया और उनकी हत्या करने की धमकी दी गई और गाली गलौज भी हुई । आगे बताया गया कि भीड़ ने उन्हें घेर लिया और डेढ़ घंटे से ज़्यादा देर तक उनकी पिटाई की गई । भीड़ यह जानकार और हिंसक हो गयी जब उन्हें पता लगा कि श्री तांतरे एक मुस्लिम हैं । उन्होंने उसे अपने कैमरे से फोटो और विडियो डिलीट करने को कहा। घायल पत्रकारों के पूरे बदन पर घाव थे । कथित हमलावरों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का बताया जाता है । महिला पत्रकार द्वारा पुलिस को दर्ज शिकायत के अनुसार, हमलावरों ने उसके सिर, बाजू, और सीने पर वार किए, उन्हें गालियां दी और यौन रूप से प्रताड़ित किया । यह भी कहा गया है कि पुलिस पत्रकारों को तुरंत बचाने में सफल रही और उन्हें पहले भजनपुरा पुलिस थाने और फिर अस्पताल लेकर गई । पत्रकारों ने पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने अभी तक एफ़आईआर दर्ज नहीं की है ।

मामले के तथ्यों की रिपोर्ट को मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और पुलिस उपायुक्त, भजनपुरा, दिल्ली से दिनांक 25.08.2020 को मांगा गया तथा उसके बाद दिनांक 09.11.2020 को समयबद्ध अनुस्मारक भेजा गया ।

उत्तर

श्री देवेश महला, आईपीएस, अपर पुलिस उपायुक्त-II, उत्तर-पूर्वी जिला, दिल्ली ने अपने उत्तर दिनांकित 16.11.2020 द्वारा विवेचित किया कि मामले में एसीपी/पी.जी. सेल द्वारा जांच की गई थी और जांच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 11.08.2020 को कारवां पत्रिका के 3 पत्रकार सुभाष मोहल्ला, उत्तर घोंडा, दिल्ली गए थे । उन्होंने वहाँ एनआरसी तथा अयोध्या में राम मंदिर के विषय पर लोगों से उनकी राय जानने के लिए बातचीत की । आगे विवेचित है कि स्थानीय निवासियों ने बताया, चूंकि वे नकारात्मक रिपोर्टिंग कर रहे थे और इसी की वजह से निवासियों ने आपत्ति जताई । इसी के चलते उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई । दोनों ही पक्षों ने शिकायत दर्ज करवाई । प्रारंभिक जांच के पश्चात, उक्त घटना के संदर्भ में 2 मामले दर्ज हुए। पत्रकारों की शिकायत पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 323/341/354/506/34 के तहत सुभाष मोहल्ला, उत्तर घोंडा, दिल्ली के विरूद्ध एफ़आईआर सं.488/2020 दर्ज की गई । आगे, श्रीमती अनीता

तिवारी की शिकायत पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 323/354/153 A/34 के तहत 3 पत्रकारों के विरुद्ध एफ़आईआर सं.487/2020, भजनपुरा पुलिस थाने में दर्ज की गई । प्रतिवादी ने कहा कि दोनों मामलों की जांच चल रही है ।

आगे उत्तर

श्री राहुल, उप-निरीक्षक, पुलिस थाना भजनपुरा, दिल्ली ने उत्तर दिनांकित 19.11.2020 द्वारा विवेचित किया है कि दिनांक 11.8.2020 को पीसीआर कॉल सं. 59ए व 61ए प्राप्त होने पर, श्री ओम प्रकाश, एटीओ तथा श्री अरविंद, एएसआई अपने स्टाफ सहित घटनास्थल पर पहुंचे । स्थानीय जांच करने पर, यह उजागर हुआ कि कारवां पत्रिका के रिपोर्टर श्री शाहिद तांतरे, प्रभजीत और सुश्री नबीला लोगों से एनआरसी और राम मंदिर के बारे में उनकी राय के संबंध में बातचीत कर रहे थे । उक्त रिपोर्टर लोगों को दुष्प्रेरित कर रहे थे और अपनी नकारात्मक रिपोर्टिंग का प्रयोग करते हुए दो समुदायों के लोगों के बीच नफरत और शत्रुता फैलाने की कोशिश कर रहे थे । उक्त रिपोर्टरों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की । उन्होंने झूठे दावे करने का भी प्रयत्न किया कि उनके इलाके के मुस्लिम समुदाय के कुछ परिवार हिंदू परिवारों के डर से जी रहे हैं । प्रतिवादी ने आगे कहा कि स्थानीय लोगों ने सूचित किया कि रिपोर्टर लोगों को झूठे बयान देने के लिए पैसों का लालच भी दे रहे थे। उनकी नकारात्मक रिपोर्टिंग से दोनों ही समुदायों के लोग नाराज़ थे। घटनास्थल पर रिपोर्टर, इलाके के लोगों के साथ बहस करते हुए पाए गए । प्रतिवादी के अनुसार, रिपोर्टर पुलिस थाना, भजनपुरा आए और अपने वकीलों के साथ बात-चीत की तथा उन्होंने अपनी शिकायत लिखने के लिए 5-6 घंटो का वक़्त लिया । प्रतिवादी ने कहा कि उसी दिन सुश्री अनीता तिवारी ने उक्त रिपोर्टरों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार तथा उनके पति से मारपीट के संबंध में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद, जेपीसी अस्पताल में सुश्री अनीता तिवारी, श्री रवि तिवारी और सुश्री बबीता मंगला की चिकित्सकीय जांच की गई जिसमें उनकी चोटें सामान्य पायी गई । प्रतिवादी ने आगे बताया कि सुश्री नबीला और श्री प्रभजीत सिंह ने अपनी शिकायतें ड्यूटी अधिकारी को सौंपी, जोकि डीडी सं.104 व 105 दिनांकित 11.8.2020 द्वारा प्राप्त हुई जिनमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोट पहुंचाने, दुर्व्यवहार, अनुचित नज़रबंदी, धमकाने के आरोप लगाए गए थे । उसके बाद, जेपीसी अस्पताल में श्री शाहिद तांतरे और सुश्री नबीला की चिकित्सकीय जांच की गई जिसमें उनकी चोटें सामान्य पायी गई । प्रतिवादी ने बताया कि श्रीमती अनीता तिवारी की शिकायत पर

भारतीय दंड संहिता की धारा 323/354/153ए/34 के तहत तीन रिपोर्टरों के विरुद्ध दिनांक 14.8.2020 को एफ़आईआर सं.487/2020 पुलिस थाना, भजनपुरा में दर्ज की गई और श्री प्रभजीत सिंह, रिपोर्टर, कारवां पत्रिका की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323/342/354/506/34 के तहत दिनांक 14.8.2020 को एफ़आईआर सं.487/2020 पुलिस थाना, भजनपुरा में दर्ज की गई । प्रतिवादी ने आगे कहा कि जांच के दौरान, स्थानीय लोगों ने खुलासा किया कि ये रिपोर्टर पिछले तीन दिनों से उनके इलाके का दौरा कर रहे थे और वे दो समुदायों के बीच तनाव होने की झूठी खबर इलाके में फैलाकर और इलाके में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में गलत सूचना और हिंदू समुदाय के पटाखे फोड़ने और मुस्लिम निवासियों के घरों के सामने भगवा झंडे बांधने से संबंधित नकारात्मक रिपोर्टिंग में संलिप्त थे। पत्रकारों द्वारा नकारात्मक रिपोर्टिंग क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है, इसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों और पत्रकारों के बीच बहस हो गई, हालांकि छेड़छाड़, शारीरिक चोट, लूट आदि की कोई घटना नहीं हुई। प्रतिवादी ने कहा है कि मामले की आगे जांच की जा रही है ।

पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पूर्वी जिला, दिल्ली ने उत्तर दिनांकित 16.12.2020 द्वारा रिपोर्ट दोहराते हुए विवेचित किया कि एसीपी भजनपुरा और एसएचओ, भजनपुरा को दोनों मामलों की जांच जल्द से जल्द समाप्त करने और कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए निदेशित किया गया है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 17.12.2020 को नई दिल्ली में आया । श्री देवेश, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तर-पूर्वी जिला, दिल्ली, श्री राजेश देव, पुलिस उपायुक्त और श्री अशोक शर्मा, एसएचओ, भजनपुरा प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए ।

परिषद को जब यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 11 अगस्त, 2020 को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में कारवां पत्रिका के तीन रिपोर्टरों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई तथा यौन उत्पीड़न किया गया तो परिषद ने इस मामले में स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया और तदनुसार पुलिस आयुक्त, उत्तर-पूर्वी जिला, दिल्ली से रिपोर्ट तलब की । इसके प्रकाश में, अपर पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पूर्वी जिला, दिल्ली ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ साथ कहा है कि इनमें से एक पत्रकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, आरोपियों के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज की गई थी । उन्होंने आगे कहा कि श्रीमती अनीता

तिवारी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पत्रकारों के विरूद्ध भी एफ़आईआर दर्ज की गई । जांच समिति ने पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अध्ययन किया और पाया कि पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किसी भूल-चूक का कोई आरोप नहीं है ।

जांच समिति का ध्यानाकृष्ट किया गया कि दोनों ही मामलों की जांच लंबित है और श्री राजेश देव, पुलिस उपायुक्त (विधिक तथा एसआईटी) जोकि प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए ने जांच समिति को दोनों मामलों की जांच तेज़ी से समाप्त करने का आश्वासन दिया । जांच समिति ने पुलिस उपायुक्त के आश्वासन को नोट किया और कार्यवाही बंद कर दी ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

24. पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी पर अपने पत्रकारिता संबंधी कर्तव्य के लिए हमले के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान

तथ्य

यह कई प्रिंट मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से परिषद के संज्ञान में आया था कि श्री अर्नब गोस्वामी, एक पत्रकार और रिपब्लिक टीवी प्रमुख ने 22.4.2020 को एक स्कूटर पर दो व्यक्तियों द्वारा सवार उस पर कथित हमले के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की थी, जब वह अपनी पत्नी के साथ लगभग 12.00 बजे काम से लौट रहे थे । इसके अलावा, श्री अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि दोनों हमलावरों ने उनकी कार को रोका और उनकी पहचान करने के बाद कार की खिडकी को तोडने का प्रयास किया और उसके बाद उनके वाहन पर कुछ तरल पदार्थ फेंक दिया। हालांकि, पत्रकार श्री गोस्वामी अपनी पत्नी के साथ अनहोनी से बचने में कामयाब रहे । निर्विवाद रूप से, यह घटना महाराष्ट्र में हुई पालगढ लिंचिग घटना पर श्री गोस्वामी की रिपोर्ट के बाद हुई है, जहां अफवाह के आधार पर स्थानीय लोगों द्वारा दो साधुओं को पीटा गया था।

इसके अलावा, श्री राकेश शर्मा, सदस्य, पीसीआई, ने भी पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी के हमले पर परिषद का ध्यान आकर्षित किया और पीसीआई से इस हमले की कडी निंदा करने का अनुरोध किया है।

श्री मनोज वर्मा, महासचिव, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया (NUJI) और सुश्री पुष्पा पांडे ने क्रमश: 24.4.2020 और 30.5.2020 के अपने ईमेल द्वारा परिषद का ध्यान श्री अर्नब गोस्वामी पत्रकार पर किये गये शारीरिक हमले की ओर आकर्षित किया ।

स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, परिषद ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को 23.4.2020 को टिप्पणियां जारी करने के लिए नोटिस जारी किया और उसके बाद समयबद्ध अनुस्मारक 10.6.2020 और 23.9.2020 को जारी किया।

सुश्री पुष्पा पांडे से प्राप्त पत्र

सुश्री पुष्पा पांडे, संस्थापक भारतीय लघु और मध्यम समाचारपत्र फेडरेशन ने ईमेल दिनांक 7.9.2020 द्वारा बताया कि प्रेस परिषद ने श्री अर्नब गोस्वामी पर हमले के बारे में स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया है, कुछ डिजिटल मीडिया पत्रकारों ने प्रेस परिषद के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया है।

प्रतिवादी का जवाब

डा. ज्ञानेश्वर चव्हाण, अपर पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्र, मुंबई ने उत्तर दिनांक 17.11.2020 के जरिये विवेचित किया कि श्री अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक का कार्यालय सह स्टूडियो है जोकि एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में है और उन्हें स्पेशल प्रोजेक्शन युनिट, मुंबई से सुरक्षा की श्रेणी प्रदान की गई है। प्रतिवादी के अनुसार, 23.4.2020 को, जबकि श्री अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी स्टूडियो से कार में अपने निवास पर जा रहे थे, एक दो पहिया वाहन पर सवार दो व्यक्तियों ने कार के रास्ते में अपने दो पहिया वाहन को रोककर गलत तरीके से उन्हें रोका। पीछे बैठे सवार ने शुरूआत में अपनी मुटठी को कार की खिडकी से टकराया और फिर काली स्याही की एक बोतल निकाली और बोतल की सामग्री को श्री गोस्वामी की कार पर फेंक दिया। चूंकि एसपीयू एस्कॉर्ट श्री गोस्वामी की कार के ठीक पीछे था, एसपीयू गार्ड और गोस्वामी के निजी अंगरक्षक उनकी कार से उतर गए और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। प्रतिवादी ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 341/504/34 और महाराष्ट्र मीडिया पर्सन्स एंड मीडिया इंस्टीट्यूशंस (हिंसा और क्षति की रोकथाम या

संपत्ति को नुकसान) अधिनियम की धारा 341/504/34 के तहत एक मामला एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 27.4.2020 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया 27.4.2020 को आरोपियों को आरोप पत्र दाखिल करने तक एन.एम.जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए जमानत दी गई थी। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि जांच पूरी होने के बाद, दोनों आरोपियों के खिलाफ मुंबई के दादर के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की 13वीं अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा के अलावा, श्री अर्नब गोस्वामी को एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी की अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है, उनके कार्यालय सह स्टूडियो में 1+2 गार्ड और सशस्त्र पुलिस मुख्यालय से उनके निवास पर 1+2 गार्ड हैं । एन.एम.जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन का एक पैट्रोलिंग मोबाइल भी एन.एम.जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में उनकी आवाजाही के दौरान सुरक्षा प्रदान कर रहा है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 17.12.2020 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया ।

परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया, जब परिषद ने गौर किया कि एक पत्रकार पर उसके पत्रकारिता कर्तव्य का पालन करते हुए हमला किया गया था और तदनुसार, पुलिस आयुक्त से एक रिपोर्ट मंगवायी गई थी । अपर पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्र ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.11.2020 प्रस्तुत की है। प्रतिवादी की ओर से पुलिस निरीक्षक, श्री योगेन्द्र पाचे उपस्थित हुए हैं। जांच समिति ने अपर आयुक्त की रिपोर्ट का अवलोकन किया है और पाया है कि घटना के संबंध में, एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन cr No. 148, 2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 504 और 34 और महाराष्ट्र मीडिया पर्सन्स एंड मीडिया इंस्टीट्यूशंस (हिंसा और नुकसान या संपत्ति को नुकसान) अधिनियम, 2017 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मामले में दो व्यक्तिकयों को गिरफ्तार किया गया है और जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है और मामला सक्षम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।

यह भी कहा गया है कि पत्रकार कि पत्रकारिता को उनके कार्यालय और उनके आवास पर सुरक्षा प्रदान की गई है। जांच समिति प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई से

संतुष्ट है और तदनुसार, कार्यवाही को जारी रखने की इच्छुक नहीं है। तदनुसार, जांच समिति कार्यवाही बंद करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तर्कों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

25. महाराष्ट्र सरकार के परिशिष्ट दिनांकित 18.4.2020 के संबंध में परिषद द्वारा स्वः प्रेरणा से संज्ञान।

तथ्य

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम हेतु किए जाने वाले उपायों पर जारी समेकित दिशानिर्देश आदेश सं. DMU/2020/CR.92/DisM-1, दिनांकित 17 अप्रैल 2020 के क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने आदेश सं.DMU/2020/CR.92/DisM-1, दिनांकित 18 अप्रैल 2020 के जरिये एक परिशिष्ट जारी किया । आदेश के संगत अंश निम्नलिखित है :

"प्रिंट मीडिया को दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से लॉकडाउन से छूट दी गई है। हालांकि, कोविड-19 के फैलने को देखते हुए, समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के घर-घर वितरण पर प्रतिबंध है ।"

हालांकि, अतिरिक्त खण्ड प्रिंट मीडिया को कार्य करने की अनुमति देते हुए दिनांक 20.4.2020 से इसे लॉकडाउन से छूट देता है, लेकिन समाचार पत्रों की डोर टू डोर डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाता है, जो महाराष्ट्र राज्य में प्रिंट मीडिया की कार्रवाई को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। इसके अलावा, यह प्रिंट मीडिया को जनता तक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक COVID-19 संबंधित सूचना पहुंचाने से रोक देगा ।

आगे, महाराष्ट्र सरकार का परिशिष्ट दिनांकित 18 अप्रैल, 2020, राज्य के मुख्य सचिवों को प्रिंट मीडिया की परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जारी किये

गए भारत सरकार के आदेश सं. E-36011/8/2020-BP&L दिनांकित 23 मार्च 2020 और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा महाराष्ट्र सरकार समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रिंट मीडिया की कार्य पद्धति का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाने के लिए जारी की गई परामर्शिका का खंडन करता है ।

इस मामले में स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, परिषद ने मुख्य सचिव को टिप्पणी के लिए दिनांक 21.4.2020 को नोटिस और दिनांक 13.11.2020 को अनुस्मारक जारी किया । हालांकि अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 17.12.2020 को नई दिल्ली में आया । श्री श्याम लाल गोयल, अपर मुख्य सचिव और डॉ. राजेश अदपवार, सहायक स्थानिक आयुक्त, प्रतिवादी – महाराष्ट्र सरकार की ओर से उपस्थित हुए ।

परिषद ने इस मामले में स्व: संज्ञान लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने एक परिपत्र जारी किया जिसके तहत अखबारों और पत्रिकाओं की डिलीवरी पर रोक लगाई गई थी और उसी के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया था । आज, श्री श्याम लाल गोयल, अपर मुख्य सचिव जांच समिति के समक्ष पेश हुए और कहा कि उक्त आदेश को वापस ले लिया गया था ।

उपर्युक्त के मद्देनजर, जांच समिति मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है तथा कार्यवाही बंद करने की संस्तुति करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है और कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

26–28. **कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग करने पर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान ।**

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप, एक स्वतंत्र थिंक टैंक (जो मानव अधिकारों के उल्लंघन के जोखिम का विश्लेषण करता है), की दिनांकित 15.6.2020 रिपोर्ट पर गौर किया है कि भदोही जिले (यूपी) में गोपीगंज पुलिस स्टेशन में चार पत्रकारों और दो अन्य लोगों के खिलाफ एक घटना, जिसमें एक महिला ने अपने पांच बच्चों को नदी में फेंक दिया, के बारे में 'फर्जी खबर' फैलाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (1) (ख) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी आईएएनएस और बिजनेस इनसाइडर के संपादकों का नाम और संबंधित रिपोर्टों का उल्लेख एफआईआर में किया गया था, हालांकि उनके नाम से इनकी पहचान नहीं हुई। आगे कहा गया है कि इन संगठनों द्वारा की गई रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि महिला ने ऐसा कड़ा कदम उठाया क्योंकि वह कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के कारण बच्चों के लिए भोजन नहीं जुटा पाई।

यह आगे कहा गया है कि एक अन्य घटना में, श्री विजय विनीत, रिपोर्टर और श्री सुभाष राय, मुख्य संपादक, जनादेश टाइम्स, को जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा कथित तौर पर एक समाचार प्रकाशित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, वाराणसी जिले के कोइरीपुर गांव में मुशहर (दलित) समुदाय के सदस्य लॉकडाउन की घोषणा के बाद से जीवित रहने के लिए घास खा रहे हैं। उक्त नोटिस में, जिला मजिस्ट्रेट, श्री कौशल राज शर्मा ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच एक एडीएम स्तर के अधिकारी से करवाई और पाया कि वह एक झूठी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि दलित घास नहीं बल्कि अंकरी दाल (जंगली दालें) जो खेतों में गेहूं के साथ उगती हैं, खा रहे थे लेकिन पत्रकार श्री विजय विनीत अपनी रिपोर्ट पर अडिग रहे।

मामले का स्वः संज्ञान लेते हुए, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. सरकार, पुलिस अधीक्षक, भदोही और पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को टिप्पणियों हेतु दिनांक 10.7.2020 को नोटिस जारी किए गए ।

पुलिस अधीक्षक, भदोही की टिप्पणियां

पुलिस अधीक्षक, भदोही ने अपनी टिप्पणियों दिनांकित 23.8.2020 द्वारा विवेचित किया कि मामले की जाच श्री रवीन्द्र कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, भदोही द्वारा

की गई थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और इसी क्रोध में महिला ने अपने बच्चों को गंगा नदी में फेंक दिया। उसके बाद, मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें तथा अफवाएं फैलने लगी। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध गोपीगंज पुलिस थाना, भदोही में मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच चल रही है । प्रतिवादी ने आगे कहा कि सर्कल अधिकारी, ज्ञानपुर तथा प्रभारी निरीक्षक, गोपीगंज पुलिस थाना को जल्द से जल्द मामले का गुण के आधार पर निपटान करने के लिए निदेशित किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, भदोही का आगे उत्तर

पुलिस अधीक्षक, भदोही ने आगे उत्तर दिनांकित 16.12.2020 द्वारा विवेचित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (1) (ख) के तहत भदोही जिले (यूपी) में गोपीगंज पुलिस स्टेशन में चार पत्रकारों और दो अन्य लोगों के विरुद्ध एक घटना, जिसमें एक महिला ने अपने पांच बच्चों को गंगा नदी में फेंक दिया, के बारे में 'फर्जी खबर' फैलाने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एक अन्य घटना में, श्री विजय विनीत, रिपोर्टर और श्री सुभाष राय, मुख्य संपादक, जनादेश टाइम्स, को जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा कथित तौर पर एक समाचार प्रकाशित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, वाराणसी जिले के कोइरीपुर गांव में मुशहर (दलित) समुदाय के सदस्य लॉकडाउन की घोषणा के बाद से जीवित रहने के लिए घास खा रहे हैं। उक्त नोटिस में, जिला मजिस्ट्रेट, श्री कौशल राज शर्मा ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच एक एडीएम स्तर के अधिकारी से करवाई और पाया कि वह एक झूठी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि दलित घास नहीं बल्कि अंकरी दल (जंगली दालें) जो खेतों में गेहूं के साथ उगती हैं, खा रहे थे लेकिन पत्रकार श्री विजय विनीत अपनी रिपोर्ट पर अडिग रहे।

श्री सत्येंदर कुमार, सब-इंस्पेक्टर, गोपीगंज पुलिस थाना द्वारा जांच की गई थी । उन्होंने विवेचित किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 तथा आईपीसी की धारा 188/505(1)(ख) के तहत एक मामला सं. 96/2020 दर्ज किया गया है, जिसमें अंतिम रिपोर्ट सं. 85/20 दिनांक 6.12.2020 प्रस्तुत की जा चुकी है । उन्होंने आगे बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51/54 तथा आईपीसी की धारा 188/ 505(1)(ख) के तहत एक मामला सं. 88/20 दर्ज किया गया है, जिसमें

अंतिम रिपोर्ट सं. बी-88/20 दिनांक 17.12.2020 प्रस्तुत की जा चुकी है । दोनों मामलों में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है । इन मामलों में और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020 को नई दिल्ली में आया । परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया जब उन्हें पता लगा कि पत्रकारों के विरूद्ध समाचारपत्र में समाचार प्रकाशित करने पर मामले दर्ज किए गए हैं और तदनुसार, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी गई । इसके प्रकाश में, पुलिस अधीक्षक, भदोही ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। श्री सत्येंदर कुमार, पुलिस सब-इंस्पेक्टर, गोपीगंज जांच समिति के समक्ष पेश हुए और बताया कि गोपीगंज पुलिस थाने में मामले सं. 88/2020 व 96/2020 दर्ज हुए थे तथा जांच के बाद पुलिस ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।

श्री ज्ञान प्रकाश, पुलिस उप-अधीक्षक, वाराणसी ने कहा कि समाचार प्रकाशित करने के लिए समाचारपत्र पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। जांच समिति, श्री राय का उपर्युक्त बयान नोट करती है ।

उपर्युक्त के मद्देनजर, जांच समिति मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है, तदनुसार, कार्यवाही बंद करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

29. **डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीएचएल), कोलकाता प्रबंधन के विरूद्ध कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन न देने के आरोप के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान।**

तथ्य

यह पत्र कोलकाता डीसीएचएल कर्मचारियों से दिनांक 29.7.2020 को प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया है कि डेक्कन क्रॉनिकल प्रबंधन द्वारा सैकड़ों पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के साथ महीनों से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और वर्तमान में प्रबंधन पिछले नौ महीनों से डेक्कन क्रॉनिकल के कोलकाता कर्मचारियों के वेतन/पीएफ का भुगतान न करने के लिए कोविड का बहाना बनाकर इससे बचने की कोशिश कर रहा है । इसने पत्रकारों और गैर-पत्रकारों सहित कर्मचारियों के लिए अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।

डेक्कन क्रॉनिकल के कोलकाता के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन पारित किया है जिसमें कहा गया है कि पिछले नौ महीनों से अपना वेतन न मिलने के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है जो कोविड-19 लॉकडाउन शुरू होने से पहले का है । ज्ञापन में कोलकाता के कर्मचारियों ने प्रबंधन से कोविड-19 की अवधि से पूर्व का वेतन शीघ्र अदा करने की मांग की है।

मामले में स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, परिषद ने पत्र दिनांकित 02.09.2020 द्वारा डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड को टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किया ।

डेक्कन क्रोनिकल का उत्तर

प्रतिवादी, डेक्कन क्रॉनिकल ने उत्तर दिनांक 10.9.2020 के जरिये कहा कि कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी, हैदराबाद) के आदेश दिनांक 19.7.2017 के अनुसार कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) से गुजर रही है । तब से, कंपनी का संचालन दिनांक 3.6.2020 तक एनसीएलटी द्वारा नियुक्त रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा किया गया है, जिसके कारण कंपनी की चल निधि की स्थिति पर लगातार दबाव बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप धन प्रवाह और बहिर्वाह का बड़ा असंतुलन हो गया है और कंपनी को कम राजस्व के साथ उच्च व्यय का प्रबंध करना पड़ रहा है । हालांकि रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल, SREI मल्टीपल एसेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट विज़न इंडिया फंड (SMAIT) द्वारा दिये गये एक सफल रिज़ॉल्यूशन प्लान को सुरक्षित करने में सक्षम रहा, जिसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स द्वारा बहुमत से अनुमोदित किया गया था और इसे एनसीएलएटी द्वारा अनुमोदित भी किया गया था, लेकिन इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष एक ऋणदाता द्वारा चुनौती दी गई थी । इस प्रकार, रिज़ॉल्यूशन प्लान को आज

तक लागू नहीं किया गया है, जैसे निधियों को निवेश करना और कंपनी के संचालन को नियंत्रित करना आदि। रिज़ॉल्यूशन प्लान और एनसीएलएटी के निदेश के अनुसार, कंपनी पर्यवेक्षण समिति की देखरेख में चल रही है, जिसमें रिज़ॉल्यूशन आवेदक, रिज़ॉल्यूशन वृत्तिक और दो ऋणदाता शामिल हैं। इसके अलावा, देश में आर्थिक मंदी के साथ, कंपनी का कारोबार महीने दर महीने नीचे चला गया है तथा चल निधि पर संकट पैदा हुआ है। कोलकाता में कंपनी द्वारा चलाए जा रहे मुनाफा बिना खंड के कारण, यह प्रिंटर को भुगतान नहीं कर सका है और नवंबर 2019 में कार्य बंद कर दिया गया था। उसी के कारण, डीसीएचएल ने अपने कोलकाता कर्मचारियों को डीसीएचएल के अन्य ब्यूरो में स्थानांतरित करने की पेशकश की है, लेकिन विशेष रूप से शिकायतकर्ता उसके लिए सहमत नहीं थे और मामले को एनसीएलटी में ले गए और चूंकि मामला एनसीएलएटी के समक्ष न्यायाधीन था, कंपनी ने शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध आदेश न मानने के लिए कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की।

आगे, डीसीएचएल ने विवेचित किया कि वर्तमान में कोविड-19 ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को बद्तर कर दिया है और चूंकि सरकारी विज्ञापनों में मंदी आई है, इसने राजस्व पर भारी दबाव डाला है।

आगे, डीसीएचएल ने विवेचित किया है कि जैसे ही रिज़ॉल्यूशन प्लान का लंबित क्रियान्वयन लागू होता है, सभी कर्मचारियों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। आगे विवेचित किया है, चूंकि कर्मचारियों की शिकायत अभी एनसीएलटी के समक्ष न्यायाधीन है, डीसीएचएल ने भारतीय प्रेस परिषद से इस मामले में कोई कदम न उठाने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020 को नई दिल्ली में आया। श्री एस.के. मिश्रा, ए.जी.एम. और श्री लवकेश बत्रा ने प्रतिवादी संपादक का प्रतिनिधित्व किया।

डेक्कन क्रॉनिकल के कोलकाता कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किया जाना ही इस स्वः प्रेरणा जांच का विषय है।

प्रतिवादी, डेक्कन क्रॉनिकल ने अपना जवाब दर्ज किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि वेतन का भुगतान न करने के लिए कर्मचारियों की शिकायत

राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हैदराबाद के समक्ष लंबित है। यह आगे कहा गया है कि रिज़ोल्यूशन प्लान लागू होते ही, कर्मचारियों के बकाया राशि के भुगतान को मंजूरी दे दी जाएगी।

कर्मचारियों को लंबी अवधि तक वेतन का भुगतान न करना परिषद के लिए चिंता का विषय है। जांच समिति का मत है कि मीडिया कर्मचारियों यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, को वेतन का ऐसा भुगतान न करना अमानवीय है और लोकतंत्र के सकारात्मक कामकाज के लिए प्रतिकूल है, यह प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता और इसके नैतिक मानकों को प्रभावित करता है। जांच समिति की राय में, प्रतिवादी, डेक्कन क्रॉनिकल के मामलों से जुड़े सभी लोगों या किसी भी अन्य तरह से संबंधित लोगों का कर्तव्य है कि वेतन के भुगतान का मुद्दा जल्द से जल्द सुलझाए जाने की ओर प्रयास करें ।

उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, जांच समिति कार्यवाही बंद करने की संस्तुति करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

30. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग करने पर हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संदर्भ में स्वः प्रेरणा से संज्ञान ।

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप, नई दिल्ली (एक स्वतंत्र थिंक टैंक जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के खतरे का विश्लेषण करता है) की एक रिपोर्ट दिनांकित 15.6.2020 पर गौर किया है कि द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि पंजाब केसरी के मनाली स्थित संवाददाता, श्री सोमदेव शर्मा को अंतर राज्य यात्रियों को क्वारंटाइन करने में प्रशासन की ढिलाई के बारे में रिपोर्ट करने पर

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । आगे रिपोर्ट किया गया है कि श्री गौरव सिंह, पुलिस अधीक्षक, कुल्लू ने कहा कि श्री सोमदेव शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में झूठ लिखा है कि एक व्यक्ति जिले में बिना पास के अवैध रूप से प्रवेश कर गया। अतः घबराहट का माहौल बना दिया।

मामले में स्वः प्रेरणा संज्ञान लेते हुए, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस अधीक्षक, जिला कुल्लू को दिनांक 10.7.2020 को टिप्पणी हेतु नोटिस जारी किए गए।

पुलिस अधीक्षक, कुल्लू की टिप्पणियां

पुलिस अधीक्षक, कुल्लू ने अपनी टिप्पणियों दिनांकित 21.7.2020 द्वारा विवेचित किया कि 14 अप्रैल 2020 को श्री सोनू, संवाददाता, पंजाब केसरी ने **"कोरोना हॉटस्पॉट मोहाली से रात को मनाली पहुंचा युवक"** शीर्षक के अंतर्गत खबर प्रकाशित की, जिसमें रिपोर्ट किया गया था कि कोरोना हॉटस्पॉट मोहाली से एक व्यक्ति मनाली जिले के पतलीकूहल पहुंचा । जब स्थानीय लोगों को इस बारे में पता चला, उनके बीच कोलाहल मच गया था । पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा और वापिस मोहाली भेज दिया । रिपोर्टिंग में आगे कहा गया है कि मोहाली में कोरोना के करीब 3 दर्जन मामले दर्ज हुए और हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा को पार करने की वजह से पुलिस पर प्रश्न उठाए गए ।

प्रतिवादी के अनुसार, पंजाब केसरी में उक्त खबर को प्रकाशित करने के पश्चात, एसएचओ, पुलिस थाना, पतलीकूहल, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश द्वारा तथ्यों को सत्यापित किया गया । सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि श्री चन्दन अवस्थी बद्दी से पतलीकूहल का वैध ई-पास के साथ कोविड-19 की सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मेडिकल आपातकालीनता की वजह से दिनांक 13.04.2020 को अपनी पत्नी और बेटी सहित अपने पैतृक गांव पतलीकूहल आए थे । एसएचओ, पुलिस थाना, स्वरघाट, जिला बिलासपुर ने दिनांक 14.4.2020 को इस संदर्भ में तथ्यों का सत्यापन करते हुए ईमेल भेजा। प्रतिवादी ने विवेचित किया कि श्री चन्दन अवस्थी ने अपनी यात्रा बद्दी से पतलीकूहल तक अपनी निजी गाड़ी में की थी और उसने अपनी गाड़ी को बद्दी से पतलीकूहल तक हर पुलिस नाके पर रोका था । कोविड-19 के खतरे को रोकने के लिए श्री चन्दन अवस्थी के पहुंचने के पश्चात उन्हें, उनकी पत्नी और बेटी को दिनांक

13.04.2020 को गृह क्वारंटिन में भेज दिया था । दिनांक 14.04.2020 को उक्त चन्दन अवस्थी अपने परिवार के साथ बद्दी वापिस चले गए थे जिसका कारण उन्हें ही पता था। जबकि श्री सोमदेव उर्फ सोनू, संवाद्दाता, पंजाब केसरी द्वारा प्रकाशित खबर के अनुसार, श्री चन्दन अवस्थी कोरोना हॉटस्पॉट मोहाली से अपने पैतृक गांव पतलीकूहल कोविड-19 की प्रोटोकॉल का पालन किए बिना ही आए थे और पुलिसवालों पर जोकि हर जिले की सीमा पर लगे नाकों पर तैनात हैं, के कार्य पर सवाल उठा रहे हैं । प्रतिवादी ने आगे कहा कि पंजाब केसरी के संवाददाता उक्त श्री सोमदेव द्वारा प्रकाशित खबरें बेबुनियाद और तथ्यों से परे पायी गईं जिसने आम जनता के बीच घबराहट पैदा कर दी । इस कथित अपराध के लिए, पतलीकूहल पुलिस थाना, जिला कुल्लू में कानून के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एफ़आईआर सं. 69/2020 दिनांकित 14.04.2020 को दर्ज की गई । उक्त मामले की जांच के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, कुल्लू के समक्ष दिनांक 08.06.2020 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और यह माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक फैसले हेतु लंबित है ।

प्रतिवादी ने विवेचित किया कि उनके द्वारा न तो प्रेस की स्वतंत्रता की कटौती की गई है और न ही मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है । उन्होंने परिषद से मामले में कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020 को नई दिल्ली में आया ।

जब यह परिषद के संज्ञान में आया कि समाचारपत्र पंजाब केसरी के एक संवाददाता को उक्त समाचारपत्र में एक खबर प्रकाशित करने के कारण आरोपी बनाया गया है तो परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया और तदनुसार, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी गई । इसी के संदर्भ में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट प्रस्तुत की । श्री अभिमन्यु झांबा और श्री आशीष झांबा प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए । रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रकाशित खबर बेबुनियाद पायी गई और इससे आम जनता में घबराहट पैदा हो गई और इसीलिए, पतलीकूहल पुलिस थाने

में एफ़आईआर सं. 69/2020 दर्ज की गई और अंतत: मामला सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जांच समिति मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है तथा तदनुसार, मामले में कार्यवाही बंद करने की संस्तुति करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

31. कांकेर, छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हमले के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान ।

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने कांग्रेस विधायक द्वारा कांकेर, छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार पर कथित हमले के संदर्भ में एक समाचार रिपोर्ट पर गौर किया है। बताया गया कि पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में पत्रकार पर हमले के विरुद्ध रायपुर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह भी बताया गया है कि जब पत्रकार मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर कूच कर रहे थे, तो दल को पुलिस द्वारा बीच में ही रोक दिया गया था और उनके बीच हाथापाई हो गई। तत्पश्चात्, पत्रकार धरने पर बैठ गए और मुख्यमंत्री के विरूद्ध नारेबाजी करने लगे और ज्ञापन की प्रतियां भी जलाईं गई। बताया गया कि मुख्यमंत्री ने मामले में जांच समिति का गठन किया तथा पत्रकार जांच समिति से नाखुश थे और उन्होंने कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने अपराधी कांग्रेस नेता को निर्वासित करने की भी मांग की।

परिषद ने इस पर स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया और मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस अधीक्षक, कांकेर को नोटिस जारी किए।

उत्तर

परिषद के पत्र दिनांकित 13.10.2020 के जवाब में, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ ने अपने उत्तर दिनांकित 12.11.2020 द्वारा विवेचित किया है कि श्री सतीश यादव, सुभाष वार्ड, कांकेर की शिकायत पर, आईपीसी की धारा 294/303/506/34 के तहत मामला सं. 257/2020, पुलिस थाना कांकेर, में दर्ज किया गया । जांच के दौरान, आरोपी श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर, मकबूल खान और मनू शादाब खान को दिनांक 26.09.2020 को गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। आगे बताया गया कि श्री कमल शुक्ला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 294/323/506/34 के तहत मामला सं. 259/2020 दर्ज किया गया । जांच के दौरान, आरोपी श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर, अब्दुल गफ्फार मेमन और मोनू शादाब को दिनांक 26.09.2020 को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2020 को नई दिल्ली में आया । प्रतिवादी की ओर से श्री आकाश मरकम, पुलिस उप-अधीक्षक, कांकेर और श्री सुनील सिंह, संयुक्त निदेशक (पीआर), दिल्ली पेश हुए।

कांकेर, छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकारों पर हमला ही इस स्व: प्रेरणा जांच का विषय है । पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 12.11.2020 प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि श्री सतीश यादव, पत्रकार पर हमले के संदर्भ में, आरोपियों के विरूद्ध मामला सं. 257/2020 दर्ज किया गया था। अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने आगे कहा है कि श्री कमल शुक्ला पर हमले के संदर्भ में, कांकेर पुलिस थाने में मामला सं. 259/2020 दर्ज किया गया था। श्री आकाश मरकम, पुलिस उप-अधीक्षक, कांकेर जांच समिति के समक्ष पेश हुए और कहा कि पुलिस ने दोनों मामलों में जांच के उपरांत आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और मामला सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

उपर्युक्त के मद्देनजर, जांच समिति मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है और कार्यवाही बंद करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेती है ।

<u>प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती</u>

न्यायनिर्णय
दिनांकित 16.02.2021

32-33. श्री शिशिर सोनी,
उपाध्यक्ष,
प्रेस एसोसिएशन

वित्त सचिव,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

श्री अनंत बगैतकर,
अध्यक्ष,
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया,

श्रीमती विनीता पांडे,
महासचिव, आईडबल्यूपीसी

श्री वेंकट नारायण,
अध्यक्ष,
फ़ॉरेन करेसपांडेन्ट क्लब

श्री अशोक मलिक,
अध्यक्ष,
नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया)

श्री मनोहर सिंह,
अध्यक्ष,
दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन

श्री राजीव रंजन नाग,
अध्यक्ष,
इंडियन फ़ैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स

तथ्य

श्री शिशिर सोनी, उपाध्यक्ष, प्रेस एसोसिएशन; श्री अनंत बगैतकर, अध्यक्ष, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया; श्रीमती विनीता पांडे, महासचिव, इंडियन वुमैन प्रेस कॉर्प्स (आईडब्ल्यूपीसी) और श्री एस वेंकट नारायण, अध्यक्ष फ़ॉरेन करेसपांडेन्ट क्लब ने दिनांक 11.7.2019 के पत्र के माध्यम से परिषद के ध्यान में लाया कि वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार से मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को मिलने के निश्चित तय समय और अनुमोदन के बिना मंत्रालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी प्रमुख मीडिया संगठनों ने इस अलोकतांत्रिक कृत्य का विरोध किया है। कुछ पत्रकारों ने केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात की और मंत्री को यह समझाने की कोशिश की, कि सरकार के इस एकतरफा और अलोकतांत्रिक कदम के कारण पत्रकारों को वृत्तिक खतरों का सामना करना पड़ेगा लेकिन यह व्यर्थ साबित हुआ। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि यदि इस तरह का अभ्यास जारी रहता है, तो सभी सरकारी कार्यालय पूरे मीडिया के लिए उनकी सीमा से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने परिषद से मामले में हस्तक्षेप करने और मंत्रालय को मीडिया पर अनुचित प्रतिबंधों को वापस लेने का निदेश देने का अनुरोध किया है।

वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 15.7.2021 को उत्तर में वक्तव्य हेतु नोटिस जारी किया गया।

इस बीच, परिषद को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस (इंडिया) के अध्यक्ष श्री अशोक मलिक; श्री मनोहर सिंह, अध्यक्ष, दिल्ली जर्नलिस्टस एसोसिएशन, श्री राजीव रंजन नाग, अध्यक्ष, इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिट्स द्वारा संयुक्त रूप से अग्रेषित दिनांक 17.7.2019 का एक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा उन्होंने परिषद का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में वित्त मंत्रालय सहित कुछ अन्य विभाग और मंत्रालय अपने कार्यालयों में मिलने के निश्चित तय समय के बिना प्रवेश से इनकार करते हैं, यहां तक कि उन पत्रकारों को भी जिन्हें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) से मान्यता प्राप्त है। उनके अनुसार, बड़े पैमाने पर समाचार एकत्र करने और जनता को सूचित करने के अपने चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए पत्रकारों को सूचना और लोक सेवकों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। उनकी राय में, मीडिया की स्वतंत्रता पर इस तरह की रोक से भारत की वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में और गिरावट आ सकती है, खासकर जब यह संक्रमण आसानी से अन्य मंत्रालयों में भी फैल सकता है। उन्होंने वित्त मंत्री से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और इस रोक को तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने परिषद

से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ताकि मीडियाकर्मियों को देश भर के सभी सरकारी कार्यालयों में अप्रतिबंधित प्रवेश मिल सके।

वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 19.7.2021 को उत्तर में वक्तव्य हेतु नोटिस जारी किया गया।

वित्त मंत्रालय का उत्तर

वक्तव्य हेतु नोटिस के जवाब में, सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने दिनांक 17.1.2020 के उत्तर द्वारा विवेचित किया कि वित्त मंत्रालय के अंदर मीडियाकर्मियों को सुव्यवस्थित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गयी है और इसका प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि वित्त मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए परेशानी मुक्त अनुकूल और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में प्रवेश की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। उसने प्रस्तुत किया है कि वित्त मंत्रालय व्यक्तिगत आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को नजदीकी पहुंच प्रदान करके समाचार एकत्र करने और रिपोर्टिंग में बेहतर प्रक्रिया अपनाने के लिए मीडिया की सुविधा प्रदान कर रहा है। वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक में मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पीआईबी से मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को मिलने का समय तय होने के बाद किसी अलग प्रवेश पास की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा है कि डीजी/एडीजी (मीडिया और संचार) द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनियों द्वारा सभी महत्वपूर्ण मामलों पर मीडिया के साथ सूचना का नियमित प्रवाह होता है। इसके अलावा, उन्होंने जुलाई से दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान प्रेस प्रकाशनियों की सूची प्रदान की है। इसके अलावा, वित्त मंत्री से पत्रकारों के अनुरोध के आधार पर, मीडियाकर्मियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

प्रति टिप्पणियां

प्रेस एसोसिएशन, इंडियन वूमेन प्रेस कॉर्प्स, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने दिनांक 27.01.2020 की अपनी संयुक्त प्रति टिप्पणियों के द्वारा विवेचित किया कि नई प्रक्रिया बेहतर और केंद्रित समाचार एकत्र करने में सहायक है, पूरी तरह से गलत है। मीडियाकर्मी, जिन्हें पूरी तरह से सुरक्षा मंजूरी के बाद मान्यता मिली है, उन्हें वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक के हिस्से में प्रवेश से

मना कर दिया गया है, हालांकि, मान्यता दिए जाने के समय, उन्हें सभी मंत्रालयों तक स्वतंत्र रूप से प्रवेश का आश्वासन दिया गया है। मई 2019 से, पत्रकारों को वित्त मंत्रालय में प्रवेश से मना कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि वित्त मंत्रालय ने उनके ज्ञापन का जवाब देने की भी परवाह नहीं की। यह सरकार के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से किया गया कार्य है जो कि पूरी तरह से अनादर को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के समान, उसी भवन में स्थित अन्य सभी मंत्रालय पीआईबी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति देते हैं और केवल वित्त मंत्रालय ही अलग व्यवहार करता है। प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से वित्त मंत्रालय के नियमित रूप से पत्रकारों के संपर्क में रहने के दावों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि स्वयं वित्त मंत्रालय के आंकड़े जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 तक जारी प्रकाशनियों में कमी दर्शाते हैं जो सूचना अंतराल में वृद्धि का संकेत देते हैं। इसके अलावा, सरकार का विचार है कि उसकी प्रेस विज्ञप्तियों को अनुकूल और सटीक समाचारों के रूप में ही प्रकाशित किया जाये और किसी भी आलोचना को प्रतिकूल रूप से लिया जाता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि समाचार प्रवाह बहुत प्रभावित हुआ है क्योंकि प्रतिबंध के साथ अपॉइंटमेंट की संख्या में भारी कमी आई है। खंडन में, नॉर्थ ब्लॉक को कवर करने वाले पत्रकारों के संघर्षों को ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस प्रणाली को लागू करने से पहले उनसे उनकी प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई है। प्रतिबंध के मुद्दे पर मंत्री ने कुछ संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठकें कीं, लेकिन इसके अलावा, अधिकतर वित्त रिपोर्टरों को इस मुद्दे पर अपने विचारों को रखने या औपचारिक बैठक की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने निवेदन किया है कि यदि अभी नहीं रोका गया, तो वित्त मंत्रालय का यह अभ्यास मिसाल कायम करेगा और अन्य मंत्रालय भी पत्रकारों को रोकना शुरू कर सकते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसा अभ्यास कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा है कि अर्थव्यवस्था के सभी मापदंडों में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं और जाहिर तौर पर सरकार नहीं चाहती कि सही तस्वीर सामने आए और यही वजह है कि वित्त मंत्रालय में मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।

वित्त मंत्रालय का अन्य उत्तर

सुश्री जॉर्ज मेथ्यू, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय ने अपने अन्य उत्तर दिनांक 13.03.2020 द्वारा विवेचित किया कि मीडिया संगठनों द्वारा दिये गये उत्तर पूर्ण रूप से गलत और झूठे हैं। नई प्रक्रिया ने मीडियाकर्मियों के लिए समाचार एकत्रीकरण को सुव्यवस्थित किया है। वित्त

मंत्रालय की स्वतंत्र रिपोर्टिंग के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। यह इस तथ्य से साबित होता है कि सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 के बीच लगभग 339 "स्रोत आधारित" समाचार सामने आए हैं। उन्होंने आगे विवेचित किया कि पीआईबी मान्यता प्राप्त पत्रकार पूर्व नियोजित भेंट के आधार पर अपने विशेषाधिकार का आनंद लेते हैं। इसलिए, विशेषाधिकार का अधिकार के रूप में उपयोग करना विशेषाधिकार के तर्क की प्रतिकूल व्याख्या है । किसी भी पत्रकार का वित्त मंत्रालय में प्रवेश निषेध नहीं है । (क) नियोजित भेंट (ख) वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत (ग) वित्त मंत्रालय के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस, के आधार पर वे प्रवेश प्राप्त करते हैं । उन्होंने कहा है कि वे भारत सरकार के मंत्रालयों के आचरण की न तो जिम्मेवारी लेती हैं और न ले सकती हैं । हर मंत्रालय के कार्य और संचालन का तरीका भिन्न है । आगे, मीडियाकर्मियों का यह दावा कि जुलाई 2019 के बाद से खबरों की संख्या कम हुई है, पूर्णतः गलत है । असल में, इकनॉमिक सर्वे 2018-2019 तथा जनरल बजट 2019-2020 के प्रस्तुतीकरण के कारण जुलाई 2019 के बाद से खबरों की संख्या बढ़ी है । उन्होंने आगे विवेचित किया कि 'स्रोत आधारित' खबरें नवम्बर 2019 में गिरकर केवल 14 रह गई हैं जोकि समाचार प्रक्रिया के बजाय समाचार योग्य घटनाओं के कम होने का प्रतिबिंब है । शिकायतकर्ताओं का दावा, कि एमओएफ आलोचना को गलत तरीके से लेता है, गलत है क्योंकि नई प्रणाली केवल मिलने के समय को सुव्यवस्थित करती है न कि मीडियाकर्मियों और अधिकारियों के बीच बातचीत की अंतर्वस्तु को।

जांच समिति की रिपोर्ट

जांच समिति ने पक्षों की ओर से की गई विवेचना का अध्धयन किया, इससे पहले कि वह कोई विशिष्ट निदेश दे, वह यह आवश्यक समझती है कि वित्त मंत्रालय स्वयं पूरे मामले को सही परिप्रेक्ष्य में देखे। तदनुसार, जांच समिति, संस्तुति करती है कि वित्त मंत्रालय द्वारा कानून के अनुसार मामले की योग्यता की नए सिरे से जांच की जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कार्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत समाप्त करने का निर्णय लेती है।

<u>सिद्धान्त और प्रकाशन</u>

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

34. श्री गगन आनंद
अधिवक्ता
पंचकुला (हरियाणा)

श्री रमेश विनायक
सीनियर रेजिडेंट एडिटर
हिंदुस्तान टाइम्स,
मोहाली (पंजाब)

<u>तथ्य</u>

यह शिकायत दिनांकित 20/07/2020, श्री गगन आनंद, पंचकुला (हरियाणा) द्वारा सीनियर रेजिडेंट एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स मोहाली (पंजाब) के खिलाफ 24/05/2020 के अंक शीर्षक 'पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी अंडर स्कैनर आफ्टर कैग फाइंड्स फाइनैनशियल इररैगुलैरिटीज़' के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटियाला (पंजाब) से संबंधित कथित रूप से झूठा, असत्यापित और दुर्भावनापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के लिए दायर की गई है।

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि पंजाब सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (RGNUL), पटियाला के कामकाज में गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को सूचीबद्ध करने के बाद इसे स्कैनर में डाल दिया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विश्व विद्यालय द्वारा करोड़ों रुपये की निविदाएं अपात्र ठेकेदारों को दी गईं, कैंपस भवन का निर्माण उसकी योजना की मंजूरी के बिना शुरू किया गया और अनियमित नियुक्तियां की गईं। यह भी बताया गया है कि पंजाब उच्च शिक्षा विभाग ने RGNUL के वित्तीय मामले की जांच शुरू कर दी है और विश्वविद्यालय से वर्षवार विवरण मांगा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने यह कहते हुए विश्वविद्यालय से विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण भी मांगा है कि जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि उसका बेटा राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आरजीएनयूएल), पटियाला का छात्र है, इसलिए उसने आरजीएनयूएल अधिकारियों के साथ मामला उठाया, ताकि सही तथ्यों का पता लगाया जा सके।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके द्वारा आरजीएनयूएल अधिकारियों से प्राप्त जानकारी और दस्तावेजों की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आक्षेपित समाचार चुनिंदा और अधूरी जानकारी पर आधारित है और इसे गलत इरादे से प्रकाशित किया गया है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि हालांकि CAG ने विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन पर कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन बाद में CAG द्वारा वर्ष 2017 और 2019 के दौरान आरोपों को हटा दिया गया। अत: यह स्पष्ट है कि समाचारपत्र ने अधूरे तथ्य दिये जोकि RGNUL की प्रतिष्ठा कम करने और विश्वविद्यालय के उच्च योग्य शिक्षाविदों और संकायों को जानबूझकर अपमानित करने का एक प्रयास है|

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 05/06/2020 के जरिये, प्रकाशित झूठे समाचार पर उत्तरदाता का ध्यान आकर्षित किया और समाचारपत्र में सही तथ्यों को प्रकाशित करने का अनुरोध किया। हालांकि, उत्तरदाता ने ईमेल दिनांक 11/06/2020 के जरिये शिकायतकर्ता के सभी आरोपों का खंडन किया और आगे कहा कि समाचार लेख को तथ्यों के उचित और पर्याप्त सत्यापन के साथ प्रकाशित किया गया था और समाचार लेख बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी के जवाब से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए परिषद से अनुरोध किया है।

संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स, मोहाली को 07.09.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

हिंदुस्तान टाइम्स, मोहाली के श्री अरुण पाठक ने दिनांक 05.10.2020 के लिखित वक्तव्य के जरिये सभी आरोपों को खारिज करते हुए विवेचित किया है कि शिकायतकर्ता के पास मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई लोकल स्टैंडी नहीं है। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार में निहित तथ्यों का उचित और पर्याप्त सत्यापन करने के पश्चात जिम्मेदार पत्रकारों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सामान्य रूप से समाचार प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, आक्षेपित समाचार विश्वविद्यालय के फंड्स के संबंध में कैग रिपोर्ट पर आधारित था। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि न तो विश्वविद्यालय और न ही सीएजी प्राधिकरण ने आक्षेपित समाचारों पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा आंशिक दस्तावेजों को 5.6.2020 के कानूनी नोटिस में उल्लेखित किया गया है, जिससे पता चलता है

कि इसमें शामिल मुद्दों के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आक्षेपित समाचार आइटम को प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को जवाब भी भेजा है कि नोटिस भेजने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी ने कहा है कि आक्षेपित समाचार आइटम न तो शिकायतकर्ता से संबंधित है और न ही उसके बेटे से क्योंकि आक्षेपित समाचार में न तो उसके नाम और न ही उसके बेटे के नाम का उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी ने कहा है कि द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ द्वारा 23.05.2020 के अंक में भी इसी समाचार को प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि विश्वविद्यालय पर विभिन्न पहलुओं को लेकर आरोप लगाए गए थे और कुछ अन्य घटनाओं के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कुलपति, RGNUL को एक पत्र संबोधित किया गया था। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता, श्री गगन आनंद ने 9.11.2020 की अपनी प्रति टिप्पणियों के जरिये अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा कि प्रतिवादी का लिखित वक्तव्य भ्रामक और अस्पष्ट है। शिकायतकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर आक्षेपित समाचार रिपोर्ट में अधूरी जानकारी प्रकाशित की और जिससे पत्रकारिता नीति के मानकों का उल्लंघन हुआ। शिकायतकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने यह उल्लेख नहीं किया है कि कैग की आपत्तियों का आक्षेपित समाचार रिपोर्ट के प्रकाशन से बहुत पहले कैग द्वारा ही निपटारा हो गया था।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 11.12.2020 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए नई दिल्ली में आया।

शिकायतकर्ता 24.5.2020 के अंक में शीर्षक "पटियाला यूनिवर्सिटी अंडर स्केनर-कैग फाइंड्स फाइनेंशियल इररैगुलैरिटी" के अंतर्गत हिंदुस्तान टाइम्स के मोहाली संस्करण में प्रकाशित समाचार से व्यथित हैं। शिकायतकर्ता का यह दावा है कि वह प्रतिवादी अखबार 'हिंदुस्तान टाइम्स' का पाठक है और समाचार के विषयगत मामले में उसकी रुचि है क्योंकि संबद्ध विश्वविद्यालय में उसका बेटा अध्ययन करता है। शिकायतकर्ता का यह दावा है कि आक्षेपित समाचार को अधूरी जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया

है। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि कैग ने विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन पर कुछ आपत्तियां जताई हैं, लेकिन समाचार के प्रकाशित होने की तारीख यानी 24 मई, 2020 से बहुत पहले ही 2017-2019 में इनका निपटारा हो गया था। यह चिन्हित किया गया है कि कैग रिपोर्ट का संदर्भ आक्षेपित समाचार में कई बार दिया गया है लेकिन यह तथ्य कि समाचार के प्रकाशन से काफी पहले इनका निपटारा हो गया था, विवेचित नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उन तथ्यों के बारे में प्रतिवादी अखबार का ध्यान आकर्षित किये जाने पर भी उन्होंने शुद्धिपत्र प्रकाशित नहीं किया।

शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व उनके परामर्शदाता श्री एन.बी. जोशी ने किया।

शुरू में श्री जोशी ने शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता की लोकस स्टैंडी पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता को उस विश्वविद्यालय से कोई लेना-देना नहीं है जिसके बारे में समाचार प्रकाशित किया गया है। तदनुसार, वह प्रार्थना करता है कि शिकायत को इसी आधार पर छोड़ दिया जाए। जाँच समिति ने श्री जोशी के उक्त प्रस्तुतीकरण करने पर विचार किया है और पाया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। शिकायतकर्ता प्रतिवादी अखबार का पाठक है और आगे उसका बेटा उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है जिसके बारे में समाचार प्रकाशित किया गया है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि वह हस्तक्षेप कर रहे हैं और समाचार में उसकी कोई रुचि नहीं है। इस प्रकार जाँच समिति श्री जोशी की इस आपत्ति को समाप्त कर देती है।

तब श्री जोशी ने कहा कि जो समाचार प्रकाशित हुआ है, वह सच है। वह बताते हैं कि कैग द्वारा इस तरह की आपत्ति जताई गई थी, इसलिए प्रतिवादी अखबार ने किसी भी नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टक कंडक्ट का उल्लंघन नहीं किया है। जांच समिति ने पाया कि CAG द्वारा जिन अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, की विश्वविद्यालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद फिर से जांच की गई और अखबार में समाचार के प्रकाशन से बहुत पहले ही इनका निपटारा हो गया। अखबार द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया है। इस तरह, प्रतिवादी अखबार ने पूरा समाचार प्रकाशित नहीं किया है। भले ही जांच कमेटी अखबार के पक्ष में मान ले कि प्रकाशन के दिन, उसे कैग रिपोर्ट के परिणाम के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा इस तथ्य को उत्तरदाता के नोटिस में लाने का खंडन नहीं किया गया है। इसके बावजूद, प्रतिवादी ने किसी भी शुद्धिपत्र को जारी नहीं किया।

शिकायतकर्ता बताते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत अखबार द्वारा मांगी गई जानकारी से ही पता चलता है कि CAG ने समाचार के प्रकाशन से पहले ही ऑडिट आपत्ति को हटा लिया था, लेकिन प्रतिवादी अखबार ने जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं दिया।

चाहे जो भी हो, जांच समिति की राय है कि जब पूर्ण तथ्यों को प्रतिवादी समाचार पत्र के नोटिस में लाया गया था, तो उसे ऐसे संपादकीय के साथ, जो वह आवश्यक समझे, प्रकाशित करना चाहिए था|

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जांच समिति का विचार है कि प्रतिवादी समाचार पत्र ने नॉर्म्स ऑफ़ जर्नलिस्टिक कंडक्ट का उल्लंघन किया है और उसे परिनिंदित करने की आवश्यकता है।

तदनुसार, जांच समिति संस्तुति करती है कि प्रतिवादी समाचार पत्र के मोहाली संस्करण को परिनिंदित किया जाए। इस आदेश की एक प्रति बी ओ सी सास नगर मोहाली के उपायुक्त और जन संपर्क निदेशक पंजाब को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए पूर्वोक्त संस्तुति के साथ, जांच समिति शिकायत का समर्थन करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तर्कों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर, उपर्युक्त निदेश के साथ प्रतिवादी समाचारपत्र, हिंदुस्तान टाइम्स, मोहाली, संस्करण को **परिनिंदित** करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

35. डॉ जॉय एन. तिर्की
उपायुक्त,
उपायुक्त कार्यालय, दिल्ली,
अपराध (मुख्यालय),
नई दिल्ली,

संपादक,
इंडियन एक्सप्रेस,

इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग,
नोएडा

श्री महेन्द्र मनराल,
संवाददाता,
इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली।

तथ्य

यह शिकायत दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अपराध (मुख्यालय) दिल्ली द्वारा इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ दिनांक 9.5.2020 के अंक में शीर्षक "**तब्लीगी एफआईआर: पुलिस प्रोब इंडिकेट्स साद आडियो वाज़ डॉक्टर्ड**" के अंतर्गत कथित भ्रामक, तथ्यात्मक रूप से गलत और असत्यापित समाचार प्रकाशित करने पर दिनांक 12.5.2020 को दर्ज की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, लेख पुलिस स्टेशन अपराध शाखा में पंजीकृत एक जांच प्रकरण, महामारी रोग अधिनियम 1897 के एफआईआर सं 63/2020 दिनांक 31.03.2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के आर/डब्ल्यू 51/58(1) विदेशी अधिनियम, 1946 की आर/डब्ल्यू धारा 14(1)(बी), आईपीसी की आर/डब्ल्यू 304/308/336/188/269/270/271/120-बी से संबद्ध है शिकायतकर्ता ने कहा कि संबद्ध लेख में यह बताया गया है कि क्राइम ब्रांच की जांच में पाया गया है कि मर्कज निजामुद्दीन के मुखिया मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ उक्त पुलिस एफआईआर में उल्लिखित ऑडियो क्लिप जिसमें उन्होंने तब्लीगी जमात के सदस्यों से सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का पालन नहीं करने और निषेधाज्ञा देने को कहा था "डॉक्टर्ड" (छेड़छाड़) ऑडियो क्लिप' है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विश्वस्त सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुलिस ने मर्कज़ सदस्य के पास से एक लैपटॉप बरामद किया है, जो उनकी ऑडियो क्लिप निकालता है, और उसे पूर्ण रूप से देखा उन्हें स्कैन करने के बाद, पुलिस ने पाया कि तीन रूपों में 350 से अधिक ऑडियो क्लिप हैं-मर्कज़ घटनाओं की रॉ क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स जो उनके अनुयायियों को भेजी गईं, और वे, जो उनके YouTube चैनल पर अपलोड की गईं। आगे यह कहा गया है कि इंस्पेक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम, उस विशिष्ट ऑडियो को खोजने की कोशिश कर रही है जो वायरल हो गया था और जिसका एफआईआर में उल्लेख किया गया था, अब तक लैपटॉप से ऐसी कोई क्लिप बरामद नहीं हुई है। दूसरी ओर, जांचकर्ताओं ने पाया कि अन्य घटनाओं से पुलिस और धर्म पर साद की टिप्पणियों को संदर्भ से परे और गलत लिया गया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, जांच के संबंध में आक्षेपित लेख में किए गए दावे गलत हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि खबर न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि पूरी

तरह से असत्यापित स्रोतों और विशुद्ध रूप से अनुमान संबंधी कल्पना पर आधारित है। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने प्रस्तुत किया है कि उसने 09/05/2020 को इंडियन एक्सप्रेस को एक स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के लिए प्रत्युत्तर जारी किया है, हालांकि 10/05/2020 को स्पष्टीकरण प्रकाशित करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने इसपर अपना जवाब जोड़ा, जो कि नीचे पुन: प्रस्तुत है:-

"इंडियन एक्सप्रेस का जवाब :

रिपोर्ट मौलाना साद के खिलाफ जांच से अवगत स्रोतों और अधिकारियों के साथ बातचीत पर आधारित है, प्रकाशन से पहले, शुक्रवार को विशेष सीपी (अपराध) प्रवर रंजन को कॉल किए गए थे। साथ ही, रिपोर्ट में मुख्य बिंदुओं पर उनकी टिप्पणी के लिए उन्हें एक संदेश भी भेजा गया था। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली"।

चूंकि प्रत्युत्तर का प्रकाशन संतोषजनक नहीं था और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई कथित रिपोर्टिंग को ठीक नहीं किया गया था, पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए धारा 160 सीआरपीसी के तहत 10/05/2020 को संबंधित रिपोर्टर, श्री महेन्द्र सिंह मनराल को नोटिस जारी किया । हालांकि, पुलिस ने कहा है कि रिपोर्टर ने लेख में किए गए झूठे दावों को दोहराया और यह भी कहा कि उसने फोन पर एक विशेष पुलिस आयुक्त से तथ्यों को सत्यापित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, जो गलत है, क्योंकि पुलिस कर्मियों का फोन नं॰ पूछने पर संबंधित रिपोर्टर ने यह कहते हुए संपर्क नंबर दिखाने से इनकार कर दिया कि उनके फोन में बहुत गोपनीय जानकारी है इसलिए वह इसे अपने साथ नहीं रख रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि चूंकि मामला लॉकडाउन अवधि के दौरान COVID-19 के प्रसार से संबंधित निजामुद्दीन में तब्लीगी मरकज की घटना से संबंधित है और उसपर जांच चल रही है एक अत्यधिक संवेदनशील मामला है इसलिए मीडिया में गलत रिपोर्टिंग/असत्यापित तथ्यों की जांच प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जांच के विषय को लेकर व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए एक काल्पनिक और अनुमानात्मक घटनाक्रम का निर्माण या प्रचार हो सकता है। इसलिए, शिकायतकर्ता ने परिषद से इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी संपादक, इंडियन एक्सप्रेस को 20.5.2020 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, और उसके बाद टाइम बाउंड रिमाइंडर 29.10.2020 जारी किया गया था

इंडियन एक्सप्रेस के संपादक का लिखित वक्तव्य

श्री राकेश सिन्हा, संपादक, इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली ने 12.12.2020 के अपने लिखित वक्तव्य के जरिये विवेचना प्रस्तुत की, कि आक्षेपित समाचार रिपोर्ट को विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचना/दस्तावेजों के आधार पर, जनहित में, सदभावना में प्रकाशित किया गया था, ऐसा माना गया कि यह सच्चा और सही है तथा शिकायतकर्ता या किसी और के प्रति दुर्भावना के बिना प्रकाशित किया गया था | समाचार रिपोर्ट स्पष्ट रूप से गोपनीय स्रोतों पर आधारित थी। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि संवाददाता, श्री महेन्द्र सिंह मनराल ने विशेष सीपी (अपराध) और सूत्रों से पहले बात की थी, जिन्हें शब्दशः उद्घृत किया गया है। प्रतिवादी के अनुसार, आक्षेपित समाचार रिपोर्ट एक ऑडियो क्लिप के आधार पर मरकज निजामुद्दीन प्रमुख, मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ एक एफआईआर कवर करती है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर तब्लीगी जमात के सदस्यों से कहा था कि वे सामाजिक दूरी पालन और निषेधाज्ञा का पालन न करें प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि समाचार रिपोर्ट में उनके दिये गये उद्धरणों का खंडन करते हुए न तो विशेष सीपी (अपराध) और न ही किसी अन्य ने अभी तक समाचार पत्र को कोई पत्र भेजा है। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि दिल्ली पीआरओ, श्री मनदीप रंधावा ने 9.5.2020 को प्रकाशन के लिए एक प्रत्युत्तर भेजा और अगले ही दिन इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली के अंक 10.5.2020 में इसे प्रकाशित किया गया। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने श्री मनराल को परेशान किया और अपने स्रोतों को प्रकट करने के लिए उन पर दबाव डाला। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी अखबार को चेतावनी देने या उसकी भर्त्सना करने अथवा उसकी परिनिंदा करने का कोई आधार नहीं है।

इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता श्री महेन्द्र सिंह मनराल का लिखित वक्तव्य

श्री महेन्द्र सिंह मनराल, विशेष संवाददाता, इंडिया एक्सप्रेस ने लिखित वक्तव्य दिनांक 16.12.2020 के जरिये बताया कि उन्हें शिकायत की कॉपी, कारण बताओ नोटिस या इस आशय का कोई अनुस्मारक नहीं दिया गया था| उन्हें संपादक श्री राकेश सिन्हा से शिकायत

के बारे में पता चला। अपने संक्षिप्त उत्तर में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनहित में, सद्भावना में आक्षेपित समाचार तैयार किया गया था, जो कि सत्यापन के बाद और किसी के प्रति दुर्भावना के बिना सत्य और सही मानकर प्रकाशित किया गया था | प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR & D) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के थिंक टैंक "फर्जी समाचारों को कैसे स्पॉट करें और जांच करें" पर एक रिपोर्ट अपलोड की, जिसने COVID-19 महामारी को लेकर अल्पसंख्यकों पर लक्ष्य साधने पर लाल झंडी दिखा दी और नकली ऑडियो के उदाहरण के रूप में तब्लीगी जमात प्रमुख की ऑडियो क्लिप का उल्लेख किया। 40 पेज की गाइड कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए है। यह उसके स्रोत द्वारा उसे प्रदान की गई जानकारी को दर्शाता है। संपादक, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्य का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि उसकी अंतर्वस्तु को उसके उत्तर के रूप में माना जा सकता है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि यह सही ढंग से रिकार्ड किया गया है कि जब वह 11.5.2020 को जांच में शामिल हुआ, तो जांच अधिकारी ने उसे, अपने स्रोतों को प्रकट करने के लिए दबाया। हालांकि, उन्होंने अपने गोपनीय स्रोतों का खुलासा करने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि शिकायत में केवल नीरस इनकार शामिल किये गये हैं और वह उनकी समाचार रिपोर्ट में ऐसे किसी भी तथ्य का खुलासा करने में विफल रहता है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 18.12.2020 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। जहां शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, श्री साहिल, परामर्शदाता और श्री महेन्द्र मनराल, विशेष संवाददाता, इंडियन एक्सप्रेस प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए।

यह शिकायत डॉ जॉय एन. तिर्की, पुलिस उपायुक्त, दिल्ली ने यह आरोप लगाते हुए कि की इंडियन एक्सप्रेस 'दिल्ली में 9 मई, 2020 के अंक में प्रकाशित समाचार तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। प्रकाशित समाचार का शीर्षक था "तब्लीगी एफआईआर: पुलिस प्रोब इंडिकेट्स साद आडीयो वाज़ डॉक्टर्ड" समाचार में कहा गया है कि "दिल्ली क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच में पाया गया है कि मर्कज निजामुद्दीन के प्रमुख मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ पुलिस एफआईआर में एक ऑडियो-क्लिप का उल्लेख किया गया था जिसमें कथित रूप से उन्होंने तब्लीगी जमात से कहा था कि

वह सामाजिक दूरी संबंधी नियमों और निषेधाज्ञा का पालन न करें। वह गलत ऑडियो-क्लिप' हो सकता हैं। समाचार के अनुसार "उच्च विश्वस्त/ पदस्थ सूत्रों" ने खुलासा किया कि जांचकर्ताओं ने पाया कि अन्य घटनाओं से पुलिस और धर्म पर साद की टिप्पणियों को संदर्भ से परे और गलत लिया गया था। समाचार में आगे यह बताया गया कि "जांच दल" ने गौर किया कि वायरल ऑडियो क्लिप कई क्लिपों का मिश्रण है जिनमें कांट छांट और फेर बदल किये गये हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार आज तक ऑडियो-क्लिप डॉक्टर्ड 'नहीं पायी गयी है और इस तरह समाचार झूठा और भ्रामक है।

श्री साहिल गर्ग, समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील और कहानी के लेखक ने प्रस्तुत किया कि समाचार में 'हो सकता है' और 'कथित रूप से' शब्दों के उपयोग से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि समाचार में यह नहीं बताया गया कि ऑडियो-क्लिप निश्चित रूप से डॉक्टर्ड है और इसलिए शिकायतकर्ता की दलील, जारी रखने योग्य नहीं है। जांच समिति ने इन सबमिशन की योग्यता के बारे में विचार किया है और इसकी राय में, बिना किसी अनिश्चितता के प्रासंगिक में समाचार में यह बताया गया है कि पुलिस जांच में, ऑडियो-क्लिप डॉक्टर्ड पाया गया था। जांच समिति का मत है कि प्रकाशित समाचार पढ़ने पर एक साधारण पाठक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि ऑडियो क्लिप डॉक्टर्ड पायी गयी है। समाचार में 'हो सकता है' और 'कथित रूप से'का उपयोग अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है और इसे संदर्भ गत में पढ़ा जाना चाहिए।

जांच समिति की राय में, समाचार कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में मौलाना साद की ऑडियो-क्लिप डॉक्टर्ड हो सकती है हेडलाइन के साथ पठनीय है कि 'तब्लीगी एफआईआर: पुलिस प्रोब इंडिकेट्स साद आडीयो वाज़ डॉक्टर्ड" से निश्चित रूप से पता चलता है कि जांच के दौरान ऑडियो-क्लिप डॉक्टर्ड पाया गया | समाचार,कि ऑडियो-क्लिप डॉक्टर्ड है, वह दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के कथित निष्कर्षों पर आधारित है, जो इसे विश्वसनीयता प्रदान करता है अगर इस कहानी का लेखक इस बारे में आश्वस्त नहीं होता, जैसा कि पूछताछ के दौरान इसका बचाव करने की मांग की गई थी, तो सुर्खियों के साथ इसे प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए था, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया था।

सुर्खियों और समाचार की अंतर्वस्तु पढ़ने मात्र से, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि समाचार में यहीं दर्शाया गया है कि ऑडियो-क्लिप डॉक्टर्ड था। शिकायतकर्ता ने ज़ोर देते हुए कहा है कि जांच के दौरान ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और इसलिए, जांच समिति की राय में, समाचार झूठा और भ्रामक है।

प्रतिवादी का एक और बचाव यह है कि समाचार उच्च पदस्थ स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और इसलिए, कहानी गलत होने की स्थिति में उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जांच समिति इस तथ्य से अवगत है कि सूत्र पवित्र और जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल है। इसके अलावा, पत्रकार को सूत्र का खुलासा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, जांच समिति की राय में, अगर कोई पत्रकार स्वयं सूत्र का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहानी की शुद्धता और प्रामाणिकता के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और किसी भी प्रकार के मानदंडों के उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। स्थिति भिन्न हो सकती है जब पत्रकार सूत्र का खुलासा करने का विकल्प चुने और ऐसी परिस्थितियों में, उसका दायित्व स्रोत की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर समाचार , जांच समिति की राय में, विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हुआ था, तो पत्रकार का दायित्व तय करने के लिए, उस पर विचार किया जा सकता है। ऊपर जो कुछ देखा गया है, उसके मद्देनजर, जांच समिति को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रश्नगत में समाचार असत्य और भ्रामक है।

रिकार्ड पर लाते हूए, 15 दिसंबर 2020 के ईमेल द्वारा श्री महेन्द्र मनराल ने कारण बताओ नोटिस, शिकायत की प्रतिलिपि, रिमाइंडर और सुनवाई की सूचना न मिलने की दलील दी, थी, लेकिन जब इस मामले पर कार्रवाई की गई, तब उनके परामर्शदाता ने कहा कि वे प्राप्त हो चुके हैं और गलत फहमी के कारण ऐसा पत्र भेजा गया था|

शिकायत, लिखित वक्तव्य और सभी अन्य संबद्ध कागजातों पर विचार करने पर, जांच समिति का मानना है कि आक्षेपित समाचार असत्य और भ्रामक है और तदनुसार, प्रतिवादी समाचार पत्र के साथ-साथ संबंधित पत्रकार श्री महेन्द्र सिंह मनराल की भी परिनिंदा की संतुति करती है ।

तदनुसार, जांच समिति शिकायत को स्वीकार करती है और प्रतिवादी को परिनिंदित करती है। प्रतिवादी समाचार पत्र को यह निदेश दिया जाता है कि वह अपने समाचारपत्र में अधिनिर्णय के आदेश का सार उसकी प्राप्ति के दो सप्ताह के

भीतर प्रमुखता से प्रकाशित करे। इस आदेश की प्रति, बी॰ओसी॰,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, निदेशक, सूचना और जन संपर्क तथा पुलिस उपायुक्त, दिल्ली को सूचनार्थ और यथोचित कानूनी कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवम जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तर्को व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और जांच समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर, प्रतिवादी-समाचार पत्र, इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली और श्री महेन्द्र सिंह मनराल, विशेष संवाददाता, को परिनिंदित करने का निर्णय करती है।

<u>प्रेस और मानहानि</u>

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

36. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला सांबा,
(जम्मू-कश्मीर)

मुख्य संपादक,
स्टेट टाइम्स,
जम्मू (जम्मू-कश्मीर))

ब्यूरो चीफ,
स्टेट टाइम्स,
जम्मू (जम्मू-कश्मीर)

<u>तथ्य</u>

यह शिकायत दिनांक 05.10.2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सांबा, जम्मू और कश्मीर द्वारा ब्यूरो चीफ और मुख्य संपादक, श्री विवेक शर्मा, स्टेट टाइम्स, जम्मू के खिलाफ कथित रुप से भद्दा, निराधार और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है। आक्षेपित समाचार के शीर्षक और दिनांक निम्नानुसार हैं:

<u>क्र.सं.</u>	<u>शीर्षक</u>	<u>दिनांक</u>
1	Cases of thefts, vehicle lifting on rise in Samba, police in slumber. (सांबा में चोरी व कार लूटपाट मामलों में हो रही बढ़ोतरी, पुलिस निद्रा में) (अनूदित वर्तन)	22.8.2019

2	Drug peddler arrested with 6 gm heroin (6 ग्राम हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार) (अनूदित वर्तन)	29.8.2019
3	Ex CM booked in split second; land-grabber wanted under PSA missing for 6 months – miracles of Jammu Police. (पलक झपकते ही पूर्व मुख्यमंत्री गिरफ्तार; पीएसए के तहत तलाश किया जा रहा ज़मीन हड़पने वाला 6 महीने से फरार-जम्मू पुलिस के करिश्में) (अनूदित वर्तन)	17.9.2019
4	Burgalaries, thefts on rise in Samba district – Computers stolen from Amul factory; AIIMS theft case still not registered (सांबा जिले में चोरी, लूटपाट की वारदातों में बढ़ोतरी-अमूल फैक्टरी से चुराए गए कम्प्यूटर; एम्स में चोरी का मामला नहीं हुआ अब तक दर्ज) (अनूदित वर्तन)	22.9.2019
5	People loosing faith in Samba Police–Unbelievable! Irate mob frisks cops before carrying out raid at gangster's house. (सांबा पुलिस ने खोया लोगों का विश्वास – अविश्वसनीय! गैंगस्टर के घर पर छापा मारे जाने से पहले नाराज़ भीड़ ने ली पुलिस की तलाशी) (अनूदित वर्तन)	27.9.2019
6	Crime graph in Samba on rise – Rs.50,000 snatched from man in broad day light. (सांबा में जुर्म बढ़ा – दिन दहाड़े आदमी से छीने गए 50,000/- रुपए) (अनूदित वर्तन)	1.10.2019

दिनांक 22.08.2019, 29.08.2019, 17.09.2019, 22.09.2019, 27.09.2019 और 01.10.2019 को आक्षेपित समाचारों में पुलिस की अक्षमता बताई गई है। सांबा जिले में जुर्म में बढ़ोतरी के संकेत के रुप में पिछले सप्ताह की कई रिपोर्टों के अलावा, दो और चोरी के मामले बारी ब्राह्मण में दर्ज किए गए हैं, पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से छह ग्राम हेरोइन बरामद की, हालांकि, सूत्रों के अनुसार, जब्त की गई वास्तविक मात्रा बहुत अधिक थी। इसके अलावा,रिपोर्ट में बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री, श्री फारुक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की गई तथा प्रशासन उन्हें पल भर में गिरफ्तार करने व उनके घर को जेल घोषित करने का नोटिस भेज रहा है और कहा कि छह महीने पहले एक अभिहित प्राधिकारी ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सांबा जिले के एक भूमि-अधिग्रहणकर्ता पर कड़े कानून लगाए थे,

जिसके बारे में पुलिस को कोई खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने तत्कालीन ईमानदार पुलिस अधीक्षक और एसएचओ के तबादलों के बारे में भी बताया। यह बताया गया है कि सांबा पुलिस, पुलिस को नई परिभाषा दे रही है, केवल उन चोरी के मामलों के लिए एफआईआर दर्ज करने का नया तंत्र विकसित किया है जहां बरामदगी लगभग निश्चित है अन्यथा चोरी करने वालों को इस प्रक्रिया में छोड़ दिया जा रहा है, अगर ध्यान नहीं दिया जाए। निम्न दर्जे की पुलिसिंग के कारण सांबा जिले में जुर्म बढ़ रहा है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, मुख्य संपादक के साथ-साथ ब्यूरो चीफ, स्टेट टाइम्स ने अपने अखबार के माध्यम से मनगढ़ंत और आधारहीन कहानियों का आधार तथा असत्य, झूठे और तुच्छ समाचारों का सहारा लेकर जिला पुलिस को एक मामले सं.84/2016 दिनांकित 2.7.2016 में ज़ोर जबर्दस्ती से उसका पक्ष लेने के उद्देश्य से जिला पुलिस सांबा की अर्जित प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए निशाना साधा। वे आगे कहते हैं कि अपने ब्यूरो चीफ के साथ-साथ मुख्य संपादक, श्री विवेक शर्मा ने ब्लू मून बैंक्वेट हॉल अधिक्रमण मामले में दर्ज एफ़आईआर सं. 84/2016 दिनांकित 02.07.2016 के संबंध में पहले टेलीफोन द्वारा उनसे संपर्क किया और उसके बाद दिनांक 10.8.2019 को उनके कार्यालय का दौरा किया। उन्हें सूचित किया गया था कि मामले की जांच गुण-दोषों के आधार पर की जाएगी और उन्हें विजयपुर पुलिस के साथ उनके पास रखे दस्तावेज़ों को मुहैया करा कर सहयोग करने के लिए अवगत कराया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी मुलाक़ात के बाद से प्रतिवादी ने अपमानजनक, तुच्छ और असंतुष्ट समाचार प्रकाशित करना शुरू कर दिया, जो स्पष्ट रूप से सभ्य समाज में अप्रत्याशित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का उचित उदाहरण है। शिकायतकर्ता के अनुसार, संपादक और ब्यूरो चीफ स्टेट टाइम्स अखबार के दैनदिन कार्य प्रभारी हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से इसके कृत्यों/प्रकाशनों के लिए जिम्मेदार हैं, विशेष रूप से संपादकीय बोर्ड के ऊपर उल्लिखित कृत्यों पर फटकार लगाई जानी चाहिए।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 28.9.2019 द्वारा प्रतिवादी, मुख्य संपादक, स्टेट टाइम्स को आक्षेपित समाचार की ओर ध्यानाकृष्ट किया और झूठी ख़बरों को प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने परिषद से मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

मुख्य संपादक और ब्यूरो चीफ, स्टेट टाइम्स, जम्मू को दिनांक 03.01.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए ।

लिखित वक्तव्य

श्री राज दलुजा, मुख्य संपादक और श्री विवेक शर्मा, ब्यूरो चीफ, स्टेट टाइम्स, जम्मू ने अपने संयुक्त लिखित वक्तव्य दिनांक 11.02.2020 और 05.12.2020 द्वारा शिकायतकर्ता के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ये अपराध रिपोर्टें दर्ज की गई अपराध की घटनाओं की एफआईआर संख्या के साथ, सांबा जिले में लगभग सभी राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों और उनके संबंधित पोर्टलों पर प्रकाशित की गई हैं। प्रतिवादियों ने यह भी कहा है कि शायद इस बात से नाराज़ होकर कि उनके, सांबा जिले के जिला पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात जुर्म में बढ़ोतरी हुई है, शिकायतकर्ता ने स्टेट टाइम्स के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता के इस आरोप को नकारते हुए कि उन्होंने FIR No.84/2016 में उनसे अनुग्रह किया है, प्रतिवादियों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से कभी किसी अनुग्रह के लिए अनुरोध नहीं किया और यहां तक कि उन्हें ऐसी किसी भी एफ़आईआर की जानकारी भी नहीं है।

प्रतिवादियों ने आगे कहा कि प्रकरणों में जानकारी और अधिकारियों के उद्धरणों में विवरण प्राप्त करने के लिए, वे संबंधित पुलिस थानों और अधिकारियों को नियमित रूप से कॉल करते हैं। इसी तरह, संबंधित विवरणों में शिकायतकर्ता के कथन के लिए समय-समय पर उन्हें कॉल किया गया था। प्रतिवादियों ने कहा कि शिकायतकर्ता ने उनके मोबाइलों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले और यह साबित करने के लिए कि उन्होंने उसे (शिकायतकर्ता) कॉल किया था, अपनी शिकायत में इसकी प्रति संलग्न की। वे शिकायतकर्ता से यह पूछने के लिए प्रेस परिषद का समर्थन चाहते हैं कि किस नियम और कानून के तहत, उन्होंने पत्रकारों के मोबाइल फोन की सीडीआर की जांच की, जो स्पष्ट रूप से घटनाओं और घटनास्थल की रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रतिवादियों के अनुसार, शिकायतकर्ता चोरी, नशीली दवाओं की तस्करी, भूमि अधिग्रहण के खतरे पर अंकुश लगाने में बुरी तरह से विफल रहा है, और एक कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने में असमर्थ रहे है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 09.12.2020 को नई दिल्ली में आया । दोनों ही पक्षों से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई ।

नोटिस जारी करने के बावजूद, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में, जांच समिति मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है।

जांच समिति, तदनुसार मामले को समाप्त करने की संस्तुति करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत समाप्त करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

37. मौ. मारूफ,
मालिक,
मारूफ़ चिकन फ्राई सेंटर,
मुरादाबाद (उ.प्र.)

मौ. फैज़ान कुरेशी,
संपादक,
मुल्क की सोच, हिन्दी साप्ताहिक
मुरादाबाद (उ.प्र.)

तथ्य

यह अदिनांकित शिकायत, सचिवालय में दिनांक 10.10.2019 को प्राप्त हुई, को मौ. मारूफ, मालिक, मारूफ चिकन फ्राई सेंटर, गलशहीद, मुरादाबाद (उ.प्र) ने मौ. फैज़ान कुरैशी, संपादक, मुल्क की सोच, मुरादाबाद के विरूद्ध कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने पर दर्ज की । आक्षेपित खबरों की दिनांक और कैप्शन निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	कैप्शन	दिनांक
1.	गलशहीद प्रभारी ने रंजिश के चलते मौ. मारूफ को मोहरा बना कर लिखा झूठा मुक़द्दमा	28.5.2019
2.	बिना लाइसेंस चल रहे मारूफ़ चिकन फ्राई सेंटर पर नहीं हुई कोई कार्यवाही ?	30.7.2020
3.	वाणिज्य कर विभाग की मिलीभगत से मारूफ चिकन सेंटर कर रहा है जीएसटी की भारी चोरी	17.9.2019
4.	मारूफ व वाणिज्य कर विभाग की मिलीभगत का खुलासा	24.9.2019

दिनांक 28.5.2019 के आक्षेपित समाचार में रिपोर्ट किया गया कि गलशहीद कोतवाली प्रभारी/उप-निरीक्षक, श्री दिनेश शर्मा ने एक साजिश के तहत मारूफ चिकन फ्राई सेंटर के मालिक के माध्यम से मुल्क की सोच मालिक और संपादक के खिलाफ आईपीसी की धारा 504/384 के तहत झूठी एफआईआर सं.0142/19 दर्ज की थी । जब दिनांक 7 मई, 2019 के अंक में मुल्क की सोच समाचारपत्र ने इस मामले का खुलासा किया, तो कोतवाली प्रभारी ने मारूफ चिकन सेंटर के मालिक से एक और शिकायत ली तथा आईपीसी की एक और धारा 386 को एफआईआर में शामिल किया और मुल्क की सोच के संपादक तथा मालिक को गिरफ्तार कर लिया । यह भी बताया गया है कि खाद्य विभाग की एक टीम ने मारूफ चिकन फ्राई सेंटर पर छापा मारा और पाया कि चिकन सेंटर बिना लाइसेंस के चल रहा था और टीम ने कुछ मसालों के नमूने भी लिए ।

दिनांक 30.7.2020 के आक्षेपित समाचार में रिपोर्ट किया गया कि खाद्य विभाग की टीम ने पहले दिनांक 26.4.2019 को मारूफ चिकन फ्राई सेंटर को बिना किसी लाइसेंस के पकड़ा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत, बाद में विभाग ने चिकन सेंटर को लाइसेंस जारी किया । आगे बताया गया है कि इस केंद्र का मालिक जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहा है, भले ही उसका वार्षिक कारोबार दो करोड़ से अधिक है ।

दिनांक 17.9.2019 के आक्षेपित समाचार में रिपोर्ट किया गया कि मारूफ फ्राई चिकन सेंटर वाणिज्यिक कर विभाग के सहयोग से जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहा है । इस संबंध में, लोक शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई है और उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, मुरादाबाद से आरटीआई अधिनियम के तहत भी जानकारी मांगी गई है । वाणिज्य कर विभाग के प्रत्युत्तर ने मारूफ फ्राई चिकन सेंटर के साथ उनके संबंध का खुलासा किया, जिसका खुलासा अखबार के अगले अंक में होगा ।

दिनांक 24.9.2019 के आक्षेपित समाचार में रिपोर्ट किया गया कि लोक शिकायत पोर्टल पर शिकायत और आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी से मारूफ चिकन फ्राई सेंटर और वाणिज्यिक कर विभाग के बीच संबंधों का पता चला है । वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त ने अपने उत्तर में कहा कि आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और कोई जांच नहीं की गई क्योंकि व्यवसाय

केंद्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र में स्थित था । हालांकि, जांच के लिए विशेष अनुसंधान शाखा इकाई को एक पत्र भेजा गया है । आगे कहा गया कि मारूफ चिकन सेंटर के मालिक ने एक आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि आवेदक ने उसे परेशान करने के लिए जानकारी मांगी थी और उसने कोई जानकारी नहीं देने का अनुरोध किया है ।

आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उसे बदनाम करने के लिए गलत और मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित किए । शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संपादक और उसके सहयोगी उसके होटल में आते थे और बिल पूछने पर वह उसे धमकी देता था और 10,000/- रुपये मासिक की मांग करता था । इसलिए, उन्होंने प्रतिवादी के खिलाफ पुलिस स्टेशन-गलशहीद में आईपीसी की धारा 384/386/504 के तहत एफआईआर सं.42/2019 दर्ज की । इसके बाद, प्रतिवादी ने झूठे और मनगढ़ंत समाचारों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया और विभिन्न सरकारी विभागों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज करना शुरू कर दिया । शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि प्रतिवादी आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ पुलिस थाना गलशहीद में एक अन्य मामला भी दर्ज किया गया है । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी पत्रकारिता की आड़ में निर्दोष व्यक्तियों से पैसे भी वसूलता है ।

शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांकित 6.8.2019 द्वारा प्रतिवादी को आक्षेपित समाचार की ओर ध्यानाकृष्ट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला । उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ।

कोई उत्तर नहीं

मुल्क की सोच, मुरादाबाद के संपादक को दिनांक 23.12.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह डाक अधिकारियों से प्राप्त टिप्पणियों 'जानकारी नहीं मिली' सहित वापस मिल गया था। शिकायतकर्ता को दिनांक 23.12.2019 को जारी किया गया पत्र भी "जानकारी नहीं मिली" टिप्पणी के साथ वापस मिल गया था । इसके बाद, प्रतिवादी को दिनांक 16.1.2020 को कारण बताओ नोटिस ईमेल द्वारा भेजा गया लेकिन दिनांक 4.2.2020 को अनुस्मारक भेजने के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं मिला है ।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 14.7.2020 द्वारा सूचित किया है कि प्रतिवादी डाकिये के साथ मिलकर न तो स्वयं कारण बताओ नोटिस लेता है और न

ही उसे किसी पत्र की डिलीवरी करने देता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी उसका मानसिक और सामाजिक शोषण कर रहा है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 10.12.2020 को नई दिल्ली में आया । किसी भी पक्ष से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई ।

नोटिस जारी करने के बावजूद, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ । शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में, जांच समिति मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है । जांच समिति, तदनुसार, शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

38-42. श्री संदीप सरदाना,
जिला अध्यक्ष, कांग्रेस,
सिरसा (हरियाणा)

संपादक,
दैनिक भास्कर,
हिसार (हरियाणा)

संपादक,
दैनिक सवेरा टाइम्स,
जालंधर (पंजाब)

संपादक,
अमर उजाला, हिसार (हरियाणा)

संपादक,
पल-पल, सिरसा (हरियाणा)

संपादक,
दैनिक सच कहूं, सिरसा (हरियाणा)

तथ्य

दिनांक 29.7.2019 को श्री संदीप सरदाना, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस, सिरसा (हरियाणा) ने संपादकों (i) दैनिक भास्कर (ii) दैनिक सवेरा टाइम्स (iii) अमर उजाला (iv) पल-पल और (v) दैनिक सच कहुं, के खिलाफ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कथित रूप से गलत और बदनाम करने वाली खबरें प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की है।

क्र.सं.	समाचार का नाम	शीर्षक	तिथि
1.	दैनिक भास्कर	कांग्रेस आरटीआई सेल का जिलाध्यक्ष दूसरी बार बिजली चोरी करते पकड़ा	26.7.2019
2.	सवेरा टाइम्स	कांग्रेस नेता के घर विजिलेंस टीम ने की छापामारी	26.7.2019
3.	पल-पल	कांग्रेस आरटीआई सेल के जिला अध्यक्ष के घर बिजली चोरी पकड़ी	26.7.2019
4.	अमर उजाला	कांग्रेस आरटीआई सेल के जिला अध्यक्ष दूसरी बार बिजली चोरी करते पकड़े	26.7.2019
5.	सच कहुं	कांग्रेस नेता के घर विजिलेंस टीम ने की छापामारी	26.7.2019

आक्षेपित समाचारो में बताया गया है कि बिजली विभाग ने रानिया में कांग्रेस के आरटीआई सेल के जिला अध्यक्ष के घर पर छापा मारा और 11 महीने के भीतर दूसरी बार बिजली चोरी करते हुए पकड़ा और 20,661/- रुपये का भारी जुर्माना लगाया। आगे बताया गया है कि जैसे ही टीम वहां पहुंची, उसने घर के दरवाजे बंद कर लिए और बहुत प्रयासों के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। आक्षेपित समाचारों के अनुसार, बिजली निगम के एसडीओ ने कहा कि विजिलेंस टीम के अधिकारियों ने श्री संदीप सरदाना के घर पर छापा मारा और बिजली के पोल से अवैध बिजली कनेक्शन पाया। अधिकारी ने यह भी बताया कि श्री संदीप सरदाना पर एक साल पहले भी बिजली चोरी का आरोप लगाया गया था और उन पर 63,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जो उनके द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है। यह भी बताया गया है कि श्री संदीप सरदाना कांग्रेस

में आरटीआई प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और कहा जाता है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में एक अच्छे नेता थे।

आक्षेपित समाचारों में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी समाचार पत्रों ने पूरी तरह से गलत समाचार प्रकाशित किए हैं जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है। शिकायतकर्ता ने सूचित किया है कि हिसार सतर्कता रिकॉर्ड के अनुसार रानिया में 24.07.2019 को बिजली विभाग द्वारा कोई छापा नहीं मारा गया था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि बिजली विभाग की स्थानीय टीम की एलएल-1 रसीद से संकेत मिलता है कि वह छापे के समय वहां मौजूद थे, दैनिक सवेरा ने उक्त दस्तावेज को समाचारों के साथ प्रकाशित किया, जबकि यह सरकारी दस्तावेज है और उपभोक्ता एवं बिजली विभाग की निजी संपत्ति है।

शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी समाचार पत्रों का ध्यान 29.7.2019 को आकर्षित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे इस मामले की जांच करें और संबंधित पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी-संपादकों को (i) दैनिक भास्कर (ii) दैनिक सवेरा (iii) अमर उजाला (iv) पल-पल और (v) दैनिक सच कहूं 16.9.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

ब्यूरो चीफ, अमर उजाला का लिखित वक्तव्य

श्री संमीत सिंह, ब्यूरो चीफ, अमर उजाला, सिरसा ने अपने जवाब दिनांक 8.10.2019 में कहा कि आक्षेपित समाचार सत्य है और सूचित किया कि बिजली विभाग ने शिकायतकर्ता के घर पर छापा मारा और उस पर 20,681/- रुपये का जुर्माना लगाया और उसके जुर्माना न जमा करने पर उसके खिलाफ एफआईआर नंबर 1923 दिनांक 26.7.2019 दर्ज की गयी। प्रतिवादी ने आगे बताया कि बिजली विभाग ने पहले 2018 में छापा मारा था और रु.6,12,291/- का जुर्माना लगाया था और उसी कारण से उसके खिलाफ एफआईआर सं.5942 दिनांक 21.9.2018 भी दर्ज की गई थी। उन्होंने परिषद से शिकायत खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी अदिनांकित प्रति-टिप्पणियों, जोकि सचिवालय में दिनांक 13.11.2019 को प्राप्त हुई, में कहा है कि उन्होंने अपनी शिकायत में बिजली चोरी पर जाँच के संबंध में कोई जानकारी नहीं छिपाई है, लेकिन उन्होंने शिकायत में उल्लेख किया है कि प्रतिवादियों ने विकृत समाचार प्रकाशित किए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादियों ने प्रकाशित किया कि हिसार विजिलेंस टीम ने उनके घर पर छापा मारा था, जबकि सच्चाई यह है कि एलएल-1 (सरकारी दस्तावेज) में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि हिसार विजिलेंस टीम ने उनके घर पर छापा मारा था। प्रतिवादियों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि छापे के समय घर का दरवाजा बंद था, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी उपस्थिति में छापेमारी की गई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि उसके पास बिजली के मामले में दर्ज एफआईआर के अलावा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और अदालत के निदेश के अनुपालन में उसने बिजली विभाग को राशि का भुगतान किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अमर उजाला के ब्यूरो चीफ ने अवैध रूप से एलएल-1 की प्रतिलिपि प्राप्त की है। उन्होंने परिषद से प्रतिवादियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

पल पल अखबार का लिखित वक्तव्य

पल पल अखबार के लिए श्री ओ.पी.वर्मा ने लिखित वक्तव्य दिनांक 18.1.2020 में प्रस्तुत किया है कि शिकायत पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने आगे (i) बिजली की चोरी के संबंध में एलएल-1 की रसीद (ii) बिजली विभाग द्वारा दर्ज करवायी गई (एफआईआर) की प्रतिलिपि (iii) कई समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार (iv) टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट किये गये समाचार के लिंक संलग्न किये हैं।

उन्होंने प्रस्तुत किया है कि परिषद दस्तावेजों के आधार पर अपना निर्णय ले सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि यदि प्रेस परिषद दिए गए दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, तो वे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।

अमर उजाला की अन्य लिखित वक्तव्य

अमर उजाला पब्लिकेशन के लिए श्री पी.आर राजहंस ने लिखित वक्तव्य दिनांक 2.3.2020 के जरिये निवेशित किया कि आक्षेपित समाचार सामान्य समाचार था और

सद्भावना में पत्रकारिता नीति एवं मानकों के अनुसार प्रकाशित किया गया था तथा एफआईआर अर्थात् भारत विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत एफआईआर सं.5942 दिनांक 21.9.2018 भारत विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत एफआईआर सं. 1923 दिनांक 26.7.2019 पर आधारित था। उन्होंने आगे कहा है कि दोनों एफआईआर I & P पुलिस स्टेशन, हिसार, हरियाणा में दर्ज़ किए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त समाचार मद में विशेष रूप से शिकायतकर्ता के खिलाफ कुछ भी उल्लेखित नहीं है। समाचार का प्रकाशन न तो आपत्तिजनक है और न ही समाचारपत्र या संपादक ने पत्रकारिता नीति के मानकों का उल्लंघन किया है और न ही संपादक ने कोई वृत्तिक कदाचार किया है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

सच कहुँ अखबार का लिखित वक्तव्य

श्री प्रकाश सिंह, संपादक, सच कहुँ ने 9.12.2020 को आयोजित बैठक में सुनवाई के समय अपने बचाव के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कहा गया है कि श्री संदीप, शिकायतकर्ता पर हरियाणा विद्युत निगम, हिसार द्वारा जुर्माना लगया गया है और समाचार के प्रकाशन तक, उसने जुर्माना नहीं भरा था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि बिजली चोरी मामले में लिप्त होने के बाद समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पुलिस की कार्रवाई और शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी के साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध हैं। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 9.12.2020 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए नई दिल्ली में आया। श्री संदीप सरदाना, शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। श्री नीरज कपूर और श्री विवेक सिंह ने अमर उजाला का प्रतिनिधित्व किया। श्री ऋषिपाल अरोड़ा, संपादक सच कहुँ अखबार की ओर से उपस्थित हुए। श्री आकाश द्विवेदी, दैनिक सवेरा टाइम्स के रिपोर्टर सुनवाई के बाद उपस्थित हुए।

जांच समिति ने शिकायतकर्ता, प्रतिवादी अमर उजाला के परामर्शदाता श्री नीरज कपूर और शिकायतकर्ता की याचिका, लिखित बयान और अन्य सभी संबद्ध कागजात का भी अवलोकन किया है। शिकायतकर्ता इस बात से इनकार नहीं करता है कि उसके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ पहले भी बिजली

चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रतिवादी समाचारपत्रों ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के आधार पर समाचार प्रकाशित किया है।

शिकायकर्ता का यह दावा है कि ये सभी आरोप झूठे हैं। शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप की सत्यता या अन्यथा विधि न्यायालय द्वारा तय की जाएगी।

जांच समिति की राय है कि समाचारों को प्रकाशित करते समय प्रतिवादी अखबारों ने पत्रकारिता के आचरण के किसी भी मानदंड का उल्लंघन नहीं किया है जिसके लिए कार्रवाई की जा सके। तदनुसार, जांच समिति शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत खारिज करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

43. श्री दर्शन सिंह, अध्यक्ष, संत अत्तर सिंह जी विद्या प्रसार और कल्याण समिति, जिला संगरूर (पंजाब)	संपादक, दैनिक अजीत, जालंधर, पंजाब।

तथ्य

यह शिकायत श्री दर्शन सिंह, अध्यक्ष, संत अत्तर सिंह जी विद्या प्रसार एवं कल्याण समिति, तहसील सुनाम, जिला संगरूर (पंजाब) ने दिनांक 24.8.2019 को संपादक, दैनिक अजीत, पंजाबी दैनिक, जालंधर, पंजाब के खिलाफ दिनांक 2.8.2019 और 3.8.2019 के अंक में कैप्शन के तहत 'आस-पास की अकादमियों में छात्रों को स्थानांतरित करने के निर्देश' और 'अकाल अकादमी, चीमा की संबद्धता को रद्द करने का विषय, सरकार ने छात्रों-कांग्रेस नेता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस नेता

(अंग्रेजी अनुवाद जैसाकि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया) के तहत कथित रूप से झूठे और बदनाम करने वाले समाचार प्रकाशित करने के लिए दायर की है।

दिनांक 2.8.2019 के आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि संगरूर के शहर चीमा में चल रहे अकाल अकादमी का विवाद (कहासुनी) एक बार फिर सामने आया है। कलगीधर ट्रस्ट बर्रु साहिब ने दावा किया कि पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग ने अकाल अकादमी, चीमा की संबद्धता को रद्द करने का आदेश दिया है और अकाल अकादमी चीमा में अध्ययनरत छात्रों को पास की अकादमियों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है जबकि अकाल अकादमी की प्रिंसिपल सुश्री मनजीत कौर ने कहा कि शिक्षा अच्छे माहौल में चल रही है और संबद्धता रद्द करने का कोई मामला नहीं है और उन्हें सीबीएसई से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है।

3.8.2019 के आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि 2018 के पंजाब सरकार के आदेश नंबर 07/52 में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो अकाल अकादमी चीमा की संबद्धता रद्द करने के कारण अकाल अकादमी में पढ़ रहे बच्चों को अन्य आस-पास की अकादमियों में स्थानांतरित करने के बारे में सरकार इसे जल्दी लागू करेगी ताकि छात्रों के भविष्य को किसी भी जोखिम से बचाया जा सके। इसका खुलासा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, श्री हरपाल सिंह नानू ने किया, जिनकी अकाल अकादमी से निकटता है। यह भी बताया गया है कि अकाल अकादमी के आवेदन को कलगीधर ट्रस्ट द्वारा, सरकार को प्रस्तुत कृत्यों का अवलोकन करके रद्द कर दिया गया है। ताकि इसे लेकर माहौल खराब न हो। अत: सरकार को इस फैसले को सख्ती से लागू करना चाहिए और छात्रों को नजदीकी अकादमियों में स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए।

आक्षेपित समाचारों में लगाए गए आरोपों को नकारते हुए, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि अकाल अकादमी चीमा संत अत्तर सिंह जी विद्या प्रसार और कल्याण समिति के पदाधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है और संत अत्तर सिंह जी विद्या प्रसार और कल्याण समिति के पदाधिकारियों तथा कलगीधर ट्रस्ट, बर्रु साहिब, हिमाचल प्रदेश के बीच 2016 से झड़प हो रही है| कलगीधर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अवैध तरीके से प्रशासन, पुलिस और अन्य अवैध कृत्यों से अकाल अकादमी को हथियाना चाहती थी, जबकि कलगीधर ट्रस्ट का अकाल अकादमी, चीमा से कोई सरोकार नहीं है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, मोहाली ने पत्र दिनांक

11.4.2017 के जरिये संत अत्तर सिंह जी विद्या प्रसार और कल्याण समिति के पक्ष में संबद्धता प्रमाण पत्र पहले ही दे दिया है। शिकायतकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि सचिव, स्कूल शिक्षा पंजाब, सास नगर ने दिनांक 17.5.2019 के पत्र के जरिये दिनांक 30.8.2001 के पत्र को रद्द करने का आदेश दिया है जो कलगीधर ट्रस्ट बार्रु साहिब की एनओसी के संबंध में था। दिनांक 17.5.2019 के पत्र के जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा, पंजाब ने न तो अकाल अकादमी की संबद्धता को रद्द किया और न ही अकाल अकादमी को असंबद्ध किया। उन्होंने संत अत्तर सिंह जी विद्या प्रसार और कल्याण समिति के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन प्रतिवादी ने गलत तरीके से अकाल अकादमी की संबद्धता को रद्द करने के संबंध में गलत और बदनाम समाचार प्रकाशित किये हैं। दरअसल, कलगीधर ट्रस्ट की एनओसी रद्द कर दी गई है। संत अत्तर सिंह जी विद्या प्रसार और कल्याण समिति की सम्बद्धता किसी भी प्रकार से रद्द नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने कलगीधर ट्रस्ट के साथ मिलकर समाचारों को प्रकाशित किया था और आक्षेपित समाचारों के प्रकाशन के कारण उनकी समिति के पदाधिकारियों को बहुत नुकसान हुआ और इससे छात्रों के माता-पिता के मन में भी संदेह पैदा हो गया।

शिकायतकर्ता के पत्र 8.8.2019 के जवाब में,प्रतिवादी ने पत्र 30.8.2019 के जरिये आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि आक्षेपित समाचार श्री हरपाल सिंह नानू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और आधिकारिक दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी पर आधारित थे।

संपादक, दैनिक अजीत, जालंधर को 7.1.2020 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया।

लिखित वक्तव्य

सुश्री सरविंदर कौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजीत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, जालंधर ने लिखित वक्तव्य दिनांक 23.1.2020 के जरिये आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता के पास यह शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को भी छिपाया है कि संत अत्तर सिंह जी विद्या प्रसार और कल्याण समिति के बीच कई मुकदमे लंबित हैं, जो शिकायतकर्ता की अध्यक्षता के अधीन है, और कलगीधर ट्रस्ट बार्रु साहिब के बीच स्वामित्व और अकाल

अकादमी स्कूल, चीमा के अन्य अधिकार से संबंधित कई मुकदमें लंबित हैं । प्रतिवादी ने आगे निवेदन किया है कि आक्षेपित समाचारों को आधिकारिक दस्तावेजों अर्थात् आदेश सं. 07/52 दिनांक 25.4.2019 जिसकी पृष्ठांकन सं. 2019/47648-650 दिनांक 17.5.2019 है और सीबीएसइ के असंबद्धता रिकार्ड के साथ प्रतिष्ठित लोगों से प्राप्त सूचना और सही तथ्यों के आधार पर प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार दिनांक 2.8.2019 में सुश्री मनजीत कौर, प्रिंसिपल, अकाल एकेडमी चीमा के वर्तन का उल्लेख किया गया है, और जब उनके संवाद्दाता ने वर्तन/ टिप्पणियों के लिए शिकायतकर्ता के कार्यालयों से संपर्क किया, तब भी इससे इनकार कर दिया गया था। । इसके अलावा, दिनांक 8.8.2019 के नोटिस के जवाब में, शिकायतकर्ता से, उनके उत्तर दिनांक 30.8.2019 के जरिये उनके वर्तन के मूल दस्तावेजों के साथ बेहतर विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया था, और प्रतिवादी समाचारपत्र सही वर्तन, यदि कोई हो, तो उसे प्रकाशित किया जाएगा परंतु शिकायतकर्ता ने यह नहीं दिया। प्रतिवादी के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी, संगरूर ने अकाल अकादमी, चीमा के बाहर नोटिस चिपका दिया है, जिससे अकाल अकादमी की असंबद्धता के संबंध में सामान्य प्रकाशन को अधिसूचित किया जा सके। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि अखबार का शिकायतकर्ता या किसी ट्रस्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से कोई सरोकार नहीं है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 10.12.2020 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए नई दिल्ली में आया ।

नोटिस सेवित किये जाने के बावजूद, शिकायतकर्ता ने उपस्थित होना नहीं चुना है। प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व श्री क्रांति वैद्य द्वारा किया गया है। प्रतिवादी ने एक लिखित वक्तव्य भी दर्ज किया है जिसमें कहा गया है कि विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गयी सामग्री के आधार पर समाचार प्रकाशित किया गया है। शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में, जांच समिति इस मामले में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है और शिकायत समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

तर्कों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर, शिकायत समाप्त करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

44. श्री विवेक शुक्ला,
महाप्रबंधक,
भारत होटल्स लिमिटेड,
कॉर्पोरेट मामलें और ललित होटल,
नई दिल्ली।

संपादक,
दैनिक भास्कर,
जयपुर,
राजस्थान।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 12.8.2019 को भारत होटल्स लिमिटेड, कॉरपोरेट अफेयर्स एंड द ललित होटल, नई दिल्ली के महाप्रबंधक श्री विवेक शुक्ला द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, जयपुर, राजस्थान के खिलाफ उनके अंक दिनांक 10.8.2019 में कैप्शन "होटल ललित के स्वीमिंग पूल में डूबी 4 साल की बच्ची, मौत" के अंतर्गत कथित रूप से गलत, भ्रामक और मानहानि संबंधी समाचार प्रकाशित करने के लिए दायर की गई थी।

आक्षेपित समाचार में बताया गया था कि जयपुर के ललित होटल के स्विमिंग पूल में डूबने से एक चार साल की बच्ची की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि स्विमिंग पूल की निगरानी के लिए न तो होटल में कोई सुरक्षा उपकरण हैं और न ही कोई कर्मचारी या तैराक। लड़की के पिता ने थाने में होटल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कराया। लड़की के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि होटल के प्रबंधक ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने से इनकार कर दिया।

आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोप को अस्वीकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने कहा है कि आक्षेपित समाचार तथ्यों से रहित था और बिना किसी उचित जांच के प्रकाशित किया गया था और समाचारपत्र ने इस घटना के लिए होटल को दोषी ठहराते हुए तुरंत ही अपना फैसला सुना दिया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि चार साल की एक जीवित और चंचल बच्ची को मृत घोषित करना अखबार की ओर से क्रूरतापूर्ण था।

शिकायतकर्ता ने प्रतिवाद के प्रकाशन का अनुरोध करते हुए पत्र दिनांक 10.8.2019 द्वारा प्रतिवादी अखबार का ध्यान आकर्षित किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

कोई उत्तर नहीं

प्रतिवादी-संपादक, दैनिक भास्कर, जयपुर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.9.2019 को जारी किया गया था, लेकिन 1.11.2019 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए 11.12.2020 को नई दिल्ली में आया। दोनों ओर से कोई उपस्थिति नहीं थी।

प्रतिवादी को नोटिस सेवित करने और समन करने के बावजूद, इन्होंने उपस्थित होना नहीं चुना है और न ही कोई जवाब दाखिल किया है।

शिकायतकर्ता की शिकायत प्रतिवादी समाचारपत्र, दैनिक भास्कर के जयपुर संस्करण में प्रकाशित एक समाचार के संबंध में है,जोकि दैनिक भास्कर के 10 अगस्त, 2019 के अंक में शीर्षक "होटल ललित के स्विमिंग पूल में एक 4 साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई" के साथ प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता का यह दावा है कि होटल के स्विमिंग पूल में किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। आगे यह कहा गया है कि समाचार से पता चलता है कि इस घटना के लिए होटल जिम्मेदार था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि समाचारपत्र का ध्यान उपर्युक्त समाचार की ओर आकर्षित किया गया था, जिससे अनावश्यक रूप से होटल के नाम और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है।

प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब न मिलने की स्थिति में, जांच समिति शिकायतकर्ता की बात मानने के लिए इच्छुक है। होटल के स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत की कहानी झूठी है।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता के अनुरोध के बावजूद, प्रतिवादी समाचार पत्र ने कोई शुद्धिपत्र जारी नहीं किया है।

जांच समिति की राय है कि प्रतिवादी समाचारपत्र का आचरण, नॉर्म्स ऑफ़ जर्नलिस्टिक कंडक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन है और तदनुसार, यह संस्तुति करती है कि

समाचारपत्र को परिनिंदित किया जाए।

प्रतिवादी को आदेश की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर समाचारपत्र के जयपुर संस्करण में जांच समिति की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए निदेशित किया जाता है।

जाँच समिति आगे निदेश देती है कि इस आदेश की एक प्रति कानून के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए जनसंपर्क निदेशक, राजस्थान राज्य और जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर को भेजी जाए।

इस आदेश की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन को भी भेजी जाए ।

पूर्वोक्त संस्तुति के साथ जांच समिति शिकायत का समर्थन करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तर्कों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर, उपर्युक्त निदेश के साथ प्रतिवादी समाचारपत्र, दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण को परिनिंदित करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

45. श्री संजीव पारिया,
अधिवक्ता/ सचिव,
बार एसोसिएशन,
फर्रुखाबाद (यूपी)

संपादक,
यूथ इंडिया
फर्रुखाबाद (यूपी)

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 9.10.2019 को श्री संजीव पारिया, अधिवक्ता/सचिव, बार एसोसिएशन, फर्रुखाबाद (यूपी) द्वारा संपादक, यूथ इंडिया, फर्रुखाबाद के खिलाफ कथित रूप से झूठी, निराधार और मानहानिकारक समाचार सामग्री प्रकाशित करने के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि इससे पहले उसने माननीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जहां प्रतिवादी अखबार की परिनिंदा की गई थी। इसके बावजूद, प्रतिवादी ने लगातार उसके खिलाफ झूठी और अपमानजनक खबरें प्रकाशित कीं और फिर से प्रेस परिषद को इसकी सूचना दी गई। परिषद ने अपने निर्णय दिनांक 22.8.2019 में मामले को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात, प्रतिवादी ने अपने दिनांक 27.9.2019 के अंक में एक समाचार प्रकाशित किया जिसमें "वकालत से डिवार संजीव परिया और दलाल अवधेश मिश्रा सहित पोर्टल संचालक की प्रेस काउंसिल ने झूठी शिकायतों को किया खारिज" शीर्षक के तहत परिषद के निर्णय को विकृत कर, दिया गया था, जिसमें रिपोर्ट किया गया था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने श्री संजीव पारिया द्वारा की गई झूठी शिकायतों को एकदम खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने प्रतिवादी को दिनांक 1.10.2019 को एक नोटिस जारी किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने "संजीव पारिया के एक और झूठ का हुआ खुलासा" (दिनांक 20.8.2019), "पारिया को चार लाख छियालिस हजार का नोटिस मिलने पर शुरू हुई रार" (दिनांक 4.9.2019), "पारिया के चेलेंज को प्रशासन ने स्वीकारा, छावनी बनी कचहरी" (दिनांक 5.9.2019) और "नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले पारिया को अब एआरटीओ से जान का खतरा" (तारीख का उल्लेख नहीं)), शीर्षकों के तहत झूठे और मानहानिकारक समाचार भी प्रकाशित किये।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी द्वारा सोशल मीडिया पर भी उसे बदनाम भी किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचारों में असंसदीय भाषा का भी प्रयोग किया।

संपादक, यूथ इंडिया, फर्रुखाबाद को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4.2.2020 जारी किया गया था।

लिखित वक्तव्य

श्री शरद कटियार, संपादक, दैनिक यूथ इंडिया, फर्रुखाबाद ने लिखित वक्तव्य दिनांक 12.6.2020 द्वारा प्रस्तुत किया है कि उन्हें परेशान करने के लिए शिकायतकर्ता झूठी शिकायतें दर्ज करने की आदत है। प्रतिवादी ने आगे निवेदन किया है कि आक्षेपित समाचार पूरी तरह से तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। प्रतिवादी के अनुसार, दिनांक 27.9.2019

को आक्षेपित समाचार भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पारित निर्णय पर आधारित था और अन्य आक्षेपित समाचार एआरटीओ द्वारा जारी नोटिस पर आधारित थे। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने एआरटीओ और माल कर अधिकारी पर घातक हमला किया था क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता के स्कूल में संचालित की जा रही अवैध बसों के निरीक्षण के लिए नोटिस जारी किया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता वकालत की आड़ में निर्दोष लोगों को धोखा देता है और वह उसके प्रति दुर्भावना भी रखता है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 11.12.2020 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए नई दिल्ली में आया। दोनों ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई।

नोटिस जारी होने के बावजूद शिकायतकर्ता ने उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुना।

शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में, जांच समिति मामले में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है।

तदनुसार, जांच समिति शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकयत समाप्त करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

46. श्री अवधेश मिश्रा, अधिवक्ता, फर्रुखाबाद (यू.पी.)	संपादक, यूथ इंडिया, फर्रुखाबाद (यू.पी.)

तथ्य

यह शिकायत दिनांकित 9.10.2019 श्री अवधेश मिश्रा, अधिवक्ता, फ़र्रुखाबाद (यू. पी.) द्वारा संपादक, यूथ इंडिया, फर्रुखाबाद के खिलाफ कथित रूप से गलत, आधारहीन और मानहानिजनक समाचारों को प्रकाशित करने के लिए दायर की गई है।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि पहले उसने माननीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जहाँ प्रतिवादी समाचारपत्र को परिनिंदित किया गया था। इसके बावजूद, प्रतिवादी ने लगातार उनके खिलाफ झूठी और अपमानजनक खबरें प्रकाशित की और फिर से इसकी रिपोर्ट परिषद को की गयी। परिषद ने 22.8.2019 के अपने निर्णय में मामले को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात, प्रतिवादी ने 27.9.2019 के अंक में प्रेस परिषद के निर्णय को तोड़ मरोड़ कर शीर्षक "वकालत से डिबार संजीव पारिया और दलाल अवधेश मिश्रा सहित पोर्टल संचालक की प्रेस काउंसिल ने झूठी शिकायतों को किया खारिज' के अंतर्गत समाचार प्रकाशित किया जिसमें यह बताया गया था कि भारतीय प्रेस परिषद ने श्री संजीव पारिया और अवधेश मिश्रा द्वारा की गई झूठी शिकायतों को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसने प्रतिवादी को 1.10.2019 को एक नोटिस जारी किया लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इससे नाराज होकर, प्रतिवादी ने अपने अखबार के दिनांक 7.10.2019 और 8.10.2019 के अंक में शीर्षक "कुख्यात वकील अवधेश ने सीओ सिटी व भाजपा नेताओं के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकद्दमा लिखाने का रचा प्रपंच, पीडिता बोली बना रहे दबाव" और अबला डाली को मिल रही लगातार धमकियाँ, अब न्याय के लिए खटकायेगी मुख्यमंत्री का द्वार उप शीर्षक 'दलाल वकील अवधेश की बंदर घुडकी अखिलेश पाण्डेय से बोला मिल गए तो धो बैठोगे जान से हाथ। मेरी रिवाल्वर ही बनेगी तेरी मौत का कारण" सहित एक अन्य गलत, आपत्तिजनक और मानहानिजनक समाचार प्रकाशित किया।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि प्रतिवादी द्वारा सोशल मीडिया पर भी उसे बदनाम किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने समाचारों में अशालीन भाषा का भी इस्तेमाल किया।

संपादक, यूथ इंडिया, फर्रुखाबाद को 10.1.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

श्री शरद कटियार, संपादक, दैनिक यूथ इंडिया, फर्रुखाबाद ने लिखित वक्तव्य दिनांक 24.1.2020 में आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता को, परेशान करने की दृष्टि से झूठी शिकायतें दर्ज करने की आदत है। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित समाचार पूरी तरह से तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। प्रतिवादी के

अनुसार, 27.9.2019 का आक्षेपित समाचार माननीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित निर्णय पर आधारित था और 7.10.2019 तथा 8.10.2019 के आक्षेपित समाचार पीड़ितों द्वारा दिए गए बयान पर आधारित थे। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता वकालत की आड़ में निर्दोष लोगों को धोखा देता है और उसके प्रति उसका रवैया दुर्भावनापूर्ण भी है। प्रतिवादी ने कहा है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ उसके द्वारा दायर मुकद्मा नंबर 2/18 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने शिकायतकर्ता को दोषी पाया। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने उसे पूर्व में भी झूठे मामले में फंसाया था, और अब वह फिर से उसे झूठे मामले में फंसाना चाहता है।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने 24.2.2020 की प्रति-टिप्पणियों के जरिये प्रतिवादी के लिखित वक्तव्य का खंडन करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि उसे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के समक्ष वाद संख्या 2/18 में दोषी नहीं पाया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि सर्कल ऑफिसर सिटी, फतेहगढ़ ने प्रतिवादी के दबाव में एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

शिकायतकर्ता ने अगले पत्र दिनांक 2.3.2020 के जरिये कहा कि प्रतिवादी ने अपने अंकों 28.2.2020 और 29.2.2020 में फिर से झूठे और मानहानिजनक समाचार प्रकाशित किये।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 11.12.2020 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए नई दिल्ली में आया। दोनों ओर से कोई उपस्थिति नहीं थी।

नोटिस सेवित किये जाने के बावजूद शिकायतकर्ता ने उपस्थित होना नहीं चुना है।

शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में, जांच समिति इस मामले में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है।

तदनुसार, जांच समिति शिकायत समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के

बाद तर्कों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर, शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

47. श्री विजेंद्र कुमार अग्रवाल,
प्रबंध निदेशक,
शशि केबल्स लिमिटेड,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

1. संपादक,
दैनिक जागरण
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

2. संपादक
अमर उजाला,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

तथ्य

यह शिकायत श्री विजेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, शशि केबल्स लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा 6.8.2019 को (i) दैनिक जागरण और (ii) अमर उजाला के विरुद्ध दिनांक 29.5.2019 के अंकों में शीर्षकों "68 कंपनियाँ घटिया सामान की आपूर्ति में ब्लैक लिस्टेड" (दैनिक जागरण) और "घटिया विधुत आपूर्ति करने वाली 68 कंपनियाँ ब्लैकलिस्ट" (अमर उजाला) के तहत कथित रूप से मानहानिजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए की गई है।

दैनिक जागरण में छपी खबर में बताया गया है कि पावर कॉर्पोरेशन ने 68 कंपनियों को घटिया ट्रांसफार्मर, केबल और अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आगे यह बताया गया है कि निगम ने यह कदम राज्य भर से ली गई सामग्री के 15% प्रतिशत नमूनों के विफल होने के बाद उठाया है। बिजली मंत्री के निदेश पर कार्रवाई की गई। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने घटिया सामग्री की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और निगम ने इन कंपनियों से सामग्री खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रांसफॉर्मर, केबल आदि के कुल 1066 नमूने लिए गए थे, जिसमें 159 सैंपल फेल हुए थे। प्रधान सचिव ने कहा कि खराब गुणवत्ता के कारण बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हैं। आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता की कंपनी के नाम यानी शशि केबल के साथ ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के नाम का उल्लेख किया गया है।

अमर उजाला में छपी खबर में कहा गया है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने घटिया विद्युत सामग्री की आपूर्ति के लिए 68 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। आगे यह बताया गया है कि विद्युत मंत्री को विद्युत सामग्री की खराब गुणवत्ता और इसे उच्च मूल्य पर खरीदने के बारे में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। मंत्री के निदेश पर, विद्युत निगम प्रबंधन ने विद्युत सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। ट्रांसफॉर्मर, केबल आदि के कुल 1066 नमूने लिए गए थे, जिसमें 159 सैंपल फेल हुए।

आक्षेपित समाचारों का खंडन करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित समाचारों ने उनकी सार्वजनिक छवि को विकृत कर दिया है और उनके व्यवसाय को एक गंभीर झटका दिया है क्योंकि अब उन्हें देश में कहीं से भी और निजी ग्राहकों से कोई आर्डर प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी समाचार पत्रों दैनिक जागरण और अमर उजाला का ध्यान क्रमश: 1.7.2019 और 24.7.2019 को और बाद में 2.8.2019 को अनुस्मारकों के जरिये आकृष्ट किया और उनसे समाचारपत्रों में प्रकाशन के संबंध में जानकारी के स्रोत और इसकी प्रामाणिकता के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया।

इसके जवाब में, प्रतिवादी अखबारों अमर उजाला और दैनिक जागरण ने क्रमशः 25.8.2019 और 11.9.2019 के पत्रों के जरिये सूचित किया कि आक्षेपित समाचार जनसंपर्क अधिकारी, यू.पी. पावर कॉर्पोरेशन लि. द्वारा जारी एक प्रेस नोट पर आधारित थे।

दैनिक जागरण का लिखित वक्तव्य

संपादक, दैनिक जागरण ने 11.11.2019 के अपने लिखित बयान के जरिये शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शिकायत पूरी तरह से गलत, निराधार, भ्रामक है और उन पर दबाव डालने के लिए दर्ज़ की गई है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि आक्षेपित समाचार श्री के.के. सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, यू.पी. पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एक प्रेस प्रकाशनी पर आधारित था जिसमें शिकायतकर्ता की कंपनी सहित 68 कंपनियों को घटिया सामग्री की आपूर्ति के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था और कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव, यू.पी. पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक निदेश भी दिया गया था| प्रतिवादी ने कहा है कि अन्य समाचार पत्रों ने भी यही खबर प्रकाशित की । प्रतिवादी ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता को 11.9.2019 के पत्र के जरिये आक्षेपित समाचार

के तथ्यों से अवगत कराया गया था। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

दैनिक जागरण के लिखित बयान की एक कॉपी शिकायतकर्ता को 18.11.2019 को प्रति-टिप्पणियों के लिए भेज दी गई।

अमर उजाला का लिखित वक्तव्य

अमर उजाला के परामर्शदाता ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 26.11.2019 के जरिये आरोप से इनकार करते हुए विवेचित किया कि आक्षेपित समाचार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा 28-05-2019 को जारी प्रेस प्रकाशनी पर आधारित था। प्रतिवादी ने कहा है कि समाचार, सामान्य समाचार था और पत्रकारिता के मानदंडों और नैतिकता के साथ सद्भावना में प्रकाशित किया गया था और संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आधारित था पत्रकारिता के आचरण के मानकों के किसी भी उल्लंघन से इनकार करते हुए, प्रतिवादी ने आगे कहा है कि आक्षेपित समाचार सही रिपोर्टिंग है और मानहानिजनक नहीं है, जैसाकि आरोप लगाया गया है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि अमर उजाला ने शिकायतकर्ता के नोटिसों का विधिवत उत्तर दिया। प्रतिवादी के अनुसार, समाचार रिपोर्ट से शिकायतकर्ता की पहचान और नाम का खुलासा नहीं होता है। यह स्थापित कानून है कि एक या दूसरे व्यक्ति के खिलाफ लिखे गए मानहानिकारक शब्दों की अनुपस्थिति में, अखबार के खिलाफ कोई कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कानून के विपरीत कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं की है। प्रतिवादी ने आगे कहा है कि आक्षेपित समाचार पूर्वोक्त प्रेस प्रकाशनी के आधार पर है न कि समाचारपत्र के रिपोर्टर की धारणा के आधार पर। अमर उजाला ने खुद कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रतिवादी ने कहा है कि उसे शिकायतकर्ता सहित किसी से कोई व्यक्तिगत शिकायत या प्रतिशोध नहीं है। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 16.12.2020 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए नई दिल्ली में आया। श्री प्रतीक यादव, अधिवक्ता शिकायतकर्ता के लिए उपस्थित हुए और अधिवक्ता श्री बी.के. मिश्रा और सुश्री पूनम आते, कानूनी प्रबंधक श्री कपिल यादव के साथ, दैनिक जागरण के लिए उपस्थित हुए और अधिवक्ता श्री नीरज कपूर तथा श्री विवेक सिंह अमर उजाला के लिए उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता प्रतिवादी अखबारों में समाचार के प्रकाशन के कारण व्यथित हैं जिसका शीर्षक है "68 कंपनियों को दोषपूर्ण सामग्री की आपूर्ति के लिए ब्लैक-लिस्टेड" पाया गया है। शिकायतकर्ता का यह दावा है कि उपर्युक्त समाचार गलत है और इसने इसकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया है।

जांच समिति ने शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रतीक यादव और श्री बी.के. मिश्रा, सुश्री पूनम आते और प्रतिवादी दैनिक जागरण के लिए श्री कपिल यादव और अमर उजाला के लिए श्री विवेक सिंह और नीरज कपूर को सुना । प्रतिवादियों का दावा है कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी के आधार पर समाचार प्रकाशित किया गया है। जांच समिति ने प्रेस प्रकाशनी का अवलोकन किया और पाया कि उक्त प्रेस रिलीज़ में शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख है। श्री यादव का कहना है कि प्रेस प्रकाशनी में दिया गया वक्तव्य कि शिकायतकर्ता को ब्लैक-लिस्ट किया गया है, गलत है। जांच समिति वर्तमान कार्यवाही में इस प्रश्न पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। चाहे जो भी हो, प्रतिवादी अखबारों के पास आक्षेपित समाचार के प्रकाशन का आधार था और ऐसा करते समय उन्होंने पत्रकारिता के आचरण के मानक का कोई उल्लंघन नहीं किया है। तदनुसार, जांच समिति शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है। हालांकि, शिकायतकर्ता कानून में उपलब्ध किसी अन्य उपाय का सहारा ले सकता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत खारिज करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

49. श्री कपिल देव,
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक,
उत्तर प्रदेश राज्य रोडवेज परिवहन निगम,
बाह देपोर्ट, बाह, आगरा (उत्तर प्रदेश)

संपादक,
दैनिक अमर भारती,
आगरा (उत्तर प्रदेश)

तथ्य

यह शिकायत दिनांकित 11.7.2019 श्री कपिल देव, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बाह देपोर्ट, आगरा (उत्तर प्रदेश) ने संपादक, दैनिक अमर भारती, आगरा के खिलाफ शीर्षक 'करीबी कर्मचारी से नौकरी नहीं कराते एआरएम साहब' के साथ आक्षेपित समाचार में 'साहब व कर्मचारियों के बीच लेनदेन पर चल रही नौकरी और आठ कर्मचारी अपनी जगह संविदा कर्मियों से करा रहे ड्यूटी और खुद की जान फंसती हुई देख प्रभंजन को बचाने में जुटे साहब' क्रमश: 22.5.2019 और 24.5.2019 के अंकों में कथित रूप से गलत, आधारहीन और मानहानि की खबरें प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की है।

22.5.2019 के आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि रोडवेज कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। रोडवेज मंत्री के निदेश पर, जांच की गई और यह पाया गया कि रोडवेज निगम के नियमित कर्मचारियों के स्थान पर संविदा कर्मी बस चला रहे हैं। आगे यह बताया गया है कि बाह डिपो में कुल 20-22 ड्राइवर-कंडक्टर नियमित आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और शेष 210 ड्राइवर कंडक्टर संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। यह भी बताया गया है कि आठ नियमित चालक, जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) के करीबी हैं, कई महीनों से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और ये नियमित कर्मचारी ड्यूटी से बचने के लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को रु. 8000/- प्रति माह का भुगतान कर रहे हैं। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने इसी तरह से अपनी पिछली पोस्टिंग के दौरान लाखों रुपये कमाए थे।

समाचार दिनांक 24.5.2019 में बताया गया कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के स्थान पर काम करने के लिए मजबूर किया और इस तरह 20 मई को संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बजाय बस चलाते हुए पाया गया और उसके बाद एक ऑडिट टीम को मामले की जांच करने भेजा गया। ऑडिट टीम ने क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में बाह डिपो में तैनात सभी कर्मचारियों की फाइलों की जाँच की। ऑडिट टीम के आने के बारे में सुनने के बाद, एआरएम कार्यालय नहीं आए। अगर जांच की जाती, तो आरोपी अवश्य पकड़ा जाता ।

समाचारों में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने बिना किसी सबूत के उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए झूठे, निराधार समाचारों को प्रकाशित किया है जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा को बहुत

नुकसान पहुंचा है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि समाचारों को प्रकाशित करने से पहले प्रतिवादी प्रकाशन पूर्व कोई सत्यापन नहीं किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि समाचारों के प्रकाशन के बाद, उन्होंने प्रतिवादी अखबार के संपादक से और संबंधित रिपोर्टर से भी बात की, लेकिन वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इसके बाद, उन्होंने 24.5.2019 को प्रतिवादी संपादक को लिखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

कोई जवाब नहीं

प्रतिवादी-संपादक, दैनिक अमर भारती, आगरा को 31.10.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन यह डाक अधिकारियों से टिप्पणी 'चले गये' के साथ वापिस आ गया। इसके बाद, 27.11.2019 को एक अन्य पते पर प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और यह डाक अधिकारियों की टिप्पणी "इस पते पर इस नाम की कोई फर्म नहीं है-अतः प्रेषक को वापिस" के साथ वापिस आ गया। इसलिए, 6.1.2020 को (नॉट बाउंस्ड) ईमेल के माध्यम से प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शिकायतकर्ता से भी काउंसिल के पत्र दिनांक 28.2.2020 के जरिये प्रतिवादी का नवीनतम पता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

जांच समिति की रिपोर्ट

जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए यह मामला 16.12.2020 को नई दिल्ली में आया। दोनों तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

नोटिस सेवित किये जाने के बावजूद, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में, जांच समिति इस मामले में आगे बढ़ने की इच्छुक नहीं है और तदनुसार, समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

स्व: प्रेरणा से संज्ञान

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

50–51. **हिंदुस्तान नई दिल्ली द्वारा क्लासिफाइड, आपत्तिजनक, अश्लील और भ्रमित करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान ।**

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने अपने पूर्व निर्णय दिनांकित 15.11.2019 में समाचारपत्र हिंदुस्तान, नई दिल्ली की, आपत्तिजनक और अश्लील विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए, परिनिन्दा की थी । इसके बावजूद, हिंदुस्तान समाचारपत्र ने नई दिल्ली संस्करण में कई क्लासिफाइड, आपत्तिजनक, अश्लील और भ्रमित करने वाले विज्ञापन प्रकाशित किए हैं जो परिषद के संज्ञान में आए हैं जोकि पत्रकारिता आचरण के मानक (2019 संस्करण) के मानक 2 "विज्ञापन" तथा मानक 28 "अश्लीलता और अभद्रता से बचना चाहिए" का उल्लंघन करता है और यह, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 170(3) व 170(4)(iv) के अंतर्गत लिए गए प्रतिमानक का भी उल्लंघन करता है, जैसाकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (11वां संशोधन) नियमावली, 2018 में संशोधन किया गया है, जिसका उल्लेख निम्नानुसार है :-

i. विज्ञापनों और उनके अस्वीकरण के लिए आयुर्वेदिक औषधि के निर्माताओं द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या का आवेदन ।

ii. आयुर्वेदिक दवाएं जो पुरुष या महिला यौनांग की लंबाई और आयाम तथा निष्पादन क्षमता बढ़ाने का सुझाव दें के विज्ञापन के लिए आवेदन ।

परिषद ने इस मामले में स्वः प्रेरणा से संज्ञान लिया और हिंदुस्तान, नई दिल्ली के संपादक को दिनांक 24.1.2020 को (मि.सं. 29/एसएम/2020-ए) तथा दिनांक 11.8.2020 को (मि.सं. 278/एसएम/2020-बी) कारण बताओ नोटिस जारी किया ।

हिंदुस्तान का उत्तर

प्रतिवादी हिंदुस्तान, ने लिखित वक्तव्य दिनांकित 3.9.2020 द्वारा विवेचित किया है कि हिंदुस्तान किसी भी वक़्त ऐसे कृत्य में संलिप्त नहीं हुआ जोकि पत्रकारिता आचरण

के विरुद्ध हो । प्रतिवादी ने आगे बताया कि विज्ञापन केवल संबद्ध विज्ञापनदाताओं द्वारा मुहैया कराई गई अंतर्वस्तु पर आधारित हैं और उनके कहने पर ही प्रकाशित किया गया है । आगे, विज्ञापनों को समाचारपत्र की 'क्लासीफाइड' श्रेणी में रखा गया था जोकि समाचारपत्र के बहुत छोटे क्षेत्र में है । प्रतिवादी ने आगे कहा कि कथित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अश्लील और अशिष्ट अभद्र नहीं माने जाने चाहिए क्योंकि ये उचित सीमित सीमा के अंदर है चूंकि वर्णित सेवाएं छोटी, स्पष्ट हैं इसलिए अनावश्यक स्पष्टीकरण प्रकाशित नहीं किया गया जोकि अनुचित होता । प्रतिवादी ने यह भी कहा कि कथित विज्ञापन किसी भी रुप से स्पष्ट/आपत्तिजनक/अश्लील नहीं है । विज्ञापन मॉडलिंग या इसी से संबंधित हैं । प्रतिवादी ने कहा कि तस्वीरें विज्ञापन के साथ प्रकाशित की गई हैं अतः उसे अलग से न देखा जाए बल्कि उसे विज्ञापन की अंतर्वस्तु के साथ ही पढ़ा जाए । उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई तस्वीर या विज्ञापन से आपत्ति हो तो वह विज्ञापनदाता के विरूद्ध मौजूदा कानूनी दायरे के तहत उपाय कर सकते हैं । इस प्रकार, इस तरह के विज्ञापन/तस्वीर प्रकाशित करने के कारण समाचारपत्र के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का मतलब है मामले में पूर्वधारणा को लाना जोकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) और (2) का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा समाचारपत्र हिंदुस्तान को अपने संस्करण में अपने विचार व्यक्त करने तथा लागू नियमों के भीतर अपने दिन प्रतिदिन के व्यवसाय को करने का अधिकार है और इसलिए इस अधिकार पर किसी भी तरह की अनावश्यक रोक को भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का उल्लंघन समझा जाएगा । प्रतिवादी के अनुसार, किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले, विज्ञापन विभाग द्वारा इसकी जांच की जाती है और यदि विभाग संशय में है, विधिक विभाग से सहायता मांगी जाती है । यौन सामग्री/यौनांगों में वृद्धि से संबंधित विज्ञापनों के मामले में प्रतिवादी ने कहा है कि ये वे विज्ञापन नहीं हैं जिनकी प्रेस परिषद ने अपने निर्णय दिनांकित 15.11.2019 द्वारा परिनिन्दा की थी। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 170(1) के अनुसार आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी औषधियों के विनिर्माता या उसका अभिकर्ता किसी रोग, विकार, लक्षण अथवा दशा के निदान, इलाज, शमन उपचार या निवारण के उपयोगार्थ किसी औषधि संबंधी किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा; जोकि विज्ञापनदाता का दायित्व है न की प्रकाशक का । आगे उप-धारा 4(iv) के अनुसार, किसी ऐसे आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी औषधि के बारे में हो जो उस औषधि या औषधि के उपयोग से पुरुष अथवा महिला के यौनांगों की लंबाई या क्षमता के निष्पादन में वृद्धि का सुझाव देता हो का आवेदन (जोकि विज्ञापनदाता का दायित्व है न कि प्रकाशक का) रद्द किया जा सकता

है । प्रतिवादी ने कहा है कि विज्ञापन किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध अथवा यूनानी औषधि के लिए नहीं हैं बल्कि किसी चिकित्सक या चिकित्सक से परामर्श के लिए एक सरल विज्ञापन है, जिसे किसी भी लागू कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता है । अतः नियम 170 4 (iv) समाचारपत्र हिंदुस्तान पर लागू नहीं होता है तथा समाचारपत्र हिंदुस्तान विज्ञापनदाता नहीं बल्कि प्रकाशक है और न ही विज्ञापन आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधि से संबंधित हैं । प्रतिवादी ने आगे विवेचित किया कि अन्य प्रकाशन भी इसी तरह के विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं, जो व्यावहारिक रुप से उन मानकों को प्रदर्शित करते हैं, जिनका अनुपालन पूरा उद्योग सामूहिक रुप से कर रहा है । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए, प्रतिवादी ने परिषद से नोटिस को वापिस लेने का अनुरोध किया है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2020 को नई दिल्ली में आया । श्री एन.बी. जोशी, अधिवक्ता, श्री गोविंद विजय और श्री अरुण पाठक ने प्रतिवादी समाचारपत्र, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया ।

परिषद ने अपने न्यायनिर्णय दिनांक 15.11.2019 को प्रतिवादी 'हिंदुस्तान' की कई विज्ञापन, जिनमें 'पुरुष और महिलाओं' को प्रतिदिन 'मुलाक़ात' करने पर 15000/- रुपए से लेकर 40,000/- रुपए कमाने का मौका देने वाले विज्ञापन शामिल थे, को प्रकाशित करने के लिए परिनिन्दा की थी । परिषद ने ऐसा करते वक़्त कहा था कि ऐसे विज्ञापन "किशोरों को वेश्यावृत्ति की ओर आकर्षित करते हैं"। जोकि "न केवल अवैध है बल्कि देश के सांस्कृतिक मूल्यों के भी विरुद्ध है"।

उक्त आदेश द्वारा, प्रतिवादी का "यौनांग की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने और ल्यूकोडर्मा के इलाज" संबंधी विज्ञापन अवैध तथा औषधि और चमत्कारित उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की उपधारा 3(ख) और (घ) का उल्लंघन होता है । इसके बावजूद, परिषद ने पाया कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने ऐसे विज्ञापन कई महीनों तक ज्यों के त्यों प्रकाशित किए हैं और तदनुसार, स्वः प्रेरणा से संज्ञान लिया तथा प्रतिवादी को उत्तर दर्ज करने के लिए निदेशित किया । तदनुसार, प्रतिवादी ने उत्तर दर्ज किया और एक बार फिर वही दलीलें दी जो पिछली बार दी थी ।

श्री एन.बी. जोशी प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए और विवेचित किया कि उपर्युक्त विज्ञापन ब्लैक एंड व्हाइट हैं और प्रतिवादी ने उन विज्ञापनों को प्रकाशित करते हुए पत्रकारिता के आचरण के मानक या किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया

है । तदनुसार, उन्होंने परिषद के दिनांक 15.11.2019 के निर्णय पर पुनः विचार करने और कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है । इसपर विवाद नहीं है कि विचाराधीन मुद्दे में पूरी तरह से परिषद के पहले के फैसले का ध्यान रखा गया है और विचाराधीन विज्ञापन स्पष्ट रूप से इसका प्रारंभ है ।

तथापि, श्री जोशी की विवेचना को निराधार पाकर, उसके विपरीत, जांच समिति ने अपने विचार व्यक्त किए । जांच समिति की राय में, विज्ञापनों का उद्देश्य हमेशा पाठकों की अधिक संख्या को आकर्षित करना होता है । किसी भी विज्ञापनदाता से बेरंग और रसहीन विज्ञापन की अपेक्षा नहीं की जाती । आक्षेपित विज्ञापन के अवलोकन के पश्चात्, जांच समिति ने पाया कि वे विज्ञापन पुरुषों और महिलाओं को पैसा कमाने की मंशा से प्रकाशित किये गये थे । इसी प्रकार, यौनांगों और ल्यूकोडर्मा के इलाज से संबंधित विज्ञापन इन बीमारी और परेशानियों से पीड़ित व्यक्तियों को आकर्षित करने की मंशा से प्रकाशित किए गए थे । इसलिए, जांच समिति की राय में, इन विज्ञापनों को बेरंग व रसहीन नहीं कहा जा सकता । जांच समिति के पास अपने निर्णय दिनांकित 15.11.2019 पर पुनः विचार करने की कोई वजह नहीं है ।

जांच समिति का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज रिट याचिका दिनांकित 25.02.2020 में अंतरिम आदेश दिनांकित 05.03.2020 की ओर खींचा गया । यह रिकॉर्ड किया जाए कि यह कार्रवाई औषधि और प्रसाधन नियमावली के नियम 170 के उल्लंघन से संबंधित नहीं है ।

उक्त न्यायनिर्णय आदेश में उल्लिखित कारणों के चलते, जांच समिति के पास प्रतिवादियों को पत्रकारिता के आचरण के मानकों के उल्लंघन का दोषी न मानने की कोई वजह नहीं है और तदनुसार, वे परिनिन्दा के पात्र हैं ।

जांच समिति, तदनुसार, प्रतिवादी समाचारपत्र की परिनिन्दा करने की संस्तुति करती है । मानकों के पुनः उल्लंघन के मद्देनजर, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय से अपेक्षा की जाती है कि वह नीति निर्णय को ध्यान में रखते हुए तेजी से उचित कार्रवाई करे। आदेश की एक प्रति विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा एनसीआर क्षेत्र के जनसम्पर्क विभाग के निदेशक को भेजी जाए ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के

बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार कर, समाचारपत्र हिन्दुस्तान की परिनिन्दा करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

52. दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित फेक समाचार के प्रकाशन के संबंध में स्वः- प्रेरणा से संज्ञान ।

तथ्य

सुश्री निधि पांडे, अपर महानिदेशक, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने दिनांक 17.3.2020 को अपने संदर्भ द्वारा दैनिक भास्कर, दिनांक 8.3.2020 के संस्करण में **"मैं बेहद जिद्दी हूं, ना नहीं सुनती, बदलाव तो ऐसे ही आएगा"** कैप्शन के अंतर्गत फेक समाचार प्रकाशित करने की ओर परिषद का ध्यानाकृष्ट किया ।

लेख में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि, श्री सिद्धार्थ राजहंस का फिनलैंड की प्रधानमंत्री, सन्ना मारिन के साथ एक साक्षात्कार था। साक्षात्कारकर्ता ने हेलसिंकी में मारिन से मिलने का दावा किया था। आगे बताया गया है कि सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री को "महिला प्रधानमंत्री" के रूप में संबोधित किए जाने पर वह असहज हो गईं, उनका मानना है कि समग्र प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा लिंग और धार्मिक भेदभाव हैं।

जबकि, एक वैबसाइट यानि https://www.opindia.com में यह बताया गया है कि पूरा साक्षात्कार गढ़ा गया था क्योंकि वास्तव में ऐसा कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं था। आगे बताया है कि प्रकाशित साक्षात्कार, फ़िनलैंड की प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा दिनांक 8.3.2020 को ही देखा गया था। संचार निदेशक ने कहा कि "वह (पीएम) आश्चर्यचकित थी कि प्रमुख भारतीय मीडिया हाउस ने एक साक्षात्कार को प्रकाशित किया है जो कभी हुआ ही नहीं"। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जवाबों को देखते हुए, यह पता चला कि जर्मन टीवी चैनल को दिए गए फ़िनलैंड की प्रधानमंत्री के पूर्व के एक साक्षात्कार से ये जवाब लिए गए हैं। बताया जाता है कि दैनिक भास्कर पोस्ट ने पुष्टि की थी कि उन्हें कहानी के सुधार के लिए फिनलैंड के कैबिनेट कार्यालय से अनुरोध प्राप्त हुआ था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसे सुधार लिया जाएगा। उसके बाद, पोर्टल ने कोई माफी या स्पष्टीकरण जारी किए बिना इस साक्षात्कार को अपनी वेबसाइट से हटा दिया।

मामले में स्वः प्रेरणा संज्ञान लेते हुए, प्रेस परिषद ने दैनिक भास्कर के संपादक को दिनांक 17.3.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया ।

प्रतिवादी से प्राप्त लिखित वक्तव्य

श्री कुलदीप व्यास नेशनल पॉलिटिकल एडिटर, दैनिक भास्कर, नई दिल्ली ने उत्तर दिनांक 17.3.2020 द्वारा बताया कि दैनिक भास्कर दिनांक 8 मार्च 2020 को महिला दिवस पर भारत की महिलाओं को प्रेरित करने के लिए फिनलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री सुश्री सन्ना मारिन का एक साक्षात्कार प्रकाशित करना चाहता था। इस पर काम तीन महीने पहले दिसंबर 2019 में शुरू हुआ और प्रतिवादी ने यूके में अपने स्वतंत्र संवाद्दाता सुश्री एना सोफिया से अनुरोध किया कि वे पीएम सुश्री सना मारिन के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था करें। अपने सभी प्रयासों के बावजूद, वह फिनलैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पाई। इसके बाद, श्री सिद्धार्थ राजहंस, न्यूयॉर्क स्थित फ्रीलांस पत्रकार, दैनिक भास्कर द्वारा फ़िनलैंड की पीएम के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था के लिए संपर्क किया गया और महिला दिवस के लिए दैनिक भास्कर के अपने विशेष संस्करण में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। दैनिक भास्कर को 22 फरवरी, 2020 को फिनलैंड के पीएमओ से एक ईमेल प्रतिक्रिया मिली, जिसने 20 से 30 मिनट के एक साक्षात्कार स्लॉट की पुष्टि की और रिकॉर्ड प्रयोजनों के लिए आधिकारिक पत्र के लिए दैनिक भास्कर से अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि दिनांक 28.2.2020 को श्री सिद्धार्थ राजहंस ने साक्षात्कार होने की तारीख के बारे में दैनिक भास्कर को सूचित किया । श्री राजहंस ने यह भी बताया कि पीएम के साक्षात्कार के लिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी जाना आवश्यक है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि श्री राजहंस को यात्रा के खर्च और साक्षात्कार के लिए शुल्क के लिए 3,50,000/- रुपए चुकाए गए। दिनांक 28 फरवरी, 2020 को, श्री राजहंस ने दैनिक भास्कर को व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से सूचित किया कि साक्षात्कार अच्छा रहा और साक्षात्कार का मसौदा फिनलैंड के प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा अनुमोदन के बाद दैनिक भास्कर को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिवादी ने आगे कहा कि 3 मार्च 2020 को सना मरीन के साथ साक्षात्कार की स्वीकृत स्क्रिप्ट समेत ईमेल आईडी mailto:pmsecretary@valtioneuvoston.eu से भेजा गया एक ईमेल प्राप्त हुआ।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि अनुमोदित स्क्रिप्ट के आधार पर उन्होंने महिला दिवस

के अवसर पर एक मुख्य कहानी तैयार की और दैनिक भास्कर के हर संस्करण के पहले पन्ने पर प्रकाशित किया। उन्होंने यह साक्षात्कार अपने सभी डिजिटल प्लेटफार्मों पर भी पोस्ट किया। उन्होंने आगे कहा कि जब से उन्होंने फिनलैंड की प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय को अपने ट्विटर हैंडल पर उक्त साक्षात्कार को टैग किया था और तब यह उनके द्वारा देखा और पढ़ा गया था। तत्पश्चात, दैनिक भास्कर को साक्षात्कार के संबंध में तुरंत महानिदेशक, फिनलैंड पीएमओ से संदेश मिला। दैनिक भास्कर की टीम ऐसा संदेश देखकर चकित रह गई। जब श्री राजहंस से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि साक्षात्कार वास्तविक था। हालांकि, दैनिक भास्कर ने फिनलैंड सरकार के अधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध का अनुपालन किया और उन्होंने सभी डिजिटल प्लेटफार्मों से साक्षात्कार को हटा दिया।

दैनिक भास्कर श्री राजहंस द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं था, उसने अमेरिका और फिनलैंड के आप्रवास मोहर द्वारा जारी किए गए फिनलैंड वीजा पर यात्रा टिकट भेजकर, उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयास किया। इस तरह के स्पष्टीकरण के बावजूद, दैनिक भास्कर को लगा कि इस मामले में जांच की आवश्यकता है। इस प्रकार, उन्होंने भारत में फिनलैंड दूतावास से अनुरोध किया कि वे इस साक्षात्कार की वैधता के पीछे की सच्चाई को समझने में उनकी मदद करें और साथ ही उन्हें फिनलैंड सरकार से कथित रूप से प्राप्त पत्र का प्रमाणीकरण भी करें। दिनांक 18.3.2020 को, उन्हें एक जवाब मिला, जिसमें कहा गया था कि दैनिक भास्कर के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईमेल आईडी नकली थी। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि वे इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि सुश्री सना मारिन, पीएम, फिनलैंड के साथ साक्षात्कार कभी नहीं हुआ और उन्हें धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि श्री राजहंस के विरूद्ध आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। फिनलैंड की प्रधानमंत्री और भारत में फिनलैंड दूतावास को एक माफीनामा भेजा गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2020 को नई दिल्ली में आया। श्री शंभू नाथ चौधरी, निदेशक, प्रेस सुविधाएं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, अपर महानिदेशक, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से उपस्थित हुए तथा समाचारपत्र की ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई ।

परिषद ने उस समय स्वः प्रेरणा से संज्ञान लिया, जब यह ध्यान में लाया गया कि प्रतिवादी समाचारपत्र के दिनांक 08.03.2020 के संस्करण में प्रकाशित फिनलैंड की

प्रधानमंत्री का कथित साक्षात्कार, फर्जी है और उसी के अनुसार प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया था। प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दर्ज किया है, लेकिन जब जांच समिति द्वारा इस मामले में सुनवाई हुई, तो उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। लिखित बयान में, प्रतिवादी ने स्वीकारा है कि "सुश्री सना मारिन, प्रधानमंत्री, फिनलैंड के साथ उनका साक्षात्कार कभी नहीं हुआ" लेकिन उन्होंने यह अनुरोध किया है कि वे स्वयं पीड़ित हैं। प्रतिवादी ने उन परिस्थितियों को बताया है जिनके तहत उन्हें धोखा मिला है और आगे कहा गया कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री और भारत में फिनलैंड दूतावास को एक माफीनामा भी भेजा गया है।

चूंकि समाचार दूसरे देश की प्रधानमंत्री से संबंधित है, जांच समिति ने गंभीर विचार व्यक्त किए और पाया कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री के कथित साक्षात्कार को प्रकाशित करने में प्रतिवादी समाचारपत्र का आचरण निंदनीय है। प्रतिवादी से यह अपेक्षा की गई थी कि जब साक्षात्कार के तथ्यों को फर्जी बताया गया था और प्रतिवादी स्वयं इस बात से संतुष्ट था कि यह फर्जी है, तो इसके संबंध में विस्तृत प्रकाशन किया जाना चाहिए था और इसके लिए जारी किए गए सुधार को जारी किया जाना चाहिए था। इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। सिर्फ यही नहीं, जिस पत्रकार पर यह धोखाधड़ी करने का आरोप है उस पर देश के आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी। इन्हीं सब चूक में, प्रतिवादी समाचारपत्र की सदाशयता की कमी की झलक दिखती है ।

तदनुसार, जांच समिति संस्तुति करती है कि प्रतिवादी समाचारपत्र की परिनिंदा की जाए। इस आदेश की एक प्रति ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन को भेजी जाए।

उपर्युक्त संस्तुतियों के साथ, जांच समिति मामले को समाप्त करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार कर, समाचारपत्र दैनिक भास्कर, नई दिल्ली की परिनिन्दा करने का निर्णय लेती है।

न्यायनिर्णय

दिनांकित 22.01.2021

53. हिंदुस्तान समाचारपत्र द्वारा विज्ञापन को खबर के रूप में प्रकाशित करने पर स्व: प्रेरणा से संज्ञान ।

प्रेस परिषद के संज्ञान में आया है कि हिंदुस्तान समाचारपत्र द्वारा उनके दिनांक 24.08.2020 के अंक में "उपलब्धियों से अव्वल बना ग्राफिक एरा" शीर्षक के तहत समाचारपत्र के पूरे मुख्य पृष्ठ पर एक विज्ञापन को समाचार के रूप में प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है, जो उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। आगे कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में कोई अन्य विश्वविद्यालय शीर्ष 100 सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस विश्वविद्यालय के छात्र लॉकडाउन के दौरान भी कॉर्पोरेट जगत की पसंद बने हुए हैं।

मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, संपादक, हिंदुस्तान, नई दिल्ली को दिनांक 26.08.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी ने लिखित वक्तव्य दिनांकित 24.09.2020 द्वारा विवेचित किया है कि चूंकि नोटिस में उल्लिखित प्रासंगिक मानकों का उल्लंघन नहीं हुआ है, माननीय भारतीय प्रेस परिषद द्वारा इस विषय पर जांच कराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और यह प्रत्याहरण के लिए एक उचित मामला है । प्रतिवादी ने आगे विवेचित किया कि उक्त विज्ञापन दिनांकित 24.08.2020 को हिंदुस्तान (हिन्दी दैनिक), देहारादून संस्करण में केवल संबंधित विज्ञापनदाता के आदेश पर ही प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन विज्ञापनदाता द्वारा मुहैया कराई गई अंतर्वस्तु पर आधारित था । इसके साथ ही, विज्ञापन की अंतर्वस्तु को अभी तक के संशोधित कानूनों के प्रावधान के अनुसार प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन उचित तय सीमाओं के भीतर है । प्रतिवादी ने आगे कहा है कि वे विज्ञापन के मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं तथा उनके संपादक व पत्रकार हमेशा इस बात पर ज़ोर देते हैं कि समाचार को तटस्थ तथा किसी भी पक्षपात से रहित होना चाहिए। प्रासंगिक विज्ञापन को एक अलग तरीके से प्रकाशित किया गया था ताकि पाठक अन्य खबरों के अंतर को समझे । प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि आक्षेपित विज्ञापन को एक बॉक्स में प्रकाशित किया गया था और जिसमें, विशेष रूप से 'विज्ञापन' शब्द उक्त विज्ञापन के दाईं ओर लिखा गया था। आक्षेपित विज्ञापन को एक विशेष फॉन्ट व स्टाइल में प्रकाशित किया गया था जोकि संपादकीय अंतर्वस्तु में इस्तेमाल होने वाले फॉन्ट व स्टाइल से भिन्न है । यह पाठकों को एक विज्ञापन और

संपादकीय अंतर्वस्तु के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है। प्रतिवादी ने बताया कि विज्ञापन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत उनके व्यापार और पेशे के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, के तहत प्रकाशित किया है, जो राजस्व का मुख्य स्रोत है और इसे विश्व स्तर पर समाचारपत्र व्यापार मॉडल के रूप में स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बार–बार समाचारपत्र में विज्ञापन के प्रकाशन को प्रेस का मौलिक अधिकार बताया है । प्रतिवादी ने बताया कि अमर उजाला व दैनिक जागरण जैसे कई प्रमुख और व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले समाचारपत्रों ने, उक्त विज्ञापन दिनांकित 21.08.2020 को इसी रूप और शैली में प्रकाशित किया है । उन्होंने परिषद से नोटिस को वापिस लेने का अनुरोध किया है ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2020 को नई दिल्ली में आया । श्री गोविंद विजय, उप महापरामर्शी और श्री अरुण पाठक, एआर प्रतिवादी समाचारपत्र की ओर से उपस्थित हुए ।

परिषद ने स्वः प्रेरणा से संज्ञान लिया, जब प्रतिवादी अखबार, हिंदुस्तान के 24 अगस्त, 2020 के अंक में प्रकाशन के बारे में पता चला । प्रकाशित अंतर्वस्तु प्रथम दृष्ट्या विज्ञापन जैसी लगी परंतु इसे खबर जैसे दिखाया गया और तदनुसार, प्रतिवादी समाचारपत्र को नोटिस भेजा गया । प्रतिवादी समाचारपत्र ने लिखित वक्तव्य दाखिल किया है और यह स्वीकार किया है कि जो पूरे पृष्ठ में प्रकाशित है, खबरों का संग्रह नहीं है लेकिन विज्ञापन, विज्ञापनदाता द्वारा दी गई अंतर्वस्तु पर आधारित है । यहां यह कहना उचित होगा कि प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि जो प्रकाशित हुआ है वह विज्ञापन है लेकिन उस पृष्ठ के ऊपर जहां विज्ञापन प्रकाशित है, ऐसा नहीं कहा गया है ।

श्री गोविंद, उप महापरामर्शी प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए और कहा कि "ADVT" शब्द उस पृष्ठ पर मुद्रित हैं ।

जांच समिति को यह पता लगाने में अत्यधिक समय लगा कि वे अक्षर कहां लिखे हुए हैं और अंततः लगभग पृष्ठ के मध्य और दायीं ओर "ADVT" मुद्रित है ।

एक खबर और एक विज्ञापन के बीच अंतर करने के उद्देश्य से, पत्रकारिता आचरण के मानकों के तहत, समाचारपत्र Advertisement/विज्ञापन को इस तरह से प्रिंट करने

के लिए बाध्य है कि पाठक आसानी से गौर करें । जांच समिति की राय है कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचारपत्र रोमन भाषा में "एडीवीटी" शब्द मुद्रित कर, उद्देश्य को हासिल नहीं करता है । किसी आम पाठक ने इस पर गौर नहीं किया होगा ।

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तैयार किये गये पत्रकारिता के आचरण के मानक के खंड 2(xxvi) के अनुसार:-

'अखबार/अखबारों में समाचार जैसे विज्ञापन/विज्ञप्तियां प्रकाशित करते समय, उन्हें बड़े अक्षरों में विज्ञापन/विज्ञप्तियां शीर्षक के साथ मुद्रित किया जाए जिसका फॉन्ट साइज पृष्ठ पर आने वाले उपशीर्षकों के बराबर हो।'

पूर्वोक्त मानदंड को साधारणतया पढ़ने मात्र से पता चलता है कि समाचार के समान विज्ञापन प्रकाशित करते समय समाचारपत्र को पृष्ठ में प्रदर्शित होने वाले उप-शीर्षक के बराबर आकार वाले फ़ॉन्ट के साथ "विज्ञापन/ विज्ञापनिका" को मुद्रित करने की आवश्यकता होती है। निस्संदेह, विज्ञापन समाचार के समान है और प्रतिवादी समाचारपत्र ने वहां विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया है । वास्तव में, जिस भाषा में समाचार प्रकाशित किया गया, उस विज्ञापन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है ।

इस प्रकार समाचारपत्र ने इस मानक का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है ।

इसके बाद श्री गोविंद ने कहा कि विज्ञापन के फ़ॉन्ट और प्रस्तुतिकरण समाचारों के समान नहीं है। जांच समिति ने विज्ञापन के पृष्ठ और अन्य पृष्ठों जहां समाचार प्रकाशित किए गए हैं, का अवलोकन किया है । इनमें ऐसा कोई अंतर नहीं है जिससे एक आम पाठक सोच सके कि यह एक विज्ञापन है । वास्तव में, जांच समिति की राय है कि यहां-वहां थोड़े बदलाव अधिक पाठकों को आकर्षित करने के लिए किये गये थे ।

इन सभी कारणों के कारण, जांच समिति की राय है कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने पत्रकारिता के आचरण के मानकों का घोर उल्लंघन किया है और इसलिए, इसकी **परिनिन्दा** की आवश्यकता है। तदनुसार, जांच समिति प्रतिवादी समाचारपत्र हिंदुस्तान, नई दिल्ली और देहरादून के संस्करणों की परिनिन्दा की संस्तुति करती है । इस आदेश की एक प्रति ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग, उत्तराखंड, दिल्ली सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को उचित कानून के तहत उचित कार्रवाई के लिए भेजी जाए ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार कर, प्रतिवादी समाचारपत्र हिंदुस्तान, दिल्ली व देहारादून संस्करणों की **परिनिन्दा** करने का निर्णय लेती है ।

न्यायनिर्णय

दिनांक 22.01.2021

54. भारत के माननीय राष्ट्रपति को व्यंग्यात्मक तरीके से पेश करने वाले समाचार के प्रकाशन और द टेलीग्राफ द्वारा 17.3.2020 के अंक में सनसनीखेज सुर्खियों के उपयोग के संबंध में सूओ-मोटू संज्ञान।

तथ्य

प्रेस सूचना ब्यूरो ने पत्र दिनांक 17.3.2020 के जरिये दी टेलीग्राफ द्वारा दिनांक 17.3.2020 अंक में शीर्षक 'कोविंद, न कि, कोविड ने यह किया' **(कोविंद, नॉट कोविड, डिड इट)** के अंतर्गत प्रकाशित समाचार लेख भेजा है।

सनसनीखेज सुर्खियों के तहत समाचार लेख "कोविंद, नोट कोविड डीड इट किया" ने व्यंग्यपूर्ण तरीके से भारत के प्रथम नागरिक के नाम का इस्तेमाल किया है जिसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई को सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पद से सेवानिवृत्त होने के केवल पांच महीने बाद, राज्यसभा का नामांकन सौंपा जो अपने आप में भारतीय इतिहास में पहली बार है क्योंकि इससे पहले CJI को इतने कम समय में उच्च सदन में कभी भी नामित नहीं किया गया था। यह कहा गया है कि जस्टिस गोगई का नामांकन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दुष्यंत दवे के हवाले से एक राजनीतिक नामांकन है। लेख में आगे कहा गया है कि यह नामांकन जस्टिस गोगोई को अयोध्या स्थल विवाद के मामले में पूर्व निर्णयों, राफेलफाइटर प्लेन सौदे की जांच की दलील को स्वीकार न करने और असम में राष्ट्रीय रजिस्टर नागरिक का सार्वजनिक रूप से बचाव करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधाराओं का पक्ष लेकर उनके पूर्व निर्णयों के बदले में दिया गया परितोषिक है।

पीआईबी ने कहा है कि प्रश्नगत समाचार में भारत के राष्ट्रपति को व्यंग्यपूर्ण तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है और इस प्रकार परिषद से समाचार लेख में स्वः प्रेरणा संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।

श्रीमती गायत्री बोरपात्रा गोहैन और श्री उत्पल कुमार रे ने क्रमशः 18.3.2020 और 23.4.2020 के ईमेलों के द्वारा इस संबंध में परिषद का ध्यान आकर्षित किया।

काउंसिल ने इस मामले में स्वः प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए 17.3.2020 को संपादक, द टेलीग्राफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी अखबार से 16.12.2020 को जवाब मिला, जिसमें प्रतिवादी अखबार ने शिकायत की सामग्री से इनकार करते हुए कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास प्रेस परिषद अधिनियम 1978 और विनियम 1979 के तहत मामले में कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, कार्यवाही वापस लिये जाने का अनुरोध किया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 16.12.2020 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुश्री कंचन प्रसाद, अपर महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो उपस्थित हुई, लेकिन प्रतिवादी से कोई उपस्थिति नहीं थी।

काउंसिल ने सूओ-मोटू संज्ञान लिया, जब यह खबर सामने आई कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित करने के संबंध में समाचार,शीर्षक "कोविंद, नॉट कोविड, डिड इट' के साथ' प्रकाशित किया गया था और तदनुसार प्रतिवादी अखबार को नोटिस जारी किया था।

नोटिस सेवित किये जाने के बावजूद, प्रतिवादी ने कोई जवाब दाखिल करने के लिए नहीं चुना है और न ही किसी ने उसकी ओर से आज, (16.12.2020) को अपनी उपस्थित दर्ज की जब इस मामले को जांच समिति द्वारा उठाया गया था। पत्रकारिता के आचरण के मानक (संस्करण 2019) का पैरा 31 (vi) में निम्नानुसार है:

'देश के प्रथम नागरिक पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, उपहास और अपमान करना अनुचित है और यह उचित पत्रकारिता टिप्पणियों के विरुद्ध है'।

उपर्युक्त प्रावधान को पढ़ने मात्र से, यह स्पष्ट है कि देश के पहले नागरिक का उपहास और बदनाम करने वाली कोई भी टिप्पणी न केवल अनपेक्षित बल्कि निष्पक्ष पत्रकारिता संबंधी टिप्पणी से परे है। 'कोविंद, नॉट कोविड, डिड इट' शीर्षक देश के माननीय राष्ट्रपति का हवाला देता है और यह निश्चित रूप से देश के पहले नागरिक का उपहास और निंदा

करता है। प्रतिवादी ने उक्त शीर्षक को सही ठहराने के लिए कोई जवाब पेश करने या दाखिल करना नहीं चुना है।

जांच समिति की बैठक और अखबार को परिनिंदित करने की उसकी संस्तुति के बाद, 16 दिसंबर, 2020 का एक पत्र परिषद के कार्यालय में प्राप्त हुआ । इसमें मामले की योग्यता पर निवेशन के अलावा, जांच की वैधता के संबंध में अन्य आपत्तियां ली गई हैं। आवेदन में यह कहा गया है कि आरोप ऐसे नहीं हैं जिनमें अध्यक्ष को मामले का संज्ञान लेना चाहिए था। यह आगे कहा गया है कि इस मामले को जांच समिति को भेजने की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा आगे कहा गया है कि नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया है और इसलिए, उसे वापस लेकर और परिणामस्वरूप कार्यवाही बंद कर दी जाए।

इन सभी निवेशनों में इंक्वायरी कमेटी को कोई योग्यता नही मिली। प्रेस काउंसिल एक्ट की धारा 14 में अन्य बातों के साथ, एक अखबार को सेंसर करने के लिए परिषद को शक्ति प्रदान करती है और इस तरह की शक्ति का प्रयोग किसी शिकायत के प्राप्त होने पर या अन्यथा किया जा सकता है। इसलिए, शिकायत के अलावा, परिषद को इस मामले में कार्रवाई करने का अन्यथा भी अधिकार है। यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि प्रेस काउंसिल एक्ट की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रेस काउंसिल (प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी) विनियम, 1979 को बनाया गया है और उसका नियम 13 जो तत्संबंधी उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:-

'स्वः प्रेरणा से कार्रवाई करने की शक्ति: अध्यक्ष, किसी भी ऐसे मामले के संबंध जो अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत आता है या अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के संबंधित है या उसके बारे में है, स्वः प्रेरणा से, यथास्थति सूचना जारी कर सकेगा या कार्रवाई कर सकेगा और तब नियम 4 के आगे इन नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार कि विनियम 3 के अधीन परिवाद पर किया जाता है।'

उपर्युक्त प्रावधान को सादे पढ़ने से, यह स्पष्ट है, कि अध्यक्ष को अधिनियम की धारा 14 (1) या धारा 13 (2) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान लेने और नोटिस जारी करने की शक्ति दी गयी है। प्रतिवादी का आचरण प्रथम दृष्टि अधिनियम की धारा 14 का उल्लंघन है। अध्यक्ष ने स्वः प्रेरणा से संज्ञान लिया और प्रतिवादी को नोटिस जारी किया और उसके बाद जांच समिति के समक्ष मामले को रखने

का निदेश दिया। यहां यह बताना और अधिक प्रासंगिक है कि नियमों के नियम 13 में विशिष्ट शब्दों में यह उल्लेख है कि यदि अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है और नोटिस जारी करने का निदेश दिया है, तो विनियम 5 के आगे से इन नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार कि विनियम 3 के अधीन परीवाद पर किया जाता है। इस प्रकार पूर्वोक्त शक्ति के प्रयोग के बाद मामले को शिकायत के रूप में माना गया और अंततः जांच समिति की राय के लिए इसके सामने रखा गया। इस प्रकार, जांच समिति को प्रतिवादी की इन दलीलों में कोई योग्यता नहीं मिली।

जैसा कि यह मामला भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद की प्रतिष्ठा और गरिमा से संबंधित है और सुखिर्यों में मानदंडों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से किया गया है, जांच समिति उदार दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक नहीं है और संस्तुति करती है कि प्रतिवादी अखबार को परिनिंदित किया जाए।

आदेश की एक प्रति बी ओ सी और पश्चिम बंगाल राज्य के जनसंपर्क निदेशक को उचित निर्णय के लिए भेजी जाये।

प्रतिवादी अखबार को दो सप्ताह के भीतर समाचारपत्र में परिषद की रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रकाशित करने का निदेश दिया जाता है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों एवं जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तर्कों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार कर, उपर्युक्त निदेश के साथ प्रतिवादी समाचारपत्र, दी टेलीग्राफ, कोलकाता को **परिनिंदित** करने का निर्णय लेती है।

<u>पेड समाचार</u>

न्यायनिर्णय
दिनांकित 22.01.2021

55. श्री जतिन्दर कुमार,
होशियारपुर,
पंजाब ।

संपादक,
दैनिक भास्कर
होशियारपुर, पंजाब

श्री परमिंदर बरियाना,
पत्रकार, दैनिक भास्कर,
होशियारपुर, पंजाब

श्री शिव कुमार बावा,
पत्रकार, दैनिक भास्कर,
होशियारपुर, पंजाब

श्री शिव कुमार राजू,
पत्रकार, दैनिक भास्कर,
होशियारपुर, पंजाब

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 14.09.2019 श्री जतिन्दर कुमार, होशियारपुर, पंजाब ने श्री परमिंदर बरियाना, शिव कुमार बावा और श्री शिव कुमार राजू, दैनिक भास्कर, समाचारपत्र, होशियारपुर, पंजाब के श्रमजीवी पत्रकारों के विरूद्ध कथित तौर पर पत्रकारिता कदाचार में संलिप्त होने और झूठी मानहानिजनक तथा पेड समाचार प्रकाशित करने पर दर्ज की ।

शिकायतकर्ता के अनुसार, होशियारपुर, पंजाब के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री श्री तीक्षण सूद के निदेश पर प्रतिवादी समाचार प्रकाशित कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि श्री तीक्षण सूद या उनके किसी भी अनुयायी की भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में आरटीआई के तहत दस्तावेज जारी करने वाले लोक सेवकों को उपर्युक्त प्रतिवादियों द्वारा बदनाम किया जाता है ।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने वकील बंधुओं श्री सतबीर सिंह और दीपिंदर सिंह के खिलाफ दैनिक भास्कर के दिनांक 1.9.2019 के संस्करण में "भाजपा पार्षद की शिकायत": वकील बंधुओं पर स्टेट बार काउंसिल का शिकंजा - झूठे केस दर्ज करवा लोगो को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी वकील बंधु के लाइसेंस होंगे रद्द पुलिस कार्रवाई भी होगी कैप्शन के तहत एक फर्जी और पेड न्यूज प्रकाशित की ।

शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादियों ने जाली, गलत और मानहानिजनक समाचारों को प्रकाशित करने के लिए श्री तीक्षण सूद से पैसे लिए हैं और उन लोगों

ने आक्षेपित खबर को प्रकाशित करने से पहले किसी से भी संपर्क नहीं किया है । शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांकित 14.9.2019 द्वारा आक्षेपित समाचार की ओर प्रतिवादियों का ध्यानाकृष्ट किया लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने उसे धमकी दी कि वे ऐसी और खबरें प्रकाशित करेंगे ।

संपादक, दैनिक भास्कर, होशियारपुर को दिनांक 30.9.2019 को और श्री परमिंदर बरियाना, शिव कुमार बावा और शिव कुमार राजू, दैनिक भास्कर के पत्रकारों को दिनांक 7.1.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए ।

श्री परमिंदर बरियाना, पत्रकार, दैनिक भास्कर का लिखित वक्तव्य

श्री परमिंदर बरियाना, पत्रकार, दैनिक भास्कर ने अपने वकील, श्री पुरु जरीवाल के माध्यम से, मामले में दिनांक 28.1.2020 को लिखित बयान दर्ज किया है और कहा कि उनका पंजाब के होशियारपुर के पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ कोई संबंध नहीं है । इसके अलावा, शिकायतकर्ता जांच समिति को यह लिखकर गुमराह कर रहा है कि "बार काउंसिल ने एक अधिवक्ता का लाइसेंस रद्द कर दिया है" जबकि प्रकाशित खबर को सामान्यतया पढ़ने पर पता चलता है कि "वकीलों पर निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत के मामले दर्ज करने का आरोप लगाया गया, उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर बार काउंसिल द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है/की जाएगी"। उन्होंने आगे कहा है कि आपराधिक एफआईआर सं.0233 दिनांकित 9.8.2019, शिकायतकर्ता और उसके भाई के खिलाफ एस.सी. और एस.टी. अधिनियम 1989 की धारा 323 आईपीसी और धारा 3 के तहत दर्ज की गई थी और शिकायतकर्ता के विरूद्ध कई शिकायतें जिला प्रशासन और संबंधित वकीलों की परिषद के समक्ष उसके कदाचार और भ्रष्ट आचरण के विरूद्ध लंबित हैं । उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है ।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज हलफनामा

शिकायतकर्ता ने हलफनामे दिनांकित 13.1.2020 द्वारा अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा कि अपराध के मद्देनजर प्रतिवादियों को पत्रकारों के रूप में काम करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और परिषद से प्रतिवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 9.12.2020 को नई दिल्ली में आया । किसी भी पक्ष से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई ।

नोटिस जारी करने के बावजूद, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ । शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में, जांच समिति मामले में आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है । जांच समिति, तदनुसार, शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है ।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है और उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है ।

तिमाही के दौरान प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सूची

क्र.सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
1.	प्रकाशन के स्थानांतरण की घोषणा की प्रामाणिक प्रति के संबंध में श्री महावीर जैन, प्रकाशक, मरु लहर, पाली राजस्थान की अपील। मिसिल संख्या 27/57/2020-21-पीआरएबी	9/2/2021	समाप्त
2.	श्री सुवाशिश चौधरी संयुक्त पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिंग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04/07/2020 के विरुद्ध श्री विजय कुमार चोपड़ा, प्रकाशक/मुद्रक/संपादक, पंजाब केसरी (दिल्ली संस्करण), जीएल-2, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 की अपील। मिसिल संख्या 27/58/2020-21-पीआरएबी	9/2/2021	अपील वापिस ले ली गई
3.	अपर पुलिस आयुक्त, लाइसेंस और विधिक, जयपुर, राजस्थान द्वारा 'वतन प्रेस' की नई प्रिंटिंग इकाई के लिए घोषणा के प्रमाणीकरण को अस्वीकार करते हुए पारित आदेश दिनांकित 4/01/2021 के विरुद्ध श्री सोमेश शर्मा की अपील। मिसिल संख्या 27/61/2020-21-पीआरएबी	9/2/2021	अपास्त

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचनाभवन, 8, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 É24366745-749, Fax 24368723/726
Email :secy-pci@nic.in; pcibpp@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मद.सं. 1 **मि.सं. 27/57/20-21-पीआरएबी**

प्रकाशन के स्थानांतरण की घोषणा की प्रामाणिक प्रति के संबंध में श्री महावीर जैन, प्रकाशक, मरु लहर, पाली राजस्थान की अपील दिनांकित 20/7/2020

न्यायमूर्ति श्री सी.के. प्रसाद : माननीय अध्यक्ष
श्री उत्तम चन्द्र शर्मा : माननीय सदस्य
उपस्थिति
अपीलकर्ता : अनुपस्थित
प्रतिवादी की ओर से : अनुपस्थित
आरएनआई की ओर से :श्री पुष्पवंत, सहायक प्रेस रजिस्ट्रार, आरएनआई

आदेश

दिनांकित : 9 फरवरी, 2021

इस अपील में, अपीलकर्ता की प्रार्थना है कि उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट को प्रकाशन के स्थान में बदलाव की घोषणा को प्रमाणित करने का निदेश जारी किया जाए।

आरएनआई से प्राप्त पत्र में, अन्य बातों के साथ साथ, यह कहा गया है कि मरु लहर, पाली राजस्थान की प्रमाणित घोषणा को अपीलकर्ता को सौंप दिया गया है।

अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की शिकायत का निवारण हो गया है, और, इसी कारण, वह उपस्थित नहीं हुआ।

तदनुसार, अपील को समाप्त किया जाता है।

ह०/- ह०/-

(उत्तम चन्द्र शर्मा) **(चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद)**
सदस्य **अध्यक्ष**

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचनाभवन, 8, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 É24366745-749, Fax 24368723/726
Email :secy-pci@nic.in; pcibpp@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मद.सं. 2 **मि.सं. 27/58/20-21-पीआरएबी**

श्री सुवाशिश चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिंग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04/07/2020 के विरूद्ध श्री विजय कुमार चोपड़ा, प्रकाशक/मुद्रक/संपादक, पंजाब केसरी (दिल्ली संस्करण), जीएल-2, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 की अपील।

न्यायमूर्ति श्री सी.के. प्रसाद : **माननीय अध्यक्ष**

श्री उत्तम चन्द्र शर्मा : **माननीय सदस्य**

उपस्थिति

अपीलकर्ता : **अनुपस्थित**

प्रतिवादी की ओर से : **श्रीमती किरण चोपड़ा (प्रतिवादी संख्या 3) के अधिवक्ता, तनुज गुलाटी और अधिवक्ता श्री एस.भूषण जैन**

: **संयुक्त पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिग, नई दिल्ली (प्रतिवादी सं. 1) के अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा**

आरएनआई की ओर से : **श्री पुष्पवंत, सहायक प्रेस रजिस्ट्रार, आरएनआई**

आदेश

दिनांकित : 9 फरवरी, 2021

यह अपील संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8-ग के तहत पारित आदेश दिनांकित 04/07/2020 के विरूद्ध की गई है। अपील बोर्ड द्वारा मामले में कोई भी कार्रवाई करने से पहले ही दिनांक 26 जनवरी, 2021 को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें अन्य बातों **के साथ-साथ अपील को वापिस लेने की प्रार्थना की गई है। अपील बोर्ड अपीलकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करता है तथा अपील वापिस ले ली जाती है।**

ह०/- ह०/-

(उत्तम चन्द्र शर्मा) **(चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद)**

सदस्य **अध्यक्ष**

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचनाभवन, 8, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 É24366745-749, Fax 24368723/726
Email :secy-pci@nic.in; pcibpp@gmail.com; Website : www.presscouncil.nic.in

मद.सं. 3 **मि.सं. 27/61/20-21-पीआरएबी**

अपर पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिग और विधिक, जयपुर, राजस्थान द्वारा 'वतन प्रेस' की नई प्रिंटिंग इकाई के लिए घोषणा के प्रमाणीकरण को अस्वीकर करते हुए पारित आदेश दिनांकित 4/01/2021 के विरूद्ध श्री सोमेश शर्मा की अपील।

न्यायमूर्ति श्री सी.के. प्रसाद : **माननीय अध्यक्ष**

श्री उत्तम चन्द्र शर्मा : **माननीय सदस्य**

उपस्थिति

अपीलकर्ता : **श्री राकेश शर्मा, प्रकाशक, राष्ट्रदूत, अपीलकर्ता के लिए उपस्थित हुए**

प्रतिवादी की ओर से : **अनुपस्थित**

आरएनआई की ओर से : **श्री पुष्पवंत, सहायक प्रेस रजिस्ट्रार, आरएनआई**

आदेश

दिनांकित : 9 फरवरी, 2021

अपीलकर्ता, दैनिक हिन्दी समाचारपत्र, राष्ट्रदूत का प्रकाशक है। उन्होंने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 इसके आगे जिसका संदर्भ अधिनियम के रूप में

दिया गया है की धारा 4 के क्रम में एक और प्रिंटिंग प्रेस लेने के बारे में संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने दिनांक 4 जनवरी 2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा मामला सं. 137/2020 के, अन्य बातों के साथ साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 469, 471, 500, 501, 502 और 120(ख) तथा सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 76 के तहत लंबित होने के आधार पर इस आवेदन को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने पीआरबी अधिनियम की धारा 8(ग) के तहत यह अपील की है।

नोटिस भेजने के बावजूद, प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ और, दरअसल, बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने में अपनी असमर्थता दर्शाते हुए, उसने दिनांक 8 फरवरी, 2021 को एक पत्र भेजा। मामले को देखते हुए, अपील बोर्ड के पास, प्रतिवादी की अनुपस्थिति में मामले में आगे कार्रवाई करने और उसे गुणदोष के आधार पर तय करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि मामले का मात्र लंबित होना प्रमाणीकरण को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। उन्होंने इंगित किया कि अधिनियम में प्रदत्त आधार पर ही प्रमाणीकरण अस्वीकार किया जा सकता है तथा अधिनियम के तहत प्रदत्त आधारों में से किसी भी आधार का अभिप्राय, मामले के लंबित होने के आधार पर प्रमाणीकरण को अस्वीकृत करना नहीं है।

रिकॉर्ड पर लाने के लिए, अपीलकर्ता ने यह भी चिन्हित किया कि एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस (याचिका) संख्या 3626/2020 में पारित आदेश दिनांक 4.11.2020 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निदेश दिया था कि उक्त आपराधिक मामले में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। प्रतिवादी द्वारा दर्ज उत्तर में आक्षेपित आदेश में दिये गये कारण को दोहराया गया है।

अपील बोर्ड ने अपीलकर्ता की विवेचना को तर्क संगत पाया। अपील बोर्ड ने अधिनियम के उपबंध और उसके तहत बनाए गए नियमों का अध्ययन किया है और यह कहीं नहीं पाया गया कि आपराधिक मामला दर्ज होना, घोषणा को प्रमाणित करने से इनकार करने का कारण हो सकता है। आगे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए, अपीलकर्ता के विरूद्ध कोई भी कड़े कदम उठाना संभव नहीं था। इन्हीं आधारों के चलते, आक्षेपित आदेश को बने रहने नहीं दिया जा सकता।

तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है, अपर पुलिस आयुक्त, जयपुर के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और उन्हें **अपीलकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन पर इस आदेश के प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इस आदेश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करने का निदेश दिया जाता है।**

ह०/-

(उत्तम चन्द्र शर्मा)
सदस्य

ह०/-

(चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद)
अध्यक्ष